लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची CONTENTS

अंक 22, बुधवार, जुलाई 6, 1977/आषाढ़ 15, 1899 (शक)

No. 22, Wednesday, July, 6 1977/Asadha 15, 1899(Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 344, 346, 347 और 350 से 352	Starred Questions Nos. 344, 346, 347 and 350 to 352;	1—15
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 12	Short Notice Question No. 12 . .	16-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 345, 348, 349 और 353 से 363	Starred Questions Nos. 345, 348, 349 and 353 to 363	17—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 2632 से 2648, 2650 से 2736, 2738 से 2740 और 2742 से 2781	Unstarred Questions Nos. 2632 to 2648, 2650 to 2736, 2738 to 2740 and 2742 to 2781	24—99
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	99—102
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
प्रथम प्रतिवेदन	First Report	102
अनुदानों की मांगे, 1977—78	Demands for Grants, 1977-78—	
(एक) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग	(i) Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture	102—16
श्री डी० बी० पाटिल	Shri D.B. Patil	102—103
श्री एस० एस० दास	Shri S.S. Das . .	103
श्री ए० आर० बद्री नारायण	Shri A.R. Badri Narayan	104—105
श्री नरसिंह यादव	Shri Narsingh Yadav	105
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	105—106
श्री एच० एल० पटवारी	Shri H.L. Patwary . . .	106
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	106—107

किसी नाम पर अंकिन यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्म ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री महेन्द्र नारायण सरदार	Shri Mahendra Narayan Sardar	107—108
श्री ए० सुन्ना साहिब	Shri A. Sunna Sahib .	108—109
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	Shri Jagdambi Prasad Yadav . .	109
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	109—10
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	Shrimati Bibha Ghosh Goswami	110—11
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	111
डा० प्रताप चन्द्र चन्दर	Dr. Pratap Chandra Chunder .	111—15
(दो) पैट्रोलियम मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय	(ii) Ministry of Petroleum and Ministry of Chemicals and Fertilisers . . .	117—26
श्री ओ० वी० अलगेशन	Shri O. V. Alagesan . .	117—18
श्री बशीर अहमद	Shri Bashir Ahmad .	121—22
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani .	122—23
श्री वाई० पी० शास्त्री	Shri Y. P. Shastri .	123—24
श्री रेणुपद दास	Shri R. P. Das .	124—25
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai .	125—26
इण्डियन एक्सप्रेस समूह के समाचार-पत्रों के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* understanding reached between employees and Management of the Indian Express Group—	
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma . . .	116
आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion—	
महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति	Committee on Status of Woman —	
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan . .	126—28
डा० प्रताप चन्द्र चन्दर	Dr. Pratap Chandra Chunder . .	128—29

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 6 जुलाई, 1977 आषाढ़ 15, 1899 (शक)

Wednesday, July 6, 1977/Asadha 15, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फिल्मों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

*344. **श्री निहार लास्कर :**
श्री आर० पी० स्वामीनाथन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्मों के लिए कोई नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ; और

(घ) क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने से पहले खोसला समिति की सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ). इनको अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; इनको अन्तिम रूप देते समय खोसला समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जायेगा । उम्मीद है कि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा ।

श्री निहार लास्कर : फिल्म सेंसर बोर्ड तथा चलचित्र अधिनियम भी बनाया हुआ है । इन सबके बावजूद भी हम चलचित्रों में विशेषकर हिन्दी चलचित्रों में हिंसा तथा अश्लीलता ज्यादा से ज्यादा दिखाई जा रही है। फिल्म निर्माताओं को अच्छी फिल्में बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका

निभानी चाहिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में उनका क्या रवैया है और सरकार उन्हें इन उपबन्धों के अन्तर्गत लाने तथा उनसे अच्छी फिल्मों का निर्माण करवाने के लिए क्या करने का विचार कर रही है।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : सरकार इस बात से भली भांति अवगत है कि अच्छी फिल्मों का निर्माण हो जिनका कि हमारे युवकों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। किन्तु इस मामले में सेंसर बोर्ड ही यह निर्धारित करता है कि किस तरह की फिल्में बनाई जायें।

श्री निहार लास्कर : हमारे देश में बच्चों के लिए अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं क्या आप बच्चों के लिए अच्छी फिल्में बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : सरकार चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के कार्यकरण को सुधारने के लिए प्रयास करेगी क्योंकि बच्चों के लिए अच्छी फिल्मों के निर्माण का काम इसी सोसाइटी को सौंपा हुआ है।

श्री आर० के० महालगी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार फिल्म निर्माताओं को इस तरह के मार्गदर्शी निदेश देने से पहले विश्वास में लेगी ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : हमारा मार्गदर्शी निदेश तथा नया दृष्टिकोण तैयार करने का विचार है और तत्पश्चात् फिल्म उद्योग में लगे विभिन्न लोगों से विचार विमर्श किया जायेगा।

श्री हरिकेश बहादुर : सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्में बनाने की अनुमति दे देता है जिनका कि हमारे युवा वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या मंत्री जी सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेंसरशिप के स्वरूप पर पुनर्विचार किया जा रहा है तथा इसे नया रूप दिया जा रहा है। इसमें सेंसर बोर्ड के गठन में भी सुधार किया जायेगा।

श्री के० लकप्पा : सेंसर बोर्ड में बहुत गड़बड़ी है। फिल्मों के बारे में निर्णय लेने से पहले कुछ मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी भी फिल्म का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किन्तु लगता है सेंसर बोर्ड इन बातों पर विचार किए बिना ही निर्णय ले लेता है। यही कारण है कि अच्छी फिल्मों का निर्माण नहीं हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या मार्ग दर्शी सिद्धान्त तैयार कर रही है। सरकार के इस बारे में क्या ठोस प्रस्ताव हैं।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : पहली शिकायत यह है कि कई बुरी फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है और अच्छी फिल्मों का निर्माण नहीं हो रहा है। इस में सेंसर बोर्ड का हाथ नहीं है।

श्री के० लकप्पा : मैंने कहा है कि सेंसर बोर्ड में गड़बड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के मार्गदर्शी निदेश क्या है ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : यदि कोई फिल्म देश की सुरक्षा विदेशों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्धों कानून और व्यवस्था, नैतिकता के विरुद्ध हो और उससे न्यायालय का अपमान या अपराध की भावना पैदा होती हो तो सेंसर बोर्ड को उस फिल्म या उसके किसी भाग के प्रदर्शन पर आवश्यक रूप से रोक लगानी ही है। मैंने चलचित्र अधिनियम से उद्धरण दे दिया है जिसके अन्तर्गत सेंसर बोर्ड कार्य करता है। फिल्मों में हमें अनिवार्य रूप से नैतिकता आदि को बनाए रखना है। अन्य पहलू इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

श्री के० लकप्पा : इन बातों का तो उल्लघंन हो रहा है।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इन बातों का किसी भी तरह से उल्लघंन न हो। किन्तु सरकार प्रतिबन्ध केवल अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अन्तर्गत लगा सकती है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिबन्ध समुचित हों।

श्री बशीर अहमद : क्या मंत्री जी को पता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने के कारण विभिन्न फिल्म निर्माताओं में मनमुटाव हो जाता है। और इसलिए इसें जितनी जल्दी समाप्त किया जाये उतना ही बेहतर होगा।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नही है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या मंत्री जी को पता है कि सेंसर बोर्ड ने "संस्कार" नामक फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी थी किन्तु जब मंत्री जी ने उसे देखा तो उन्होने प्रदर्शन की अनुमति दे दी। और फिर इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इससे पता चलता है कि सेंसर बोर्ड का निर्णय कितना गलत है। क्या मंत्री जी इन सब बातों पर ध्यान देगें।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : सरकार को इस बारे में पता है। कई ऐसे मामले हैं जहां अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने सेंसर बोर्ड के निर्णय में परिवर्तन किया है।

Shri Jagdambi Prasad : The films are affecting our society deeply. I want to know whether the Hon. Minister has drafted such guidelines under which such films are produced for School and College students which may inculcate morality, patriotism in them.

Shri L.K. Advani : I agree with the hon. member that it is necessary to do so. The Children Film Society has been working for the last so many years. It is our effort to encourage this Society so that it may function smoothly. We would ensure that the distinction between the Adults films and Universal films is strictly adhered to.

श्री वयालार रवि : जैसा कि आपने कहा है सेंसर बोर्ड का यह काम है कि वह फिल्मों के स्तर पर निगरानी रखता है। किन्तु दुर्भाग्य से सेंसर बोर्ड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ऐसा विशेष रूप से भारतीय फिल्मों में होता है। मद्रास सेंसर बोर्ड में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान सरकार फिल्म निर्माण के लिए लाइसेंस देने की प्रणाली जारी रखेगी। हाल में जो नया उत्पादन शुल्क तथा फिल्मों के निर्माण के लिए जो नया नियम लागू किया गया है उससे प्रचार साधन की स्वतंत्रता कम हो रही है। क्या सरकार लाइसेंस देने की प्रणाली द्वारा फिल्म उद्योग पर नियंत्रण करेगी।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता।

श्री वयालार रवि : उत्पादन शुल्क के कारण लाइसेंसिंग प्रणाली लागू है। प्रत्येक फिल्म निर्माता को फिल्म निर्माण के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या मंत्री महोदय प्रचार साधन की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : फिल्म माध्यम पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निस्संदेह सरकार की यह चेष्टा है कि देश में सही परम्पराओं को रखने के लिए फिल्म माध्यम अपना योगदान करें।

Dr. Bapu Kaldaty : I want to know whether the Khosla Commission had recommended the showing of kissing scene in films. If so, what is the reaction of the Government thereto ?

Shri L.K. Advani : The Khosla Commission had made many recommenations and unfortunately out of all recommendations only this recommendation is being discussed. While considering this recommendation, we have to see the whole film and not any particular scene. Only then we should take decision.

Shri Vijay Kumar Malhotra : Nothing has been said about violence in the guidelines. The Hon. Minister should see that there are no violent scenes in the films. I want to know whether these guidelines will be applied to imported and foreign films. Perhaps these guidelines are not being applied to imported films at present.

Shri L.K. Advani : We have given guidelines about violence also. During emergency some more directives were given under which attempt has been made to quantity violence and it was said that violence should not be shown for more than 6 minutes. This Government thinks that violence shown even for ½ minute can be dangerous. This may create adverse effect in the mind of people. If a boxing scene is shown for 10 minutes that will not create adverse effects. So such scenes should not be allowed which glorify violence.

So far as the second part of the question is concerned, because there is difference between the values of Indian societies and the foreign countries, therefore there might be some difference in the Censorship standard but the gap will not be wide.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री को पता है कि गत बजट में जो नया शुल्क लगाया गया था उससे उन फिल्मों को हानि पहुंची है जिसमें हिंसा या अश्लीलता नहीं है । यदि हां तो वह ऐसे फिल्म निर्माताओं विशेषकर क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं का बचाव कैसे करेंगे जो कि देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं । हम जानते है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । अत: मंत्री महोदय इस बारे में हमें कुछ बताएं कि उनका क्या विचार है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में जानकारी पूछी जाती है, न कि उनकी राय ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल जानकारी चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो उनकी राय पूछ रहे है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री जी बताऐंगे कि वह उन फिल्म निर्माताओं के बचाव के लिए क्या कर रहे है जो कि देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि लेवी के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है और वित्त मंत्रालय उन पर विचार कर रहा है ।

अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र को दिल्ली में रखना

***346. श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र को इतने लम्बे अर्से तक दिल्ली में किन परिस्थितियों में रखा गया और इसका औचित्य क्या है;

(ख) क्या इस केन्द्र को यहां बनाये रखने से पंजाबी कार्यक्रमों के स्तर पर, जो स्थानीय कलाकारों की मदद से बनाये जाते है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है एवं इससे उस क्षेत्र के कलाकारों की उपेक्षा हुई है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था; और

(ग) सरकार का विचार दिल्ली में इस केन्द्र को कब तक रखने का है ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) Amritsar transmitting Centre was originally envisaged as an extension to Delhi T.V. Centre. As such only relay facillities were provided at Amritsar. After some rethinking it was decided to provide programmes reflecting the local culture. As no programme production facilities were planned for Amritsar, these are being provided from the TV Studio at Delhi.

(b) No, Sir.

(c) A TV Complex at Jullundur is expected to be commissioned by mid 1978 when the activities of Amritsar Kendra will be shifted to Jullundur.

Shri Nawab Singh Chauhan : Television is meant for entertainment, public education, propagation of culture and proper use of local talent. This is not possible under the present policy. The programme is prepared here and then it is sent to other T.V. Centres. Some changes should be made in present policy and wherever you set up any T.V. Centre, the studio should also be provided there.

Shri L.K. Advani : The proposal was to set up Relay Station and the Relay station always relays the programmes prepared by Main station. But the programmes relayed by Amritsar T.V. Centre meet the needs of Punjab. It provides public education as well as entertainment. Programmes relating to Agricultural University, Ludhiana and National Institute of Sports Patiala are also relayed from Amritsar T.V. Centre.

Shri Nawab Singh Chauhan : The hon. Minister has said that it will be shifted to Jullunder. So many other centres have been set up. I want to know whether they will also be shifted.

Shri L.K. Advani : Amritsar T.V. Centre will not be closed but when the Jullunder studio will be completed, which is expected to be completed by 1978, this Amritsar T.V. Centre will relay the programmes of Jullunder studio. These programmes will have more Punjabi tinge.

सोलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, दिल्ली के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट

*347. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को सोलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, दिल्ली के कार्यकरण के बारे में प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट, 1976 प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या 1976 में उपरोक्त लेबोरेटरी के कार्यकरण के बारे में कोई जांच करने का आदेश दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सोलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी (एस० पी० एल०) के एक वैज्ञानिक ने स्वयं अपनी मर्जी से तैयार की गई "प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट 1976" नामक रिपोर्ट की एक प्रति लेबोरेटरी के निदेशक को भेज दी थी और साथ ही उसकी एक प्रति रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय को भी भेज दी थी ।

(ख) रिपोर्ट का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय में अध्ययन किया गया है । रिपोर्ट में जिन बातों पर विचार किया गया है वे सोलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और उससे संबद्ध स्थानीय प्रशासनिक मामले से सम्बन्धित है । चुंकि इन परियोजनाओं की मानीटरी और आवधिक समीक्षा करने के लिए एक उच्च

स्तरीय इलैक्ट्रानिकी विकास पैनल मौजूद है इसलिए किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पर मंत्रालय स्तर पर आगे कार्रवाई करना जरुरी नहीं समझा गया । यह रिपोर्ट पैनल के ध्यान में लाई जायेगी । लेबोरेटरी से विभिन्न मुद्दों पर विचार से विस्तार करने को कहा गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : उत्तर में उन बातों का उल्लेख किया गया है जिन पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय द्वारा विचार किया गया था । इस प्रकार संगठन ने क्या निष्कर्ष दिया है तथा प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कानूनी एवं प्रशासनिक मामलों पर क्या कार्यवाही की गई है और इलैक्ट्रानिक्स पैनल ने तथा ब्रिगेडियर मिश्रा ने जो भूतपूर्व निदेशक हैं और जो अब इलैक्ट्रानिक्स पैनल के सदस्य हैं और यही कारण है कि रिपोर्ट इस पैनल को भेजी गई है, विभिन्न परियोजनाओं के बारे में कितनी आवधिक जांचे की हैं और क्या लाखों रुपये के प्लेटिनम तथा सोना जैसे बहुमूल्य पदार्थों के दुरुपयोग और खपत के बारे में शिकायतें मिली हैं, जिनका प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । क्या ऐसी बातों को प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट में बताया गया है और क्या इस रिपोर्ट के लेखक को जान से मारने की धमकी दी गई थी और क्या उसने कई कठिनाइयों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को काफी जानकारी दे रहे हैं ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या उसने पुलिस में शिकायत और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि उन्हें कई वैज्ञानिकों ने धमकी दी है क्योंकि उसने प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का उल्लेख किया है ।

श्री जगजीवन राम : सामान्यतया कर्मचारियों द्वारा अपने विभाग की मार्फत से न भेजे गए पत्रों पर विचार नहीं किया जाता । लेकिन, चूकि वह वैज्ञानिक हैं, मामले की जांच की गई थी । उस वैज्ञानिक का अपना एक इतिहास है । सम्भवत: श्री जोशी इससे अवगत है । उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है । उन्होंने प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट में कई बातें कहीं है जिसमें अपने सहयोगियों की शिकायत की गई है । सम्भवत: यह शिकायतें उनके विशिष्ट भावनाग्रस्त होने के कारण तथा व्यक्तियों के टकराव के कारण उत्पन्न हुई हैं;

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से भेजी गई रिपोर्ट नहीं है । यह कहना गलत है कि इस रिपोर्ट को व्यक्तिगत रूप से भेजा गया है । उन्होंने रिपोर्ट निदेशक को भेजी है । निदेशक ने इसे आगे मंत्रालय को भेजा है । फाईल में एक टिप्पण दिया गया था जिसमें लिखा गया था कि मंत्री महोदय के आने पर पेश की जाए ।

उनका काम प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट तैयार करना और मंत्रालय की परियोजनाओं की स्थिति के बारे में अवगत कराना है । अत: यह व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं है ।

मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है । मंत्री महोदय ने कुछ बताया है । चिकित्सा रिपोर्ट क्या है ? सरकारी डाक्टरों के विशेषज्ञ बोर्ड ने उनकी जांच की थी । उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में अपनी राय दी । इसमें ईमानदार और बेईमान व्यक्तियों

की कलह की बात कहां आती है ? एक व्यक्ति जो विकास में वस्तुतः रूचि रखता है और जो लोग हेराफेरी कर रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछें आप इतना समय ले रहे हैं जितना रक्षा बजट की चर्चा में लिया जाता है । यह उचित नहीं है। आप सदन का समय खराब कर रहे हैं ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी ? क्या मंत्री महोदय को हत्या के षड़यन्त्र की शिकायत मिली थी अथवा नहीं ? जब तक इसका उत्तर नहीं दिया जाता मैं आगे प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री जगजीवन राम : मुझे पता नहीं कि उन्होंने कौन सा प्रश्न पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने प्रश्न को दोहरा दें ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मेरा प्रश्न यह है कि मुख्यालय ने रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की थी । उत्तर में भी इसे स्वीकार किया गया है। मुख्यालय ने प्रतिवेदन की जांच की और बताया कि इसका सम्बन्ध स्थानीय प्रशासन और कुछ परियोजनाओं से सम्बन्धित है। स्थानीय प्रशासनिक मामलों पर मुख्यालय ने क्या कार्यवाही की है ? उन्होंने इसका कुछ भाग इलैक्ट्रानिक पैनल को भेजा है ? क्या इस पनल ने किसी परियोजना के बारे में जांच की है और क्या इस पैनल में ब्रिगेडियर मिश्रा भी शामिल है, जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के तत्कालीन निदेशक थे और क्या अब उन्हें इलैक्ट्रोनिक पैनल में शामिल कर लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछ कर आप सदन का समय खराब कर रहे है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : यह प्रश्न रक्षा विज्ञान के बारे में हैं । करोड़ों रुपयों का मामला है ।

श्री जगजीवन राम : मामले की जांच कर ली गई है । इस मामले में कार्यवाही करना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया । अतः प्रयोगशाला को स्थानीय मामलों की जांच करने के लिए कहा गया है । यह मामला इलक्ट्रेनिकस पैनल को भी भेजा गया है । मैं पैनल में शामिल लोगों के नाम नहीं जानता । मेरे पास पदनाम हैं। मैं इस बात की जांच करूंगा कि पैनल में ब्रिगेडियर का नाम है अथवा नहीं ।

मेरे पास रक्षा मंत्रालय तथा अन्य स्थानों पर नियुक्त व्यक्तियों के पदनाम है । केवल रक्षा मंत्रालय, के अधिकारी ही वहां नियुक्त नहीं किए गए हैं । राष्ट्रीय प्रयोगशाला और इलैक्ट्रानिक्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्रालय की इस प्रकार के उत्तर से मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैं बड़ी गम्भीरता से प्रश्न पूछ रहा हूं । जब कोई रक्षा वैज्ञानिक आत्महत्या

कर ले तो क्या सदन में हमें इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं करना चाहिए । मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य खराब है । मुझे विश्वास है कि उसका स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थितियों के कारण ही खराब हुआ है ? मुझे पता है कि ये विज्ञान के तथाकथित केन्द्र किस प्रकार काम कर रहे ह । मैं स्वयं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रोफेसर रहा हूं । मुझे भी प्रबन्ध रिपोर्ट में कही गई बातों जैसी बातें कहने पर तंग किया गया था ।

श्री वसंत साठे : क्या माननीय सदस्य का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जाहिर है कि जब मैं खड़ा होता हूं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है । मैं जानता हूं कि आपात स्थिति के 20 महीनों में मैंने उनको मानसिक रूप से काफी परेशान किया ।

सोलिड स्टैट फिजिक्स लेबोट्री में कुप्रबन्ध है । क्या मंत्री महोदय प्रथम परीक्षण प्रतिवेदन से अवगत हैं ? इस प्रतिवेदन में सरकारी सम्पत्ति के दुरूपयोग, फर्नीचर तथा उपकरणों के गायब होने के बारे में लेबोट्री के उच्चाधिकारियों पर आरोप लगाए गए थे । मंत्री महोदय सही उत्तर देने में टाल मटोल कर रहे हैं । क्या मंत्री महोदय ने आवश्यक जांच कर ली है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने कभी भी टालने वाले उत्तर नहीं दिए । मेरे पास जो भी जानकारी होती है, उसे सदन को बताने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं । जानकारी को छुपाने से कोई उद्देश्य हल नहीं हो सकता । जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय रिपोर्ट नहीं है । लेकिन जब माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है, मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा । लेकिन मैं इस कथन का विरोध करता हूं कि विज्ञान संगठनों में खराब काम हो रहा है । ऐसा कहना इन संगठनों तथा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास का अपमान करना होगा ।

Shri Ugra Sen : Is it a fact that large sum was given to M/s Atma Ram and Sons for supplying Scientific periodicals and journals to Physics Laboratory but nothing was supplied ? Did the hon. Minister check while going through the document that neither the journals were supplied nor the money was returned ?

Shri Jagjivan Ram : It does not arise out of main question.

कोचीन बन्दरगाह में सुपर टैंकर परियोजना

*350. **श्री वयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन बन्दरगाह में सुपर टैंकर परियोजना पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने परियोजना का पुनर्मुल्यांकन-कार्य पूरा कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). कोचीन में सुपर टैंकर आयल टर्मीनल में पूंजी लगाने का निर्णय कोचीन तेल शोधक कारखानों में बम्बई हाई के कच्चे तेल को तैयार करने की व्यावहार्यता पर निर्भर करता है । इस समय यह प्रश्न विचाराधीन है । अब तक लगभग 2.3 करोड़ रु० की राशि प्रारम्भिक कार्यों, रैक्लेमेशन बांध के निर्माण और कुछ निर्माण सामग्री की खरीद करने पर व्यय की गई है ।

श्री वयालार रवि : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें । इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना आयोग के अधिकारियों का रवैया द्वैषपूर्ण है और उन्हें इस परियोजना पर आपत्ति है । इसके पीछे कुछ रहस्य है । मैं केरल राज्य से सम्बन्धित हूं । मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह हुआ कि आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते । आपने मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की है ।

श्री मोरारजी देसाई : मुझे उनकी अपील स्वीकार है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की अपील स्वीकार कर ली गई है । अब इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए ।

Pension to Dependents of Detenus Died in Jails or during Parole

*351. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the criteria for the grant of pension to the dependents of those detenus who died in jails and during parole during the emergency ; and

(b) the date from which the pension will be paid, the amount of pension and the number of dependents who will get the pension ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) The dependents of those detenus held under MISA during the emergency who died while in custody or within 3 months of their release from custody, whether on parole or otherwise, are eligible for grant of pension. The sheme will apply only to Indian Nationals and those who are in need of financial help.

(b) Pensions varying from Rs. 200 to Rs. 300 per month in each case will be paid from the month succeeding the month in which the death of the detenu occurred. The following dependents will be eligible for the pension :

(1) the wiJow of the deceased until her re-marriage or death ; or

(2) dependent sons or daughters subject to the condition that it would cease on sons attaining the age of 21 years, or daughters getting married or otherwise becoimng independent ; and

(3) the surviving parents, in case they were solely dependent on the deceased for their livelihood.

Shri Hargovind Verma : Mr. Speaker, Sir, I want to know if those arrested under D.I.R. will also get pension ? Because the Government arrested a number of such people who were politically opposed to it or who opposed the Government democratically through police. All such people were put behind the bars and some of them died there. So may I know if Government will be kind enough to give them pension ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : This pension will be given only to the dependents of detenus who died in jail. It is not applicable to the people who were detained

under D.I.R. Those who were being proceeded against under D.I.R., they were also detained under MIAS. So such people who were detained under M.I.S.A. will get pension irrespective of the fact whether they were detained under D.I.R. or not.

Shri Hargovind Verma : I am keen to know about those people only who were detained under D.I.R. because there are a number of such people who died in jails. What will be the attitude of the Government towards such people ?

Shri D.N. Tiwari : I want to know if Government has got any statewise statistics to ascertain to how many people deserved pension, how many were granted pension and when pension will be granted to those to whom it has not been given yet ? If such statistics are not available with the Government, when these are likely to be collected ?

Shri Charan Singh : The Government is in possession of statewise statistics of those who died in jails. Now we are writing to Deputy Commissioners to forward all such cases to State Governments who will send them to Government of India.

Shri Yagya Dutt Dharya : Those who are eligible to get such pension or those related to them are poor villagers or such like people. So may I know if the hon. Minister will simplify and streamline the pension procedure which is a complicated one. So that people can get pension conveniently ?

Shri Charan Singh : I am in agreement with the views expressed by my friend. We are sending orders to District Magistrates that they should investigate such cases themselves rather than depend upon the applications of such like dependents.

Smt. Ahilya P. Rangnekar : I want to know whether those too will be given pension who were under trial and died due to torture ?

Shri Charan Singh : Those who died under detention due to torture, have been covered in this.

Smt. Ahilya P. Rangnekar : They were under trials but not detained under M.I.S.A.

Shri Charan Singh : Their cases will be considered.

श्री समर गुह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पिछली सरकार के शासन के दौरान गृहमंत्री द्वारा एक ऐसा प्रपत्र जारी किया गया था जिसके आधार पर स्कूलों, कालिजों तथा विश्वविद्यालयों के अनेक अध्यापकों को उनके वेतन से वंचित कर दिया गया था । यह परिपत्र सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया था । उस परिपत्र में यह निर्देश दिया गया था कि जिन अध्यापकों को 'आंसुका' के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया है, उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जाना चाहिये । उन्हें केवल छुट्टी के समय का वेतन ही दिया जाना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अब उस परिपत्र को वापिस ले लिया जायेगा ताकि सम्बद्ध अधिकारियों को उन अध्यापकों के बकाया वेतन देने की छूट मिल सके ?

श्री चरण सिंह : प्रस्तुत पूरक प्रश्न का सम्बन्ध वर्तमान प्रश्न से नहीं जोड़ा जा सकता । मुझे इसके लिए अलग नोटिस मिलना चाहिये ।

श्री पूरन सिन्हा : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों के बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी जो जेलों में ऐसे रोगों का शिकार हो गये जो लाइलाज थे तथा जिसके परिणामस्वरूप उनकी 3 महीने के बाद मृत्यु हो गई ।

श्री चरण सिंह : मैंने प्रश्न को नहीं समझा है किन्तु उन मामलों, जहां मृत्यु हुई है को भी लिया जायेगा और पेंशन दी जायेगी ।

मुख्य मंत्रियों/भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों आदि के विरुद्ध ज्ञापन

*352. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान राज्यों के कुछ मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों/भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध ज्ञापन प्राप्त हुए हैं उनके नाम क्या हैं और ज्ञापन का मजमून क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई है; और क्या सरकार का विचार इन ज्ञापनों को जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) वर्ष 1975 तथा 1976 के दौरान प्राप्त उक्त ज्ञापनों में दिए गए आरोपों का स्वरूप अथवा जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे उनके नाम बताना उचित नहीं होगा ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त ज्ञापनों पर मंत्रियों की आचरण संहिता के उपबन्धों तथा प्रत्येक मामले के गुणावगुणों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामान्य क्रियाविधि के अनुसार कार्यवाही की गई थी । इन ज्ञापनों को जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का कोई विचार नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir you must have read in newspapers that memoranda have been sent against the Chief Ministers of Karnataka, Assam and other States and those have been referred back to them for their comments, and to know the action taken on them. I want to know from the hon. Minister whether during the last three months, since he took over as Home Minister, how many such memoranda have been received and what are their broad allegations. The Hon. Minister has talked of the usual procedure. I would like to know what is that usual procedure and what the provisions of the Code of Conduct are to which he has referred to in his reply.

Shri Charan Singh : The original question was with regard to last two years. Now hon. Member has asked about the number of memoranda received by this Government. Although I cannot give the precise number of memoranda but their number will be nearly one dozen. Broadly, they contain the same complaints which are usually against politicians i.e. misuse of power. Regarding telling all about them I have no hesitation, to say about their details nor I want to conceal anything but I do not consider it proper to say much about them. We have called for their comments on them and if those comments are not found satisfactory, we will appoint Commissions of Enquiry against them.

Shri Kanwar Lal Gupta : It has been stated by the Minister that after getting their comments, Commissions of enquiry have been appointed, so that way it has been accepted that there are prima facie cases against them. The Minister should tell us the names of those persons or if he is reluctant to do even that much, then atleast he should tell us when the Bill with regard to Lokpal and Lokayukta will be presented ? Now in Centre as well as in several States there are Janata Governments. May I know if any Code of Conduct for Ministers has been formed on the basis of which such like corruption charges may not be brought against them. May I know if some provision has been made for the purpose ?

Shri Charan Singh : So far as the Lokpal Bill is concerned that is being finalised by the Home Ministry and is almost ready. The Prime Minister as well as all the Ministers of this Government will come under the purview of Lokpal Bill. The Chief Ministers of States will also come under the purview of this Bill not only for their own cases but also for abetment of

misconduct of their Ministers. If you permit Sir, then all the Members of Parliament can also be brought in the purview of that bill, not only for any mistake of this five year term of Parliament but also for any of their mistake during last five years. When they were Members or Ministers when such a bill will be placed on statute book, it depends upon Lok Sabha and Rajya Sabha. I think we will be able to introduce the same by the end of July.

श्री एम० सत्यनारायण राव : श्रीमान जी, यह खुशी की बात है कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में नाम नहीं बताये हैं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह प्रक्रिया उन सभी ज्ञापनों के बारे में भी अपनाये हैं जोकि हमारे जनता दल के सदस्य सभी मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध भेजते रहे हैं ? मैं जानता हूं कि इन ज्ञापनों के विषयों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता रहा है तथा रेडियो के अंग्रेजी समाचार बुलिटनों में भी उन्हें प्रमुख रूप से प्रसारित किया जाता रहा है । क्या यही प्रक्रिया है ? उन्होंने बताथा कि मंत्रियों के व्यवहार के लिए भी आचार संहिता है । मुझे एक ऐसे विशिष्ट मामले की जानकारी है जिसके बारे में मैंने बड़ा विरोध प्रकट किया था । क्योंकि गृह मंत्री द्वारा ज्ञापन प्राप्त करने से पूर्व ही इसे अखिल भारतीय रेडियो द्वारा प्रसारति कर दिया गया था तथा वह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सब किस प्रकार हुआ ?

श्री चरण सिंह : श्रीमान जी सदस्य महोदय का कहना कुछ हद तक ठीक है । केवल एक ही मामले में यह सब हुआ । उसके लिए मुझे खेद है । परन्तु अन्य किसी भी मामले में ऐसा नहीं हुआ ।

श्री चरण नरजरी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को आसाम के मुख्य मंत्री तथा उनकी कम्पनी के खिलाफ आरोपपत्र प्राप्त हुआ है । यदि हां तो उसमें क्या आरोप लगाये गये हैं और क्या उन आरोपपत्रों में कुछ मांग भी की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि आपके पास देश के प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री सम्बन्धी जानकारी है ।

श्री चरण सिंह : यह ठीक है कि आसाम की मुख्य मंत्री के खिलाफ हाल ही में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है । सम्भवत: माननीय सदस्य आसाम का ही उल्लेख कर रहे थे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें 75 आरोप हैं ।

श्री चरण सिंह : आरोपों की संख्या तो मुझे मालूम नहीं है ।

श्री शिवनारायण : क्या मंत्री महोदय हमें ज्ञापन का सारांश बतायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उसे सभापटल पर रख दिया जायेगा ।

Shri Charan Singh : Alongwith other complaints one major allegation is that in Gauhati Session of Congress Party held in November, 1976, the state funds were misused to a greater extent.

श्री सोन् सिंह पाटिल : क्या मंत्री महोदय सदन की जानकारी के लिए मंत्रियों तथा संसद सदस्यों संबंधी आचार संहिता की मुख्य बातें परिचालित करेंगे ?

श्री चरण सिंह : एक आचारसंहिता सम्भवत: 1964 में पंडित नेहरू के समय में बनाई गई थी । मैंने स्वयं भी इसे नहीं पढ़ा है । परन्तु इसकी प्रति सदस्य महोदय को भेजने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : In his reply the hon. Minister has said that dozens of Complaints have been received by him. May I know if he has received complaints against those people too, who were Ministers during Congress rule ? Is it that allegations have been levelled against them also and now they are trying to join Janata Party or many of them have joined Janata Party? May I know if inquiry will be held against such people also ? Secondly when this enquiry will be completed and by which time the report will be presented ?

Shri Charan Singh : Mr. Speaker sir, allegations against all such people will be looked into irrespective of the fact whether they joined Janata Party or not? Whether they sit on this side of the House or on the other side. All people will come under the purview of Lokpal Act.

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गत विधान सभा चुनावों तथा उनके परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों में नई सरकारों के बनने की परिस्थितियों के सन्दर्भ में अब वह इन ज्ञापनों पर कोई निर्णय लेने से पूर्व नई सरकारों या नये मुख्य मंत्रियों से भी विचार-विमर्श करेंगे ?

श्री चरण सिंह : जहां तक मैं समझ पाया हूं इन का प्रश्न यही है कि क्या वर्तमान मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा ? हां, उनके साथ विचार-विमर्श किया जायेगा तथा जिन मामलों में जांच पूर्ण नहीं हो पाई है जबकि लगभग सभी मामलों में जांच पूरी नहीं की गई है—ऐसे मामले मुख्य मंत्रियों को भेज दिये जायेंगे तथा वही उनकी जांच करवायेंगे ।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय मैं प्रधान मंत्री के हाल ही के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपालों तथा अन्य ऐसे लोगों की नियुक्ति की जायेगी। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता। कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ गंभीर आरोप लगाये गये हैं तथा अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से बचने के लिए वह पहले ही जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच भी उसी स्तर तथा सिद्धांतों के आधार पर ही की जायेगी जिसे कि अब आपने शुरू किया है ?

श्री चरण सिंह : भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा पहले ही एक आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है। अब सरकार उसके लिए किसी दूसरे आयोग की नियुक्ति नहीं कर सकती।

श्री के० लकप्पा : कर्नाटक के दो भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा एक जांच आयोग की स्थापना की जा चुकी है । परन्तु वह जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं इसलिए यह आशंका है कि कहीं वह बच न निकलें।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने बताया कि क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पहले ही आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है, इसलिए वह वर्तमान मुख्य मंत्री तथा दो अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति नहीं कर सकते। परन्तु इसके बावजूद भी आपने वर्तमान मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए एक अन्य आयोग की नियुक्ति की है । आप इन दोनों में क्या तालमेल समझते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है कि क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को भी इस जांच की परिधि में लाया जा सकता है। इसका उत्तर उन्हें हां या ना में देना चाहिये।

श्री चरण सिंह : कर्नाटक के मुख्य मंत्री द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की गई है....

श्री वयालार रवि : क्या अपने लिए उन्होंने आयोग नियुक्त किया है ?

श्री चरण सिंह : हां, अपने लिए ही, ऐसे मामलों की जांच के लिए जिनका संबंध भ्रष्टाचार से नहीं हैं तथा जिनका संबंध केवल अनियमितताओं से ही है । उनके तथा उनके साथियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये आयोग द्वारा ही किया जायेगा। जो आयोग उन्होंने स्वयं अपने लिए नियुक्त किया है, वह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करेगा....(**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : इन्हें ठीक जानकारी देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है। जब आप ठीक जानकारी की बात कहते हैं तो उसका तात्पर्य अपने लिए ऐसे जानकारी होता है जिससे आप संतुष्ट हों। वह जो भी जानकारी ठीक समझते थे, वह उन्होंने दे दी है। यदि यह जानकारी आपको पसंद नहीं है तो यह अलग बात है। जो भी जानकारी वह देते हैं आप इसे स्वीकार कर आगे उसकी जांच करते रहिये।

श्री चरण सिंह : जैसा कि आपने उल्लेख किया है मैं अभी अपना उत्तर समाप्त नहीं कर पाया हूं। यह साहब खड़े हो गये तथा जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे। परिश्रम करने में कोई हानि नहीं होती। मुझे अपना उत्तर समाप्त करने दें। ऐसे अन्य मामले भी हैं जिनमें किन्हीं नामों का उल्लेख नही किया गया है। वह भूतपूर्व मुख्य मत्रियों का उल्लेख करे या न करें। उन आरोपों की जांच मुख्य मंत्री द्वारा नियुक्त किये गये आयोग द्वारा की जा रही है।

Shri Shyamnandan Mishra : May I know as to what sort of precautions are taken by his Ministry to ensure that the appointment of such Commissions is not made arbitrarily ?

Shri Charan Singh : Mr. Speaker, Sir, there is no question of any precautions in it. In accordance with Commission of Enquiry Act, 1952, the State Governments as well as Central Government has got the right to appoint Commissions. But when one Commission is appointed by Central or State Government, then on the same subject, a second Commission cannot be appointed by any Government.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा प्रश्न यह है कि क्या गृह मंत्रालय द्वारा लोगों को संतुष्ट करने के लिए कोई ऐसी कार्यवाही की गई थी जिससे उन्हें यह विश्वास हो सके कि आयोगों की नियुक्ति मनमानी ढंग से नहीं की गई है।

श्री चरण सिंह : भारत सरकार के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके आधार पर वह राज्य सरकारों को आयोग नियुक्त करने से रोक सके।

Shri Bhanu Kumar Shastri : Mr. Speaker Sir, the former Chief Minister of Rajasthan is also not lacking behind any body as far as corruption is concerned. In a press statement it was stated by Home Minister that a Commission to look into the corruption charges against former Chief Minister of Rajasthan, Shri Mohan Lal Sukhadia will be appointed soon. May I know if Government is going to appoint such a commission immediately ?

Shri Charan Singh : Sir, when I was asked in a public meeting if any enquiry would be held into the Sadri Gold case, I had replied in the affirmative. But, later on I came to know that

enquiry had already been completed in that case and Shri Mohan Lal Sukharia was not fcuud guilty. Some other complaints have been received and we have sent them to the State Govertment for enquiry.

श्री एल० के० डोले : जहां तक असम के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का प्रश्न है, मुख्य मंत्री ने हाल ही में गोहाटी में हुए कांग्रेस अधिवेशन का उल्लेख किया है। यह अधिवेशन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा आदि पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ सीमावर्त्ती क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से बुलाया गया था। उस समय राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण आज की तरह जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था इसलिए कांग्रेस का यह निश्चित कर्त्तव्य था कि इन सीमावर्त्ती राज्यों में भावात्मक एकता को सुदृढ़ किया जाये। उस अधिवेशन पर कितना खर्च हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन गोहाटी जैसे छोटे शहर में देश के विभिन्न भागों से इतनी अधिक संख्या में आये लोगों के रहन-सहन के लिए तथा अन्य प्रबन्ध करने के लिए क्या असम सरकार को तैयार नहीं रहना चाहिये था।

श्री चरण सिंह : महोदय, असम के मुख्य मंत्री ने सदस्य महोदय की बात का ही उल्लेख किया है। अब यह तो जांच आयोग ने निर्णय करना है कि क्या असम राज्य को करोड़ों रुपये व्यय करने थे या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री के० लकप्पा : मुझे एक निवेदन करना है। कल एक व्यवस्था का प्रश्न उठाय गया था। आज इस मामले पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम 54(2) की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री भी यहां हैं। लोक महत्व के सभी मामलों पर कांग्रेस की ओर से अल्प सूचना प्रश्न रखे गये थे लेकिन इस सत्र में एक भी गृहीत नहीं किया गया। मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया है। क्या सरकार अपने ही उद्देश्यों के लिए कार्य करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने बात उनके ध्यान में ला दी है। अब आप बैठ जाइये। प्रधान मंत्री जी तथा अन्य मंत्रालयों को भी जानकारी हो गई है। लेकिन श्री ज्योतिर्मय बसु इसे नहीं मानेंगे क्योंकि वह जनता पार्टी में नहीं हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : अल्प सूचना प्रश्न या अन्य प्रश्नों के मामले में मैं विपक्ष अथवा सरकारी पक्ष के सदस्यों में भेद-भाव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि यथा संभव अधिक से अधिक अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर दिये जायं। जिनका तुरंत कोई महत्व नहीं होता उन्हीं प्रश्नों के लिए हम नहीं कहते हैं। हम अल्प सूचना प्रश्नों से बचना नहीं चाहते। मुझे आशा है मेरे सहयोगी भी इसी नीति पर चलेंगे। उम्मीद है आप भी इस नीति का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न 12 श्री बसु।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

'सारस टावरों की खरीद'

अ० सू० प्र० 12. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवाहन मंत्रालय (लाइट हाऊस विभाग) विदेशों से तुरन्त 18 अतिरिक्त सारस टावर खरीदेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले खरीदा गया यह सारस टावर त्रुटिपूर्ण पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार तत्संबंधी ब्यौरा देगी तथा इन उपकरणों की आगे खरीद बंद करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) सरकार ने वी एल सी सी (कच्चा तेल ढोने वाले बहुत बड़े जहाज) द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले सालाया में *अपतट* आयल टर्मिनल को जाने वाले कच्छ की खाड़ी में गहरे जल मार्ग को चिन्हित करने के लिए 16 सारस टावरों की खरीद की स्वीकृति दे दी है । टावरों का निर्माण तो भारत में ही करने का इरादा है, परन्तु कुछ विशेष संघटकों का आयात करना पड़ेगा ।

(ख) सालया जलमार्ग के लिए अपेक्षित 16 टावरों में से एक सारस टावर, जो छोटा है और डिजाइन भी भिन्न है, की दीपघर विभाग ने प्रयोगात्मक आधार पर खरीद की और अभी तक उसकी परख की जा रही है ।

(ग) यद्यपि संभरण और निपटान महानिदेशक ने 16 सारस टावरों के लिए निविदाएं आमंत्रित की, तथापि अभी तक कोई भी आदेश नहीं दिया गया है । फर्म से कहा गया है कि वे कठोर पर्यावरण स्थिति के अनुरूप ही उन टावरों का डिजाइन बनाये जिनकी उन्होंने पेशकश की । तत्पश्चात टावरों की तकनीकी उपयुक्तता का पुनः मूल्यांकन किया जायेगा और फिर से नई निविदाएं मांगी जाएंगी । सरकार को टावरों की उपयुक्तता के बारे में पूरी तरह से संतुष्टि हो जाने के बाद ही आर्डर दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री लकप्पा तो उत्तेजित हो गये लेकिन यह तो लोक महत्व का विषय है । सारस टावर खरीदने पर बहुत व्यय होना है । मुझे जैसे ही पता चला मैं ने बात सरकार के ध्यान में ला दी है । इस सभा तथा देश की दृष्टि से यह बात अत्यन्त महत्व की है । मैं प्रधान मंत्री जी से जो नौवहन और यातायात के भी प्रभारी हैं, पूछना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है कि वर्तमान सारस टावर उसी व्यक्ति से खरीदे गये और क्या बिक्री के समय यह गारंटी दी गई थी कि इनका कार्य बिल्कुल ठीक होगा और सारस टावर 90 तक सीधे खड़े होंगे तथा उनसे निकली किरणें जल के सामानान्तर पड़ेंगी । अन्यथा यदि सारस टावर घूम जाता है तो उसका प्रकाश जल के अंदर पड़ेगा जिस से पन डुब्बियों को गलत दिशा मिल सकती है और यदि सारस टावर ऊपर को हो जाये तो वायुयानों

को गलत दिशा मिलेगी। क्या यह सच नहीं है कि जो सारस टावर सप्लाई किये गये हैं वे त्रुटिपूर्ण और दिगभ्रमित करने वाले हैं। यदि हां, तो क्या किसी जलपोत से कोई चित्र लिया गया है। यदि हां तो उसका विवरण क्या है?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य की जानकारी सही है।

अध्यक्ष महोदय : यह कह कर आपने उनकी प्रशंसा की है।

श्री मोरारजी देसाई : इस टावर में कुछ कोणीय त्रुटियां हैं जैसा कि उन्होंने कहा है इस लिए इसका अवलोकन किया जा रहा है। जैसा कि मैंने उत्तर दिया है इसी कारण हमने इसकी खरीद का आदेश नहीं दिया है। हमने कंपनी से इसमें जरूरी सुधार करने को कहा है। जब तक हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते हम क्रयादेश नहीं देंगे। पिछले समझौतों से यह बात नई है। पिछला समझौता संतोषप्रद नहीं था क्योंकि टावर आंधी में टूट सकता है या मुड़ सकता है। हम इस विशेष टावर की क्रिया को देख रहे हैं और मुझे अभी सूचना मिली है कि जामनगर में जो दल भेजा गया था वह वर्तमान परिस्थितियों में उसकी जांच नहीं कर सका है। अतः अभी यह कठिनाई आ रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दूसरे, क्या वह बतायेंगे कि जो 16 सारस टावर सरकार को खरीदने हैं उन पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है? तीसरे जिस कंपनी के साथ इस समय 16 टावर खरीदने की बात चल रही है क्या उस फर्म का इंगलैंड की डैका कंपनी से संबंध हैं जिन्होंने दीप घरों के लिए डैका दिक्चालन साधन सप्लाई किये थे जो निम्नस्तर के थे और जिन पर मूल लागत के बराकर व्यय करके आधुनिक बनाया गया था?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य को मुझ से अधिक जानकारी है। मुझे नहीं पता कि इंगलैंड में किसी कंपनी से उनका संबंध है। इन 16 टावरों की कुल अनुमानित लागत 264.7 लाख रुपये है जिसमें से 107 लाख रुपये विदेशी मुद्रा में होंगे। अभी यही अनुमान लगाया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आशा है कि अब श्री लकप्पा इस प्रश्न की उपयुक्तता के बारे में संदेह न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी सराहना की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि प्रधान मंत्री और मैंने आपसी समझौता करके यह प्रश्न उठाया है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आपातकाल के दौरान हुए यातना के मामलों के आंकड़े एकत्र करना

*345. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आपात-काल के दौरान हुए यातना के मामलों के आंकड़े एकत्र करने तथा इन्हें लोगों की जानकारी के लिए एक या दो खंडों में प्रकाशित करने का है ;

(ख) कितने मामले एकत्र किये गये हैं ; और

(ग) पुस्तक कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में रिपोर्ट

***348. श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1977 में उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भी राज्य सरकार ने ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Ban on Domestic Work by Orderlies and Misuse of Vehicles

***349. Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether fresh orders have been issued to stop officers from taking domestic work from orderlies and to prevent misuse of Government vehicles ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the order issued is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. L.T.-623/77]

'शोले' फिल्म के लिए 'यू' प्रमाणपत्र

***353. श्री शंकर सिंह जी वाघेला :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने श्री जी० पी० सिप्पी की बहुत से मामलों में सहायता की और यह भी निदेश जारी किया कि उनकी फिल्म 'शोले' को प्रदर्शन के लिए 'यू' प्रमाणपत्र जारी किया जाए ;

(ख) क्या सेंसर की जांच समिति ने पहले फिल्म को 'ए' (केवल व्यस्कों के लिए) प्रमाणपत्र देने की तथा अत्यधिक हिंसा के सीन काटने की सिफारिश की थी ;

(ग) क्या इस बीच सरकार का ध्यान इस बारे में दिनांक 11 जून, 1977 के 'ब्लिट्ज' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले की जांच कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, नहीं। उपलब्ध रिकार्ड से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता।

(ख) 'शोले' नाम फिल्म के मूल रूपांतर की जांच, केन्द्रीय फिल्म सैंसर बोर्ड की जांच समिति और पुनरीक्षण समिति द्वारा भी की गई थी, जिन्होंने कुछ कांट-छांट की शर्त के साथ इसको 'ए' प्रमाणपत्र प्रदान करने की सिफारिश की थी। फिल्म के निर्माता ने अपना आवेदन-पत्र वापस ले लिया और प्रमाणीकरण के लिए फिल्म 'शोले' का संशोधित रूपांतर प्रस्तुत किया। फिल्म के संशोधित रूपांतर को कुछ कांट-छांट की शर्त के साथ "यू" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) जब कि यह सही है कि, जैसा कि अखबार में छपा है, फिल्म प्रभाग के एक अधिकारी, रायपुर गए थे, किन्तु उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वे अपने साथ केवल समाचार-पत्रों की कुछ कतरनें ही ले गए थे, कोई सरकारी फाइल नहीं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम और भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा

***354. श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 के आरम्भ में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी अधि-नियम, भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत गरिफ्तार किए गए व्यक्तियों को स्वतन्त्रता सेनानियों का दर्जा देने और उन्हें ताम्रपत्र, पेंशन देने के बारे में एक योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या ऐसे बन्दियों को, जिन्हें राजनीतिक विचारधाराओं के कारण सेवा से निकाल दिया गया था, जिनका व्यापार पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गया है और जो हिरासत अथवा जेल में यंत्रणाओं के परिणामस्वरूप विकलांग हो गए हैं, जिनकी आंखें खराब हो गई हैं अथवा जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, नकद भुगतान करने, पेंशन देने, नई नौकरियां देने की योजनाएं भी सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों को भी राहत देने का है जिनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई अथवा नष्ट कर दी गई अथवा नष्ट करवा दी गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं, श्रीमान्।

"बाइटल बार्डर डाटा इन यू० एस० एक्सपर्ट्स हैण्ड्स" शीर्षक समाचार

*355. **श्री ए म० कल्याणसुन्दरम :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 1977 के "पैट्रियट" में "बाइटल बार्डर डाटा इन यू० एस० एक्सपर्टस हैण्ड्स" (सीमा सम्बन्धी महत्वपूर्ण आधार सामग्री अमरीकी विशेषज्ञों के हाथ में) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सरकार ने उक्त प्रैस रिपोर्ट देखी है।

(ख) तथा (ग). राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक निगरानी रखी जा रही है। ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

गोली चलने की घटना जिसमें भूतपूर्व रक्षा मंत्री की पुत्रवधु अन्तर्गस्त हैं

*356. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोली चलाने की उस घटना का पता है जिसमें भूतपूर्व रक्षा मंत्री की पूत्रवधु अन्तर्ग्रस्त थी :

(ख) क्या श्री बंसी लाल द्वारा इस मामले को दबा दिया गया था और कोई जांच नहीं कराई गई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : श्री बंसी लाल की पुत्रवधु पर श्रीमती नीलू चौधरी को उसके सोने के कमरे में रिवाल्वर की गोली से ठोडी के नीचे चोट लगी थी । पुलिस अधीक्षक, अम्बाला ने इसकी जांच की थी। श्रीमती नीलू चौधरी का पति और उसका भाई घटना के समय साथ वाले कमरे में थे। उसके अपने ब्यान के अनुसार जब वह एक अलमारी से कुछ निकाल रही थी तो वहां पड़ी एक बोतल की दवाई कुछ कपड़ों और अलमारी में पड़ी एक रिवाल्वर पर बिखर गई। इस तथ्य को जाने बगैर कि रिवाल्वर भरी हुई है वह रिवाल्वर को साफ करने लगी। रिवाल्वर अचानक चल गई और उसे जख्मी कर दिया। जांच से मालूम हुआ कि श्रीमती नीलू चौधरी द्वारा रिवाल्वर को लापरवाही से हाथ में लेने के कारण अचानक चोट लगी।

(घ) यदि कुछ तथ्य सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं तो सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय को समाप्त करने का प्रस्ताव

*357. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मंत्रालय को समाप्त करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके कृत्यों को विभिन्न अन्य मंत्रालयों को सौंपने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

कडप्पा स्टेशन के लिए तिरुपति में रिकार्डिंग स्टेशन

*358. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कडप्पा को प्रसारण हेतु भेजे जाने वाले कार्यक्रमों को रिकार्ड करने के लिए तिरूपति में कोई रिकार्डिंग स्टेशन है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि टी० टी० देवस्थानम ने इस स्टेशन की स्थापना के लिए अपना सहयोग देने की पेशकश की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां। तथापि, रेडियो/दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए ऐसे निकायों से आर्थिक सहायता स्वीकार करना सरकार की नीति नहीं रही है।

केरल में शान्त (साइलेन्ट) घाटी परियोजना

*359. **श्री के० ए० राजन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में शान्त (साइलेन्ट) घाटी परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (ख) और (ग). 1977-78 की वार्षिक योजना में राज्य क विद्युत् क्षत्र के लिए 25 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय में से साइलेन्ट वैली परियोजना के लिए केरल सरकार ने 2 करोड़ रुपए के परिव्यय का सुझाव दिया था । 1977-78 के लिए राज्य के विद्युत् क्षेत्र के लिए स्वीकृत परिव्यय 27 करोड़ रुपए है जिसमें साइलेंट वाली परियोजना हेतु 50 लाख रु० का प्रावधान है।

तथापि परियोजना के कार्यक्षेत्र में संशोधन के परिणामस्वरूप जब तक अन्तर्राज्यीय पहलुओं के सम्बन्ध में स्वीकृति नहीं मिल जाती तथा जब तक पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक परियोजना पर किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाना है।

Torture of Persons During Emergency

*360. **Shri Krishna Kumar Goyal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports appearing in the daily newspapers and other magazines published from different parts of the country about the inhuman tortures to which such persons were subjected who actively participated in the people's movement for safeguarding democracy during emergency; and

(b) the steps being taken by Government to ensure changes in the investigation methods of the police so that humane approach is adopted towards the people ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Efforts are being made to reorient the outlook of the police and to train them in scientific methods of investigation. Central financial assistance is also being given to the states to modernise their forces in order to help them to improve the standards of investigation of crimes.

Introduction of Day and Night Bus Service to connect Big Cities

*361. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to introduce day and night bus service at Central level with a view to connect big cities in the country; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) No Sir.

(b) Does not arrise.

पौधों से अत्यावश्यक तेल निकाला जाना

*362. **श्री के० लकप्पा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने पौधों से तेल निकालने की कोई प्रक्रिया विकसित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विशेष प्रकार की पौध सामग्री से संगध तेल निकालने की प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं, जिसमें मैन्था, साईट्रोनला लैमनग्रास, पालमारोसा महत्वपुर्ण है । इस प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत

पौधों की खेती और अनुकूलतम परिस्थितियों में वाष्प आसवन द्वारा उनसे अधिकाधिक सगंध तेल निकालना आते हैं । अर्क खींचने के लिये भपका और आसवन के उपकरणों की सुधरी किस्म बनाने के लिये डिजाइन भी तैयार किय गये हैं ।

बड़े गृहों के विस्तार पर प्रतिबन्ध की मांग

*363. **श्री शिवाजी पटनायक :**
श्री रोबिन सेन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज आफ इंडिया ने मांग की थी कि उत्पादन बढ़ाने के नाम पर बड़े गृहों के और आगे विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, हां । यह फेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज द्वारा दिये गये सुझावों में से एक सुझाव है ।

(ख) सरकार द्वारा 1973 में घोषित औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति द्वारा बड़े गृहों के (परस्पर सम्बद्ध उपक्रमों सहित) ऐसे उपक्रमों पर जिनकी परिसम्पतियां 20 करोड़ रुपये से कम नहीं हैं कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । बड़े औद्योगिक गृहों के उपक्रमों का प्रवेश कुछ निर्दिष्ट प्रमुख उद्योगों में अनुमत है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपुर्ण है या जिनका ऐसे उद्योगों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है अथवा जिनमें लम्बी अवधि तक निर्यात करने की क्षमता है । इन क्षेत्रों में भी सरकारी नीति लघु तथा मध्यम उद्योगकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने की है और उन्हें बड़े औद्योगिक गृहों के मुकाबले नयी क्षमता स्थापित करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है ।

सरकार ने अक्तूबर 1975 में मुद्रास्फीति को संयत करने तथा अधिष्ठापित क्षमता के पूर्णरुप से उपयोग किये जाने के दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से घोषणा की थी कि मध्यम श्रेणी के उद्यमकर्ता (एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम तथा/अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले उद्योगों से भिन्न) 29 चुने हुए उद्योगों में अपनी अधिष्ठापित क्षमता का असीमित उपयोग करने के लिए अनुमत हैं चाहे वह उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक ही क्यों न हो । एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम तथा/अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की परिवीक्षा के अधीन आने वाले इच्छुक औद्योगिक उपक्रमों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा विचार किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है । इस प्रकार के आवेदनों पर विचार करने के लिए एक अन्तर मंत्रालयीय कृतिकबल (टास्क फोर्स) द्वारा संवीक्षा सहित एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है । जिन उपक्रमों के प्रकरणों में अनुमति प्रदान की जाती है उन्हें अपने अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करना पड़ता है अथवा सरकार के निर्देशानुसार उसे बेचना होता है ।

मिजो विद्रोहियों द्वारा आत्मसमर्पण

2632. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मिजो विद्रोहियों ने हाल ही में मिजोरम के उप-राज्यपाल के पास आत्म-समर्पण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने शेष मिजो विद्रोहियों द्वारा आत्मसमर्पण किये जाने के बारे में अपनी नीति की घोषणा की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 65 भूमिगत मिजो, 38 राइफलों, 14 स्टेन् गनो और दो पिस्तोलों सहित 9 जून, 1977 को उप-राज्यपाल के समक्ष औपचारिक रूप से आये थे ।

(ग) जी हां, श्रीमन् । सरकार की नीति उन तत्वों के साथ जिनकी निष्ठा देश के बाहर हो अथवा पृथकतावादी विचार के हों और जो देश के शांतिप्रिय नागरिकों का सामान्य जीवन भंग करके तथा हिंसा के जरिए तथा विघटन द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं दृढ़तापुर्वक निपटने की है, और इसके साथ उनसे जिन्होंने सूझबूझ से काम लेकर, स्वेच्छापूर्वक हिंसा छोड़ दी है और शांतिपूर्ण नागरिकों के रूप में अपना जीवनयापन करने के लिए बाहर आ गये हैं बहुत सहानुभूति-पूर्वक व्यवहार करने और उनको समाज में उचित स्थान प्रदान करने की ही है ।

जम्मू के निकट एक आश्रम पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा

2633. श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक दल ने जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शुद्र महादेव में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम पर छापा मारा था और बहूत से अभिशंसी कागजात तथा वस्तुयें पकड़ी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुछ गांवों में पेय जल की कमी

2634. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में अंदमान और चावड़ा द्वीप समूह जिले में बिमलिटन, टेलराबाद, डालीगंज, पथरागाडा, पहाड़गांव, केडलेगंज, तुषनाबाद, फेरीरगंज, सुन्दरगढ़, नीलम्बूर, रजतगढ़, फलैट बे, लांग आइलैंड, येरालटा, एरियल बे, सुभास ग्राम,

लिटल अंदमान नमूना घर, हाथी टापू, डुडुसप्वाइंट नामक गांवों में और निकोबार जिले के कुछ गांवों में सत कई वर्ष से पेय जल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). अन्डमान द्वीप में अधिकांश गांवों में खुले कुओं अथवा पाइप सप्लाई अथवा दोनों तरीकों से जल सप्लाई संतोषजनक है । कुछ स्थानों पर पोखर भी हैं । किन्तु गर्मियों के दौरान थोड़े से स्थानों से पर कुछ कमी महसूस की जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए दो गांवों में ट्रक द्वारा जल की सप्लाई की जाती है । अधिक कुएं खोदकर अथवा पाइप लाईनें बिछा कर सुधार करने पर विचार किया जा रहा है । वास्तव में केडलेगंज तुंषनाबाद, फ्लैट बे गांव, लांग आइलैंड और एरियल बे जैसे कुछ स्थानों में सुधार की योजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है ।

2. इन द्वीपों के गांवों में मकान सामान्यत: बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं जिनमें कृषि अथवा बन क्षेत्र है और पाइप जल सप्लाई योजनाएं अलाभकारी तथा प्राय: अव्यवहार्य हैं । किन्तु ऐसे क्षेत्रों में कुएं खोदे जा रहे हैं जहां वर्तमान जल सप्लाई अपर्याप्त है ।

3. लिटिल अण्डमान द्वीप में गांवों में जल की कोई कमी नहीं है ।

4. 1329 जनसंख्या वाले चौड़ा द्वीप (निकोबार) में कोई जल साधन नहीं है । छतों से वर्षा का जल एकत्रित करके और उसे उचित रूप से साफ करने के बाद गर्मियों में सप्लाई करने की एक योजना प्रगति पर है ।

पश्चिमी तट पर छोटे बन्दरगाह

2635. **श्री वसन्त साठे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पश्चिमी तट पर छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर होने वाले परिव्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनका किस तरह का विकास करने का विचार है और उन परियोजनाओं पर कुल कितना पूंजी निवेश होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). बड़े पत्तनों से भिन्न अन्य पत्तनों के विकास का कार्यकारी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है । राज्य सरकारों को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कुछ चुने गए लघु पत्तनों के विकास के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया गया था । केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 10 करोड़ रु० की पांचवीं योजना की व्यवस्था चौथी योजना में स्वीकृत योजनाओं को आगे ले जाए गए एक व्यय को केवल पूरा करने के लिए है ।

पश्चिमी तट पर उक्त योजनाओं में पोरबन्दर, मियाबे और बेपुर के पत्तन शामिल किए गए । पोरबन्दर में योजना के मुख्य कार्य, जिसे 7.22 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है, वे पनकट दीवार का निर्माण घाट और बांध घाट के साथ-साथ घाटों का निर्माण है । बेपुर योजना की समस्त लागत 111.67 लाख रु० है जिसका बहुत बड़ा भाग निकर्षण के लिए है । मियाबे के लिए स्वीकृत योजना में 20 फुट डुबाव तक के जहाजों के लिए सुरक्षित लंगरगाह की व्यवस्था और पनकट दीवार का निर्माण शामिल है । परियोजना जो पूरी हो गयी है, की स्वीकृत लागत 107.00 लाख रुपए थी ।

सेन-रैले साइकल फैक्ट्री, आसनसोल

2636. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सेन-रैले साइकिल फैक्ट्री आसनसोल के प्रबन्धक सेन-रैले कर्मचारी यूनियन के साथ, जो बहुत समय से मान्यताप्राप्त यूनियन है तथा सेन-रैले फैक्ट्री के कर्मचारियों के भारी बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है, बातचीत नहीं कर रहे हैं ।

(ख) क्या वर्तमान प्रबन्धक सभी मामलों में काँग्रेसी नेतृत्व वाली उस यूनियन के साथ बात-चीत कर रहे हैं जो अवसरवादी यूनियन है और 1975 में ही बनाई गई थी तथा उस यूनियन के साथ सांठ-गांठ करके प्रबन्धक इस कारखाने और कालोनी में अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं जिससे औद्योगिक शांति भंग हो रही है; और

(ग) क्या सरकार स्थानीय प्रबन्धकों को मान्यताप्राप्त यूनियन के साथ बात-चीत करने को विवश करेगी तथा कांग्रेसी नेतृत्व वाली यूनियन के साथ सांठ-गांठ करके अनुचित कार्यवाही को बन्द करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) सैन-रैले कर्मचारी संघ (सी० आई० टी० यू० से सम्बन्ध) द्वारा बहुसंख्यक सदस्यता का दावा सत्यापन हेतु राज्य सरकार को भेजा गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा सत्यापन के उपरान्त जो भी संघ मान्य ठहराया जायेगा उसके साथ प्रबन्धक वर्ग बातचीत करेगा ।

गोआ, दमन और दीव से आय

2637. **श्री एडुआर्डो पैलीरो :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्तन शुल्क से गोवा, दमन और दीव से पृथक पृथक केन्द्रीय राजकोष को कितनी वार्षिक आय होती है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ऐसा कोई पत्तन शुल्क नहीं है जो गोआ, दमन और दीव से केन्द्रीय राजकोष को होता है । परन्तु गोआ प्रशासन ने सूचित किया है कि 1976–77 के दौरान गोआ, दमन और दीव बजरा कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्देशीय जलमार्गों में चलने वाले बजरों पर कर और भारतीय वाष्प जलयान अधिनियम के अन्तर्गत कुछ अन्य विविध प्राप्तियों से 22.32 लाख रु० जमा हुये । इसमें से गोआ में 21.79 लाख रु०, दमण में 0.22 लाख रु० और दीव में 0.31 लाख रु० जमा हुये ।

ग्वालियर में आकाशवाणी कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिए स्टूडियो

2638. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्वालियर में आकाशवाणी कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिए एक स्टूडियो स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना में ग्वालियर के सहायक केन्द्र को पूर्णरूपेण मूलरूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्र में परिवर्तित करने की बात है । स्टूडियो ढांचे में, मुख्यतया एक संलग्न अनाउंसर बूथ सहित एक संगीत स्टूडियो; एक संलग्न अनाऊंसर बूथ सहित एक वार्ता स्टूडियो; एक कन्ट्रोल रूम और एक अलग रिकार्डिंग व डबिंग रूम होंगे ।

शिलांग समझौते के बाद छुपे नागाओं का पुनर्वास

2639. **श्रीमती रानी एम० शायजा :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भूतपूर्व छुपे नागाओं के पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) कितने व्यक्तियों को धनराशि दी गई तथा उन्हें कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या शिलांग समझौते से पूर्व जो छुपे हुए व्यक्ति बाहर आ गए थे उनको वही सुविधाएं दी जायेंगी और जो शिलांग समझौते के अन्तर्गत इन व्यक्तियों को दी जायेंगी; और

(घ) भूतपूर्व छुपे नागाओं को सहायता और पुनर्वास सुविधाओं के निर्धारण की क्या कसौटी है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) नागालैण्ड में भूतपूर्व छिपे नागाओं के पुनर्वास के लिए नियत राशियां इस प्रकार हैं :—

	1975–76	1976–77	1977–78
(1) केन्द्रीय सहायता	25 लाख रुपए	33 लाख रुपए	—
(2) राज्य सरकार द्वारा दी गई	8.4 लाख रुपए	10 लाख रुपए	10 लाख रुपए

(ख) नागालैण्ड सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 953 भूतपूर्व छिपे व्यक्तियों को 11 नवम्बर, 1975 के शिलांग समझौते के बाद कुल 46.74 लाख रुपए का पुनर्वास अनुदान दिया गया।

(ग) तथा (घ). सरकार की नीति निरन्तर उन छिपे व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने सूझबूझ से काम लेकर, स्वेच्छापूर्वक हिंसा छोड़ दी है और देश के शान्तिपूर्ण नागरिकों के रूप में अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर आ गए हैं बहुत सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने और उनको समाज में उचित स्थान प्रदान करने की रही है । पुनर्वास सहायता की मात्रा प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

कास्ट एक्रीलिक शीटों का उत्पादन तथा उनकी मांग

2640. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कास्ट ए क्रीलिक शीटों का भारत में उत्पादन होता है ;

(ख) इस उत्पाद की भारत में कितनी मांग है; और

(ग) इसके वर्तमान निर्माता कौन हैं और उनकी उत्पादन क्षमता/उत्पादन क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, हां । एक्रिलिक शीटों का उत्पादन भारत में में लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है ।

(ख) एक्रिलिक शीटों की मांग सम्बन्धी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) लघु औद्योगिक एककों की वर्ष 1973 में की गई गणना के अनुसार 1972 में लघु उद्योग क्षेत्र के 70 एककों द्वारा एक्रिलिक शीटों का उत्पादन किया जा रहा था । उनकी कुल क्षमता 4,58,14,000 रु० थी तथा वर्ष 1972 में 2,07,99,000 रु० का उत्पादन किया गया था ।

उड़ीसा राज्य में आदिवासियों की स्थिति

2641. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण कराया है और उनकी दशा सुधारने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य में अनुसूचित जातियों (आदिवासियों) के लोगों की समस्याओं विशेषतया उनकी जीवन यापन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार ने उड़ीसा में अधिक संख्यक आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कुछ अध्ययन किए हैं । एक उप-योजना इन क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है जिसमें जांच-परिणाम को ध्यान में रखा गया है । विस्तृत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं को भी तैयार किया गया है जिनमें उन क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है ।

(ग) अधिक महत्वपूर्ण समस्यायें जिनका पता चला है, इस प्रकार हैं :—

(1) प्रति व्यक्ति निम्न आय;

(2) कृषि के पुराने तरीके अपनाना;

(3) सिचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता;

(4) दुर्बल साख व विपणन ढांचा;

(5) आदिवासियों के उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाओं का अभाव;

(6) ऋण ग्रस्तता ।

(7) शराब बेचने वालों द्वारा शोषण ।

(8) स्थानान्तरण शील कृषि पर निर्भरता ।

(9) साक्षरता की निम्न प्रतिशतता; और

(10) कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त पेय जल सुविधा की कमी, अपौष्टिक भोजन तथा वी० डी० तथा कुष्ठ जैसी बीमारियों का प्रचलन ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिए भूमि सम्बन्धी न्यायाधिकरण में एक न्यायाधीश की नियुक्ति

2642. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, मोनिडीह, धनबाद के लिए भूमि सम्बन्धी न्यायाधिकरण में एक न्यायाधीश की नियुक्ति करने का प्रस्ताव सरकार के पास बहुत समय से अनिर्णीत पडा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, मोनिडीह ने इस बारे में अपनी सिफारिशें भेजी हैं;

(ग) क्या न्यायाधीश की नियुक्ति न किये जाने से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्ध तथा ग्रामवासियों दोनों को ही अर्जित की जाने वाली भूमि के मूल्य सम्बन्धी विवाद पर कठिनाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इसके लिए न्यायाधीश की नियुक्ति कब तक करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० जो अब सेण्ट्रल कोल फील्डस लि० रांची हो गया है, ने कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14(2) के अधीन न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) बनाने के लिए एक नए अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था । इस पद का पिछला अधिकारी फरवरी, 1976 में सेवा निवत्ति हो गया था । यह मामला प्रारम्भ में इस बात को लेकर रुका रहा कि यह न्यायाधिकरण पूर्णकालिक हो अथवा अंशकालिक । बाद में यह मामला इस पद के लिए किसी व्यक्ति के वास्तविक चयन की प्रक्रिया के कारण भी रुका रहा । अब बिहार राज्य के लिए जिस व्यक्ति से अंशकालिक (पार्ट टाइम) न्यायाधिकरण बनेगा उसका चयन हो गया है और उसकी नियुक्ति शीघ्र ही होने की आशा है ।

मोनीडीह परियोजना के भूस्वामियों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है और कोयला कम्पनी ने अधिग्रहीत भूमि का कब्जा भी ले लिया है । मुआवजे की रकम बढ़ाने के कुछ दावों पर ही निर्णय होना बाकी है ।

महरौली से केन्द्रीय सचिवालय के लिए बस सेवा

2643. **श्री रामकंवर बेरवा :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महरौली से केन्द्रीय सचिवालय आने वाले लोगों को दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा सुविधाएं कम होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) रूट सं० 530 पर अर्थात महरौली से अजमेरी गेट तक दिल्ली परिवहन निगम की कुल कितनी बसें चलती हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार रूट सं० 530 पर बस सेवा में वद्धि करने तथा दफ्तर जाने वालों को केन्द्रीय सचिवालय तक एक पृथक बस उपलब्ध कराने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। व्यस्ततम समय में इस इलाके को और—से बसें कुछ अपर्याप्त हैं।

(ख) 7।

(ग) अतिरिक्त बसों के उपलब्ध होने पर मामले पर विचार किया जायेगा। महरौली और केन्द्रीय सचिवालय के बीच नई सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किये गये विश्वविद्यालयों के शिक्षक तथा छात्र

2644. **श्री रशीद मसूद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल के दौरान भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों से कितने शिक्षक तथा छात्र गिरफ्तार किये गये ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी

कम्प्यूटर लगाना

2645. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1973 से मार्च, 1977 के अन्त तक भारत में कुल कितने कम्प्यूटर लगाये गये ;

(ख) इनमें से आई० बी० एम०, यू० एस० तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य कंपनियों के अलग-अलग कितने कम्प्यूटर थे ;

(ग) क्या एक अन्तर-मंत्रालयीय दल ने भारत में आई० बी० एम० की गतिविधियों की जांच की थी, और यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्ष क्या निकले और इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की गईं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अप्रैल, 1973 और मार्च, 1977 के बीच भारत में लगाए गए कम्प्यूटरों की कुल संख्या 136 है।

(ख) इन कम्प्यूटरों में से अमेरिका की इंटरनेशनल बिजनेस मशींस द्वारा 5, ब्रिटेन की इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड द्वारा 19, अमेरिका की अन्य कंपनियों द्वारा 40, जापान की कंपनियों द्वारा 2, सोवियत रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों द्वारा 11; तथा सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम भारतीय इलेस्ट्रानिकी निगम लिमिटेड द्वारा 59 कम्प्यूटर लगाए गए।

(ग) भारत में कम्प्यूटर आंकड़ा संसाधन उपस्कर (कम्प्यूटर डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट) लगाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स नामक कम्पनी ने जो कीमतें आदि वसूल करती हैं, उनकी जांच करने के लिए गठित अन्तर्मंत्रालयी कार्यकारी दल ने मार्च, 1977 में अपने निष्कर्ष और सिफारिशें सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दी है और सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इक्विटी पूंजी में भागीदारी

2646. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा जनता से इक्विटी पंजी मांगे जाने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Backward Districts in the Country

2647. Shri Jagadambi Prasad Yadav : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the number and names of district in the country, particularly in Bihar State which have become backward for want of economic, social, educational, political and transport means;

(b) whether Santhal Pargana in Bihar State having tribal dominated population is very backward as its headquarter is not even linked by a railway line; and

(c) if so, steps taken for development of Santhal Pargana ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) A list of areas indentified as backward by the State Governments on thier own criteria, including Bihar is laid on the Table of the House. [*Placed in library See No.* L.T.—624/77]

(b) Santhal Parganas is one of the areas identified as backward by the State Government. It is true that its headquarters is not linked by any railway line. However, the backwardness of the district may be attributed to a multiplicity of factors.

(c) The backwardness of the Santhal Pargana, with its predminantly tribal population, is sought to be overcome through a sub-Plan for the area. This sub-Plan covers Dumka, Pakur, Rajmahal and Jamtara Sub-Divisions and Sundarpohari and Boarijore Blocks of Godda Sub-Division. The Sub-Plan aims at narrowing the gap between the levels of development of tribl and other areas and improving the quality of life of tribal communities. The important measures being taken in this direction aim at checking land alienation, indebtedness and malpractices in exchange of agricultural and forest produce. The development programmes in the Sub-Plan emphasise programmes such as big diameter wells liming of acidic soil, horticulture, animal husbandry, utilisation of forest produce, improvement of marketing structure and linking of education with employment potential on the basis of such strategy, Integrated Tribal Development Projects are being drawn up for each project area.

कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन

2648. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक कार्य विभाग ने कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के लिए 15 सितम्बर, 1973 को कोई विशेष फारमूला बनाया था जिसके अनुसार शाखा को आयात लाइसेंसों को तथा अपने निर्यात की 80 प्रतिशत राशि स्वदेश भेजने की अनुमति होगी ;

(ख) क्या वर्ष 1975 के तुलनापत्र में निर्यात की राशि 5,37,057 रुपये तथा चालू वर्ष में मुख्य कार्यालय को आयात लाइसेंसों के अतिरिक्त भेजी गई लाभ की राशि 71,23,076 दिखाई गई है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) विदेशी मुद्रा के निर्गम पर प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से सरकार ने यह शर्त रखी थी कि वर्ष 1-1-1969 से लेकर 31-3-1972 तक सभी मदों (आयात,लाभ, कार्यालय का ऊपरी व्यय, क्षेत्रीय कार्यालय व्यय, सेवा प्रभार आदि) पर कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि । इन वर्षों की अवधि में स्वयं कारपोरेशन द्वारा किये गये कुल निर्यात से अर्जित रकम के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये तथा 1 अप्रैल, 1972 से इस प्रकार की भेजी जाने वाली धनराशि उनके अपने उत्पादन की वस्तुओं के निर्यात से अर्जित रकम के 80 प्रतिशत स अधिक नहीं होना चाहिये ।

(ख) जी, हां । फिर भी वर्ष 1975 के तुलन पत्र में मुख्यालय के लिये 71,23,076 रुपये के लाभ की राशि जिसे भेजने का जो प्रावधान किया गया था । वह वर्ष 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के बारे में है ।

(ग) लाभ आदि के रूप में 1974 से रकम के भेजे जाने की अनुमति देने का प्रश्न रिजर्व बैंक आफ इंडिया के विचाराधीन है ।

विशेषज्ञों के विदेश जाने पर प्रतिबन्ध

2650. **श्री शिव सम्पति राम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी के महत्वपुर्ण क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विदेशों में जाने पर प्रतिबन्ध लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Plan to Raise Standard of living of Harijans and Girijan Adivasis

2651. Shri Yagya Datt Sharma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a plan for the coming year of raise the standrad of living of Harijans and Girijan Adivasi people; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) & (b). The new strategy as adopted in the Fifth Five Year Plan for the development of backward classes including Harijans and Girijan adivasis, has the twin objectives of improving the quality of life of these people and narrowing the gap between the levels of development of these people and the general population. In order to achieve these objectives, greater emphasis has been placed on the role of general sectors in providing a major thrust to the development of backward classes. In the Central Plan, emphasis has been placed on post-matric scholarships, schemes for coaching of

students and girls's hostels. In the State Plans, provision has been made inter alia for educational incentives, subsidised housing, various agricultural programmes and requirement of development corporations. Tribal sub-plans incorporating programmes of particular significance to the tribal economy are being prepared for areas with large concentration of Scheduled Tribes. These programmes will be implemented through the Integrated Tribal Development Projects.

तेल के बारे में चक्रवर्ती समिति का प्रतिवेदन

2652. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के बारे में चक्रवर्ती समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातें अनुबन्ध में दी गई हैं ।

"विवरण"

(1) "दल" कोयले को तेल में बदलने की विभिन्न प्रौद्योगिकियों की जांच करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय कोयले के लिए यह विधि अनुकूल रहेगी कि इसका पहले गैसीकरण किया जाए जिसके बाद गैस को कृत्रिम ईंधन में बदलने की प्रक्रिया अपनाई जाए । यह विधि बीच के अंकों डीजल तेल और केरोसिन के अधिकतम उत्पादन के लिए अपनाई जा सकती है ।

(2) दल ने यह सिफारिश की है कि इस प्रकार का पहला संयंत्र रानीगंज कोयला क्षेत्र में और दूसरा सिंगरौली में लगाया जाए ।

(3) इस प्रकार के प्रतिवर्ष एक मिलियन टन कृत्रिम कच्चा तेल उत्पादन की क्षमता वाले संयंत्र की अनुमानित पुंजी लागत लगभग 700 करोड़ रुपए बताई गई है । इस परियोजना में विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 150 करोड़ रुपये होगा ।

(4) "दल" ने यह सिफारिश की है कि उत्प्रेरकों की आवश्यकता देश में ही पूरी करने के लिए नए नए उत्प्रेरकों का विकास किया जाए ।

(5) दल ने यह सिफारिश भी की है कि केरोसिन और तरल पेट्रोल गैस के स्थान पर प्रयोग के लिए घरेलू कोक के उत्पादन हेतु अनेक निम्नतापीय कार्बनीकरण संयंत्र लगाए जाएं । उनके उप उत्पादनों का प्रयोग रसायन निकालने अथवा जमाकर कृत्रिम ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है ।

Officers of Research and Analysis Wing

2653. **Shrimati Mrinal Gore** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Dr. G.N. Verma was an officer in Research and Analysis Wing and what was his designation ;

(b) whether Dr. Verma was sent to Bombay, Ahmedabad and Calcutta during emergency and the period for which he stayed there ;

(c) the location of Dr. Verma's office in these places, the nature of duties entrusted to him and the nature of reports submitted by him to the Central Government and about whom these reports were submitted ; and

(d) the action taken on these reports.

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). There was no officer of the name of Dr. G.N. Verma working in Research and Analysis Wing. Therefore, the question of giving his designation and of sending him to Bombay, Ahmedabad and Calcutta does not arise.

(c) and (d) Do not arise.

दि क्लोपिंग फैक्टरी वर्दस यूनियन मद्रास के महा सचिव से प्राप्त अभ्यावेदन

2654. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'दि क्लोदिग फैक्टरी वर्कर्स यूनियन, मद्रास" के महासचिव से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पीड़ित किये गये श्रमिकों को पिछले वेतन पर बहाल कर दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जी हां । क्लोदिग फैक्टरी वर्कर्स यूनियन, मद्रास से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि जिन चार कार्यमगारों को 1971 के दौरान सेवा से निकाल दिया गया था उन्हें वेतन तथा भत्तों के पूरे लाभों सहित पुन: सेवा में ले लिया जाए ।

इन कामगारों को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमावली 1971 के नियम 14 के अधीन, अनुशासन भंग करने, सरकारी ड्यूटियों को पूरा करने से इंकार करने और सामान्य अनधिकार प्रवेश आदि के कारण सेवा से निकाला गया था । इन चारों कामगारों द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपील-प्राधिकारी ने विचार किया था और उनमें से दो कामगारों को 1974 में नए कामगारों के रूप में पुन: नियुक्त करने के आदेश दिए थे । तथापि, शेष दो कामगारों की अपील को रद्द कर दिया गया था । अब उन्हें पूरे वेतन एवं भत्तों पर बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आपातकाल के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के बर्खास्त किये गये तथा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारी

2655 **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल के दौरान विभिन्न आरोपों में दिल्ली परिवहन निगम के कितने-कितने कर्मचारी श्रेणीवार, बर्खास्त किये गये तथा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये ; और

(ख) सरकारी नीति के अनुसार कितने कर्मचारी बहाल कर दिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिल्ली परिवहन निगम का कोई भी कर्मचारी अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त नहीं किया गया । संबंधित अवधि में एक संवाहक बरखास्त किया गया । इसी अवधि में 251 संवाहकों, 42 ड्राइवरों, 38 वर्कशाप कर्मचारियों और 12 अनुसचिवीय । पर्यवेक्षी कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त की गई ।

(ख) डी० आर० टी० ए० (नियुक्ति और सेवा शर्तें) विनियम, 1952 के खंड 9 (बी) के अधीन बिना कारण बताये जिन 97 व्यक्तियों की सेवाए समाप्त की गई, उन्हें पुनः सेवा में ले लिया गया है ।

लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए विभाग

2656. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु मध्य तथा सहायक क्षत्रों को मान्यता प्रदान करने के लिए लघु तथा मध्यम क्षेत्र के लिए मन्त्रालय में एक विभाग खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और ;

(ग) ऐसा विभाग कब स्थापित किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उटता ।

Abolishing B.S.F and C.R.P.

2657. Shri Ishwar Choudhary : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Congress Government had to spend a lot of money on the maintenance of the Central Reserve Police and the Border Security Force ;

(b) whether present Government propose to abolish both these forces and thus reduce the expenditure in this regard ; and

(c) if so, policy of Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) A statement is attached showing expenditure on C.R.P. and B.S.F. for the financial years 1974-75, 1975-76 and 1976-77.

(b) and (c). There is no proposal to abolish both these forces, but Government have decided to review the existing strength of these forces for effecting economy in expendi ure in the maintenance of these forces.

STATEMENT

Statement —showing Expenditure on C.R.P. and B.S.F.

Year	B.S.F.	C.R.P.
	(*Rupees in Thousands*)	
1974-75	61,14,45	46,16,90
1975-76	69,40,16	57,74,30
1976-77	71,93,93	54,82,41 (provisional)

पिछड़े राज्यों में कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

2658. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए पिछड़े राज्यों जैसे आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा नांगालैण्ड को कौन-कौन से प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित पिछड़े राज्यों की सहायता देने वाले ढांचे के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये हैं । ये प्रोत्साहन पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोग के उन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होंगे जिनका इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय समय पर विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं :—

आसाम का कछार जिला, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड ।

1. पूंजीगत सहायता

(i) उन संस्थानों को जो कमजोर वर्ग वाले क्षेत्रों पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को स्वयं हाथ में लेंगे खादी और ग्रामोद्योगों के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन एककों से सम्बन्धित स्वीकृत औजारों, उपकरणों और मशीनों को स्वीकृत मूल्य पर शतप्रतिशत अनुदान के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ii) ये उपकरण अलग अलग उद्योगों को या तो उपलब्ध कराये जाएं अथ वा उनके इस्तेमाल के लिये उनके हाथ बोने जाने के लिए स्वीकृत औजारों, उपकरणों और मशीनों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत की वित्तीय सहायता भरण के आधार पर स्वीकृत मूल्य के अनुसार प्रदान की जायेगी ।

(iii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋ ण के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ।

2. कार्यकारी पूंजी

कमजोर वर्गों और पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए संस्थानों को खादी और ग्रामोद्योगों के लिए सामान्य रूप में स्वीकृत प्रणाली के आधार पर उसी दर पर और उन्हें विनियमित करने वाली उन्हीं शर्तों और उपबन्धों पर कार्यकारी पूंजीसहायता प्रदान की जायेगी ।

(2) खादी और ग्रामोद्योगों की सहकारी समितियों अंशपूंजी के लिए सामान्य ढांचे के आधार पर ऋण प्रदान किया जायेगा ।

(3) सोसायटी पंजयीयन अधिनियम, 1860 अथवा सरकारां द्वारा लगाये गए अन्य अधिनियमों के अधीन पंजीकृत संस्थानों के लिए पूंजी तैयार करने के लिये ऋण उनकी अपनी पूंजी के चार गुने के बराबर दिया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा 1,50,000 लाख रुपये होगी बशर्ते कि संस्थानों द्वारा लिया गया कुल ऋण उसकी अपनी आस्तियों जिसमें पूंजी विनिर्माण ऋण भी शामिल है के दस गुने से अधिक न हो ।

3. प्रबन्धकीय सहायता

कर्मचारी के वेतन और अन्य प्रासंगिक खर्चे जैसे आकस्मिक यात्रा भत्ता आदि को पूरा करने के लिए पांच वर्ष के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी जिसकी दर 3,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी ।

4. प्रशिक्षण

बढ़ईगीरी और लोहारगीरी उद्योग के अधीन सहायता का ढांचा निम्न प्रकार होगा :—

(1) 90 रु० प्रतिमास की दर से 3 मास के लिये शिक्षावृत्ति .	270 रु०
(2) प्रति प्रशिक्षु औसत यात्रा भत्ता . . .	50 रु०
(3) प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए प्रतिप्रशिक्षु 25 रु० की दर से प्रतिमास 3 महीने तक	75 रु०
योग प्रति प्रशिक्षु	395 रु०

5. विशेष प्रणाली

कमजोर वर्गों और पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यक्रमों के लिए ऊपर बताई गई सुविधाओं की सामान्य प्रणाली के अतिरिक्त कुछ और भी योजनाएं हैं जो केवल कमजोर वर्गों, पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को ही सुलभ हैं। केवल कमजोर वर्गों, और पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) नये भण्डारों को सहायता

वर्ग	खादी की वार्षिक फुटकर बिक्री जो होने की आशा है या वास्तव में हुई है	फर्नीचर और जुडनारों (पिक्चरों) के लिए अनुदान
1.	5,000 से 20,000 रु० तक	लागत का 75 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 1500 रु० होगा और शेष ऋण के रूप में।
2.	20,000 से 40,000 रु० तक	लागत का 75 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 3,000 रु० होगा शेष ऋण के रूप में।
3.	40,000 रु० से अधिक	लागत का 50 प्रतिशत अधिक से अधिक 10,000 रु० और शेष ऋण के रूप में होगा।

(2) बुनकरों का पुनःस्थापन

निम्नलिखित मदों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक बुनकर परिवार का 1,000 रु० तक का अनुदान स्वीकार किया जायेगा :—

(क) बुनाई उपकरणों की लागत, विद्यमान।

(ख) बुनाई उपकरणों को उसके स्थल से बुनाई केन्द्र तक का परिवहन प्रभार।

(ग) बुनाई उपकरण लगाने पर होने वाला खर्च।

(घ) बुनकरों को ले जाने और पुनः स्थापन पर अदा की जाने वाली मजदूरी ।

(ङ) बुनकर परिवार को शेड अथवा आवास की व्यवस्था करने पर हुआ व्यय; और

(च) एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने वाले बुनकर और उनके परिवार के लिए यात्रा-भत्ता, द्वितीय श्रेणी का वास्तविक रेलभाड़ा अथवा तांगा या बस सहित उपलब्ध अन्य किसी प्रकार के परिवहन की न्यूनतम श्रेणी जमा यात्रा की अवधि में 2 रु० प्रति-दिन के हिसाब से प्रासंगिक खर्चे ।

(3) हाथ की बुनाई का संबर्द्धन करना

निम्नलिखित आधार पर सहायता स्वीकार की जायेगी :—

	रुपए
(क) पारस्परिक चरखा चालू करने के लिए मानदेय	1.00
(ख) छात्रवृत्ति प्रति प्रशिक्षु .	5.00
(ग) सूत उत्पादन पर कमीशन . .	1.00
(घ) मूल्य में हुई हानि को पूरा करने के लिए राज सहायता	4.00
योग	11.00

चालू किए गए प्रत्येक नए पारस्परिक खर्चे पर 11 रुपए की दर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता के अलावा हाथ से की जाने वाली बुनाई का संवर्द्धन करने के लिए संस्थान द्वारा नियोजित कर्मचारी के वेतन के लिए आयोग द्वारा शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । अनुदान की राशि प्रतिवर्ष 1,200/- रु० से अधिक नहीं होगी । शुरू में यह एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी और उसके बाद आयोग द्वारा सुनिश्चित किए गए ग्रेडों में दी जायेगी ।

(4) अभिकरण बिक्री योजना

खादी की बिक्री का मूल्य	मानदेय की दर । प्रतिमाह
(1) 150 रु० प्रति माह तक . . .	कुछ नहीं
(2) 150 रु० से अधिक पर 400 रु० मासिक तक .	25 रुपए
(3) 400 रु० से अधिक 500 रु० मासिक तक	30 रु०
(4) 500 रु० से अधिक 600 रु० मासिक तक . .	35 रु०
(5) 600 रु० से अधिक 700 रु० मासिक तक . .	40 रु०
(6) 700 रु० से अधिक 800 रु० मासिक तक . .	45 रु०
(7) 800 रु० से अधिक प्रतिमाह . . .	50 रु०

(5) चल प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए सामान्य प्रणाली के अन्तर्गत अधिक से अधिक 4000 रु० का अनुदान देने के अलावा कर्मचारियों के वेतन के लिए भी अनुदान दिया जायेगा । एक कर्मचारी के वेतन के लिए मिलने वाला यह अनुदान एक उपयुक्त ग्रेड के वेतनमान में होगा जिसका

सुनिश्चय आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रथम वर्ष के लिए अनुदान की राशि 100 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।

वर्ष 1964 के कार चोरी के मामले की जांच

2659. **डा० सरदीश राय :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारीशस में भूतपूर्व भारतीय हाई कमीशनर श्री धर्म यशदेव ने उनसे वर्ष 1964 के कार चोरी के मामले की जांच पुनः आरम्भ कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख), उक्त मामले की जांच पुनः आरम्भ कराने के बारे में श्री धर्म यशदेव से हाल में एक पत्र प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

आपातकालीन स्थिति के दौरान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

2660. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्रमिक और कर्मचारी संघ ने प्राधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को परेशान किये जाने के बारे में शिकायत की है ;

(ख) क्या आपातकालीन स्थिति के दौरान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा गलत तरीके से सेवा-समाप्ति , अनुचित पदोन्नतियों, फ्लैटों का आवंटन रद्द करने, अत्यधिक खर्चे, कुप्रशासन संबंधी शिकायतों की सरकार ने जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). जो शिकायतें सरकार को प्राप्त हुईं उनकी जांच करने पर यह पाया गया कि वे निराधार थीं। सेवा समाप्ति एवं पदोन्नति सम्बन्धी मामलों पर की गई कार्यवाही पूरी तरह से, लागू नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार थी। फ्लैटों का आबंटन लागू प्रक्रियाओं के आधार पर सिर्फ ऐसे मामलों में रद्द किया गया जहां लोगों ने उन्हें आबंटित किये गये आवासों को अनधिकृत रूप से आगे किराये पर चढ़ा दिया था। फिजूल खर्ची के किसी भी खास मामले की शिकायत नहीं मिली है ।

उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन परीक्षण के अन्तर्गत केरल में टेलीविजन कार्यक्रम

2661. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उपग्रह शैक्षिणक टेलीविजन प्रशिक्षण के अन्तर्गत केरल में कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने सितम्बर, 1975 में इस आशय का सुझाव दिया था ।

(ख) तकनीकी संभाव्यता की जांच करने पर ऐसा करना संभव नहीं पाया गया । राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री को स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

News Bulletins from Jaipur Television Centre

2662. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether news bulletins have not so far been telecast from Jaipur Television Centre ; and;

(b) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) Yes, Sir.

(b) The present set up at Jaipur Transmitter does not have the facilities to originate any programme. It puts out only the programme pre-recorded at Delhi.

Withdrawal of Cases Against Political Prisoners

2663. Shri Bhanu Kumar Shastri : Will the Minister of **Home Afiairs** be pleased to state :

(a) whether all the cases in respect of political prisoners and prisoners of the banned organisations during emergency have been withdrawn from the courts ;

(b) if not, the number of such caseswhich have notbeen withdrawn so far and also the details thereof State-wise ; and

(c) the reasons thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh):(a) to (c). :State Governments/Union Territory Administrations have been advised to withdraw all cases instituted under DISIR pending investigation or trial except those against economic offenders and those involved in acts of violence. They have also been requested to consider remitting the sentences of those already convicted under various provisions of DISIR except the two categories mentioned above. The Government have also advised the State Governments/Union Territory Administrations that cases of Naxalite undertrials prisoners and convicts may be considered sympathetically if they give indication of their desire to eschew the path of violence and to participate in the democratic process. Specific information regarding political prisoners and members of the banned organisations is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

पिछड़े जिले घोषित करने सम्बन्धी मानदंड

2664. **श्री आर० डी० गट्टानी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजसहायता और रियायत का पात्र होने के लिए राज्यों में "पिछड़े जिले" घोषित करने सम्बन्धी कौन कौन से मानदंड हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में उन्नत जिलों को प्राथमिकता देते हुए वस्तुत: कुछ पिछड़े जिलों को छोड़ दिया गया है और इसलिए वस्तुत: "पिछड़े जिले" (जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली, नागौर) औद्योगिक क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार मानदंड में पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है ताकि समद्ध और उन्नत जिलों की बजाए वस्तुतः पिछड़े जिलों को प्राथमिकता मिल सके ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) से (ग). योजना आयोग ने राजसहाताओं तथा रियायतों की पात्रता के लिये "पिछड़े क्षेत्रों" का पता लगाने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड नियत किए हैं :

1. उसे आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ जिला होना चाहिये जिसमें औद्योगिक विकास के लिये अत्यावश्यक न्यूनतम अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं विद्यमान होनी चाहिएं।

2. उपर्युक्त श्रेणी के अधीन आने वाले जिलों का पता लगाने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त सुझाए गये हैं :

(i) क्या जिला प्रमुखरूप से खाद्यान्न खड़ी फसल उत्पादक है, इस पर निर्भर करते हुए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल का उत्पादन। (अन्तर जिला तुलना हेतु खाद्यान्न तथा वाणिज्यिक फसलों के बीच परिवर्तन की दर राज्य सरकार द्वारा, जहां आवश्यक हो, पूर्वानिश्चित आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये)।

(ii) कृषीय कर्मचारियों की सापेक्षता में जनसंख्या का अनुपात।

iii) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सफल)

iv) प्रति एक लाख की जनसंख्या पर कारखाने के कर्मचारियों की संख्या अथवा वैकल्पिक रूप से प्रति एक लाख की जनसंख्या पर तथा तृतीयक गतिविधियों में लगे हुए लोगों की संख्या।

(v) प्रति व्यक्ति बिजली की खपत।

(vi) जनसंख्या की तुलना में समतल सड़कों की लंबाई अथवा जनसंख्या की तुलना में रेल की लम्बाई।

(vii) वित्तीय संस्थानों द्वारा उचित प्रोत्साहनों के लिये केवल राज्य के औसत सूचकांकों से नीचे वाले जिले ही चुने जायें।

उपर्युक्त मानदण्ड मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में अपनाए जाने के लिये योजना आयोग द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को इस अनुरोध के साथ भेजे गये थे कि वे रियायती दर पर वित्त पाने हेतु औद्योगिक रुप से पिछड़े जिलों का पता लगाकर के अपनी सिफारिशें भेजें। इस प्रकार पता लगाये गये जिलों में से पिछड़े जिलों में 6 जिले/क्षेत्र तथा राज्यों में 3 जिले/क्षेत्रों का निवेश राजसहायता देने हेतु पता लगाया गया था। इस समय इन मानदण्डों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सरकार योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, डूगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झंन्झूनू, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही,

टोंक तथा उदयपुर रियायती दर पर वित्त पाने के लिये पिछड़े हुए तथा अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर तथा उदयपुर जिले निवेश राजसहायता हेतु कम ठहराये गए हैं ।

बिजली का उपभोग

2665. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा, सरकारी क्षेत्र द्वारा, अलग अलग किये गये बिजली उपभोग की प्रतिशतता क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : राज्य बिजली बोर्ड तथा अन्य विद्युत सप्लाई संस्थान घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि आदि जैसे विभिन्न किस्म के उपभोक्ताओं को ऊर्जा की सप्लाई करते हैं तथा विक्रय और कनेक्टेड भार आदि का विवरण इन्हीं वर्गों के अन्तर्गत रखा जाता है । अत: विद्युत के उपभोग का सार्वजनिक क्षेत्रवार तथा निजी क्षेत्र वरा वर्गीकृत रूप में अलग अलग विवरण राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य सप्लाई संस्थाओं में सरलता से उपलब्ध नहीं है ।

भारत में संगणक प्रौद्योगिकी

2666. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में संगणक प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उत्पादन, वितरण आदि की समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए संगणक प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या सरकार का विचार रोजगार स्थिति में गम्भीर असंतुलन पैदा किये बिना प्रौद्योगिकी के चरणबद्ध कार्यान्वयन को प्रोतसाहन देने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क). से (घ). कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग-अनुसंधान एवं विकास इंजीनियरी डिजाइन, साधन स्रोतों के उपयोग, उत्पादन की योजना बनाने, प्रादेशिक स्तर पर योजना बनाने, कुशल प्रबन्ध कार्य में योगदान देने की दष्टि से उच्चस्तरीय कम्प्यूटर प्रशिण तथा व्यापारिक अनुप्रयोगों में अधिकाधिक तथा व्यापक आधार पर किया जा रहा है । जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाता है वे हैं : कृषि और खाद्यान्न; मौसम विज्ञान; रक्षा जल संपदा; तेल की खोज; ऊर्जा; शिक्षा तथा शोधकार्य; अंतरिक्ष अनुप्रयोग; इंजीनियरी डिजाइन इस्पात; परिवहन और संचार; औद्योगिक उत्पादन की योजना बनाना; अपराधों का पता लगाना निर्णय लेने में सहयोग देने के लिये प्रबंध सूचना प्रणालियां; पोत-निर्माण; यंत्रेतर-सामग्री (सफ्टवेयर का उत्पादन तथा उनका निर्यात ।

इलेक्ट्रानिकी विभाग ने उत्पादन की योजना बनाने, वितरण कार्य आदि के सिलसिले में उन अनुप्रयोगों का अध्ययन किया है जो कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के लिये उत्प्रेरक सिद्ध हो सकते हैं । देश के विभिन्न स्थानों में इस प्रकार के अनुप्रयोगों के बारे में शुरूआत कर दी गई है । इन अध्ययनों के परिणामवरूप औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने विशेषकर प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली (प्रोसेस कंट्रोल) के जरिए उत्पादन बढ़ाने; अल्प मात्रा में उपलब्ध साधन-स्रोतों का इष्टतम ढंग से उपयोग

करने क्वालिटी में सुधार करने; उत्पादन की योजना बनाने और माल-सूची पर नियंत्रण रखने तथा विपणन एवं वितरण-कार्य में कम्प्यूटर के उपयोग को बढ़वा दिया गया। कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई और इन क्षेत्रों में कम्प्यूटरों के उपयोग को बढ़वा दिया जा रहा है। ये क्षेत्र हैं : तेल, विनिर्माण उद्योग, रक्षा आदि।

प्रयोक्ता से इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त होने पर कि वह किसी खास प्रयोजन के लिये कम्प्यूटर का प्रयोग करेगा इलेक्ट्रानिकी विभाग उसके औचित्य की विस्तृत जांच करता है और उसके बाद ही कम्प्यूटरों के आयात तथा उनके उपयोग के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। जिस में क्षेत्रों में कम्प्यूटरों के इस्तेमाल के लिए आयात की अनुमति प्रदान की जाती हैं उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें, निर्यातोन्मुखी उत्पादन, उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और अधिक सक्षम प्रणाली, इंजीनियरी डिजाइन, शिक्षा और अनुसंधान तथा विकास, तो शामिल ही हैं तथा साथ ही ऐसे वाणिज्यिक अनुप्रयोग भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य श्रमकी बचत करने अथवा प्रतिष्ठा स्थापित करना न हो। इलेक्ट्रानिकी विभाग की नीति समुचित स्वचालन को बढ़वा देना है ताकि रोजगार के अवसर बजाये घटने के उत्तरोत्तर बढ़ाये जा सकें और साथ ही साथ कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो सके।

आकाशवाणी कलाकारों की सेवा शर्तें

2667. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के विभिन्न आकाशवाणी स्टेशनों में विभिन्न श्रेणी के आर्टिस्ट नियुक्त किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन नियुक्तियों की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इन आर्टिस्टों को नैमित्तिक/विशेष नियुक्ति के आधार पर रखा जाता है और इनको भविष्य निधि, ग्रेच्यूटी, पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलता है;

(घ) इन आर्टिस्टों के काम के घंटे क्या रखे गये हैं और क्या इन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि दी जाती है; और

(ङ) क्या इन आर्टिस्टों को विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर प्रशासनिक कार्य करने के लिए भी कहा जाता है और यदि हां, तो क्या उन्हें इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां। आकाशवाणी कार्यक्रम तैयार करने एवं उन्हें प्रस्तुत करने और कार्यक्रमों के तैयार करने में सहायता करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आर्टिस्टों को दीर्घकालिक स्टाफ आर्टिस्ट अनुबन्ध पर लगाती है।

(ख) इस प्रकार के स्टाफ आर्टिस्ट को शुरू में तीन वर्ष के अनुबंध पर लगाया जाता है। परिवीक्षा पूरी होने पर उनको 58 वर्ष की आयु तक अनुबंध दे दिया जाता है। पुनरीक्षण के बाद, उनको आगे 60 वर्ष की आयु तक जारी रखा जाता है। स्टाफ आर्टिस्टों के साथ किये जाने वाले करार के फार्म की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई।** देखिए संख्या एल०टी०–625/77.]

(ग) दीर्घकालिक स्टाफ आर्टिस्टों को नैमित्तिक/विशेष नियुक्ति के आधार पर नहीं रखा जाता और वे अंशदायी भविष्य निधि और ग्रेच्यूटी के हकदार हैं, परन्तु वे पेंशन के हकदार नहीं हैं।

कुछ आर्टिस्टों को विशिष्ट रूप से आकस्मिक अनुबंध के आधार पर रखा जाता है और वे इन लाभों के हकदार नहीं हैं।

(घ) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट सामान्यतया प्रतिदिन 7 घंटे कार्यालय समय के दौरान या पारियों में काम करते हैं। स्टाफ आर्टिस्ट अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक के हकदार हैं।

(ङ) प्रोड्यूसरों को, जो स्टाफ आर्टिस्ट अनुबंध पर रखे जाते हैं, कार्यक्रमों के तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने से संबंधित प्रशासनिक कार्य भी करना होता है। अनाऊंसरों को भी कभी-कभी आवश्यकतानुसार लाग बुकों को भरने, यन्त्रों की खराबियों के बारे में रिपोर्ट करने आदि जैसे कार्य (जो उनके लिए निर्धारित कार्यों में शामिल हैं) करने होते हैं। चूंकि यह उनके सामान्य कार्यों का एक अंग है। अतः अतिरिक्त भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता। किसी भी स्टाफ आर्टिस्ट को केवल प्रशासनिक कार्य करने के लिए नहीं रखा जाता, सिवाय जनरल असिस्टेंटों, कापीइस्टों की श्रेणी के, जो मृतप्राय संवर्ग हैं और इन पदों पर कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है। अब इन पदों पर भर्ती लिपिकों के रूप में की जा रही है।

बड़ौदा जिले के आदिवासियों को पीटा जाना

2668. **श्री गंगाधर अप्पा ब्रांडे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडौदा जिले के आदिवासियों को एक हजार किलोग्राम चांदी, जो रंगपुर आश्रम के कांग्रेस नेता श्री संजय गांधी को उनकी निर्धारित बड़ौदा यात्रा के दौरान भेंट करना चाहते थे, दान देने से मना करने के लिए पुलिस द्वारा पीटा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को सजा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में पिछड़े जिले

2669. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में एसे कौन-कौन से जिले हैं जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए ठहराये गये हैं।

(ख) क्या इन जिलों में गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक एकर्कों की स्थापना किये जाने के लिए भूमि आबंटन संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या मापदंड अपनाये गये हैं।

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) से (ग). गुजरात राज्य में रियायती दर पर वित्त दिये जाने हेतु औद्योगिक दृष्टि से पूर्वनिश्चित किये गये जिले : अमरेली, बनासकंठा, भावनगर, भडौंच, जूनागढ़ कच्छ, मेहसाना, पंचमहाल, साबरकंठा तथा सुरेन्द्रनगर हैं। उपर्युक्त जिलों में से भडौंच, पंचमहाल तथा सुरेन्द्र नगर जिले भी केन्द्रीय निवेश राज सहायता पाने के पात्र हैं।

2. गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने इन जिलों में औद्योगिक बस्तियों का विकास किया है तथा वह इन बस्तियों में उद्योग स्थापित करने हेतु विकसित प्लाटों तथा शेडों का आवंटन करता है।

3. गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा गुजरात के पिछड़े राज्यों में औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु भमि आवंटन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मानदण्ड अपनाए गये थे।

गुजरात औद्योगिक विकास निगम की बस्तियों में बने बनाये क्षेत्र का ब्यौरा, भवन सीमान्त के लिये खुला स्थान, कुछ कच्चे माल का भंडारण, विस्फोटक सामग्री विनियमों के अधीन आवश्यक स्थान, तथा भावी विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकताओं पर विचार कर लेने तथा औद्योगिक एककों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के बाद भूमि आवंटित की जाती है। आवेदन पत्र देने की तारीख तथा "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त के आधार पर प्राथमिकता निश्चित की जाती है। वहां 10,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि की आवश्यकता होती है वहां आवंटन का निश्चय उद्योग निदेशालय के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्धारण किए जाने के बाद राज्य उद्योग आयुक्त की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। प्लाट तथा शेड किराया-खरीद के आधार पर आवंकित किये जाते हैं। प्रारंभिक अदायगी 20 प्रतिशत रखी गई है तथा शेष धनराशि 10 वर्षों की अवधि में वसूल की जाती है।

संसद् सदस्यों से गृह मंत्रालय को प्राप्त पत्र

2670. **श्री उग्रसेन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों, एसोसियेशनों, सार्वजनिक संस्थाओं और जनता से प्रति सप्ताह उनके मंत्रालय को औसतन कितने पत्र प्राप्त होते हैं ;

(ख) क्या इन सभी पत्रों की पावती दी गई है तथा उन सभी का उत्तर दिया गया है, और संबंधित पक्ष को अन्तिम उत्तर भेजा गया है ;

(ग) क्या इस विषय पर सरकार के सभी मंत्रालयों और विभिन्न विभागों द्वारा अनुसरण किये जाने हेतु कोई समान संहिता बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) मई, 1977 के माह के आंकड़ों के आधार पर, एक सप्ताह के दौरान गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा राजभाषा विभाग में प्राप्त सभी पत्रों की औसतन संख्या 22,500 है। इनमें से संसद् सदस्यों से पत्रों की संख्या 65 है। अन्य वर्गों के लिए पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) तथा (घ). जी हां, श्रीमान्। कार्य विधि की व्याख्या संलग्न कार्यालय कार्य विधि पुस्तिका के पैरा 45 के उद्धरण में तथा गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39011–(18) 1/77–स०द०प० दिनांक 24–5–1977 की प्रतिलिपि में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल०टी०–626/77]

आपातकालीन स्थिति में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से अधिकारियों की बर्खास्तगी

2671. **डा० बापू कालदाते** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई से बहुत से प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इनकी बर्खास्तगी के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

Fare rates of D.T.C.

2673. **Shri Kalyan Jain** : Will the Minister of **Shhipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there is resentment among the short distance commuters of D.T.C over the present fare rates ; and

(b) whether Government propose to introduce 10 or 15 paise tickets again ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Government are not aware of any such resentment.

(b) No Sir.

Construction of Bridge and Barrage on Gagan River

2673. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Central Government have given grant to Uttar Pradesh Government under plan scheme for the conxtruction of a barrage and a bridge over the Gagan river in Chhitauni, district Rampur in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the progress made so far ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shortage of Energy in the Country

2674. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether there is shortage of energy in the country and 'gobar' is used as energy ;

(b) whether Government propose to save 'gobar' and utilize solar energy for cooking purposes ;

(c) if so, the time by which this hearth would be made available to the farmers ; and

(d) main features of other schemes under consideration of Government for meeting the shortage of energy ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Gobar is used as a domestic fuel, particularly in rural areas. This is a traditional practice and is not a consequence of any energy shortage.

(b) and (c). The Government's plan is to preserve manurial value of gobar and at the same time, use it as a source of energy, largely through popularisation of the bio-gas technology. Treatment of gobar in bio-gas plants provides bio-gas which can be used as fuel and slurry which can be used as manure.

Research and developmental activities relating to application of solar energy for various purposes are in progress. Solar cookers for domestic use have been developed successfully in the laboratories. However, they have not yet won social acceptability and come into commercial use so far mainly due to social habits and economic constraints and inherent draw-backs of solar cooking. Solar energy is not available uniformly throughout the day and generally it is not available during the normal hours of cocking. Focussing type solar cookers, which can give high temperatures, require bright sunshine for their operation. Thus, they cannot be used on cloudy days The temperatures attainable from non-focussing type solar cookers are low, which limit their usefulness. Further research and developmental activities are required to make solar energy acceptable for cooking purposes from all standpoints.

(d) The Government have formulated an energy policy to ensure adequate availability of energy to meet the needs of the society. This policy envisages mainly (i) coal as the principal source of energy to the extent practicable and economic, (2) to achieve self-reliance in oil to the extent possible by maximising indigenous production and reducing imports and consumption, (3) conservation of energy and energy resources, (4) priority for meeting rural energy needs and (5) research and developmental activities to develop new sources of energy.

Side by side, a continuing programme to add to installed capacity to meet the growing electrical energy demands is also being undertaken.

आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करना

2675. **श्री के० बी० चेत्तरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस भाषा के सलाहकार समिति के सदस्य कौन-कौन से हैं और इनके चयन के मानदंड क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक सदस्य की अर्हतायें और नेपाली भाषा की कृतियां क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई सलाहकार समिति गठित नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मारुति हैवी व्हीकल्स में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के महाप्रबंधक की नियुक्ति

2676. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के महाप्रबंधक ने सड़क कूटने वाले इंजनों के निर्माण के बारे में मारुति हैवी व्हीकल्स (प्रा०) लिमिटेड को प्रमाण-पत्र दिया था; और

(ख) क्या उपरोक्त महाप्रबंधक को इस बीच मारुति हैवी व्हीकल्स में महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योग मंत्रालय को इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी यह देखा जायेगा कि मारुति हैवी व्हीकल्स (प्रा०) लिमिटेड द्वारा रोड रोलरों के निर्माण और बिक्री से संबंधित मामले गृह मंत्रालय की 30-5-1977 की अधिसूचना द्वारा नियुक्त किये गये जांच आयोग के विचारार्थ विषयों में सम्मिलित हैं।

Application for Indian Citizenship by Pakistani Nationals in Shahjahanpur District

2677. Shri Surendra Bikram : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals in Shahjahanpur district who have applied for Indian citizenship ; and

(b) the number of Pakistani nationals out of them who have been issued long-term visas and since when and the time by which they would be granted Indian citizenship ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मद्रास में नाविक रोजगार दफ्तर

2678. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई और कलकत्ता की तरह मद्रास पत्तन में कोई नाविक रोजगार दफ्तर स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेना में भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार

2679. **श्री चान्द राम :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में भर्ती के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे समाप्त करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). पुलिस के पास रजिस्टर कराये गये भ्रष्टाचार के केवल कुछ ही मामलों की समय-समय पर सूचना मिली है और उन पर जांच-पड़ताल के परिणामों के आधार पर कार्रवाई की गई है। जो व्यक्ति दोषी पाये गये उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है।

Murder of Naxalites Outside Bhagalpur Special Central Jail

2680. Dr. Ramji Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the murder of about 14 naxalites outside Bhagalpur Special Central Jail at about 1.00 p.m. on the 4th May, 1976 who had escaped from the jail and about whom it is stated that they died inside the Jail ;

(b) If so, reasons for supressing this incident so far ; and

(c) whether Central Government propose to appoint an Inquiry Commission to enquire into this mass murder and give compensation to the affected families ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) The Government of Bihar has reported that after stabbing two wardens fatally and after inflicting injuries on two warders with knives, prisoners made an attempt to escape from the Special Central Jail, Bhagalpur on 4th May, 1976 at about 3.00 p.m. Two prisoners were shot dead while attempting to escape whereas 18 of them managed to escape by using ladders to scale over the wall. The escaping prisoners were found in possession of daggers, pistols, bombs etc. During their escape an alarm bell had been sounded at 3.25 p.m. and the escaping prisoners were chased by the warders in different directions. To prevent the escape of prisoners, the warders disabled some by lathi blows and fired upon some. As a result of this action, 14 prisoners were killed—12 outside the jail and two inside. The dead included 10 Naxalites, 3 convicts and 1 MISA (criminal) detenu. A few of the prisoners were chased upto the bank of river Ganga. One convict jumped into the river and is believed to have been drowned.

(b) and c) The State Government had directed Commissioner, Bhagalpur Division to enquire into all aspects of the jail break. He has not yet submitted his inquiry report to the State Government. Further, the Shah Commission is looking into the excesses committed on the detenus during the Emergency. Appropriate action will be taken by the State Government in the light of the findings of the Commission.

नागपुर में टेलीविजन केन्द्र

2681. श्री टी० एस० श्रंगारे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के बारे में जनता ने मांग उठाई है तथा सरकार को यदा-कदा प्रतिवेदन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के मामले में क्या आम मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों का पालन किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) नागपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में कुछ सुझाव/पूछताछ हुई हैं।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण नागपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तकनीकी संभाव्यता और अपेक्षित वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर देश के यथा-संभव अधिक से अधिक क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का उद्देश्य होगा।

फिल्मों को 'यू' प्रमाणपत्र दिया जाना

2682. **श्री अनंत दवे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने कुछ मामलों में फिल्मों के कुछ निर्माताओं और निदेशकों के साथ पक्षपात किया था और फिल्म सेंसर बोर्ड की अस्वीकृति के बावजूद उनकी फिल्मों को 'यू' प्रमाणपत्र दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, नहीं। रिकार्ड से ऐसा संकेत नहीं मिलता

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

सेना में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों की भरती

2683. **श्री ब्रज भूषण तिवारी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों को सेना में सभी पदों तथा यूनिटों में भरती नहीं किया जाता है तथा केवल वीर जाति के लोगों को योग्य समझा जाता है तथा उन्हें भरती किया जाता है;

(ख) क्या यह नियम नागरिकों में जाति संबंधी भेदभाव की भावना पैदा करके देश की एकता के लिए हानिकारक सिद्ध नहीं हो रहा है; और

(ग) क्या सरकार यह आदेश जारी करने को है कि सभी स्वस्थ नागरिकों को बिना जातिगत भेदभाव के सेना में भरती किया जायेगा तथा सेना में आने के इच्छुक ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अपनी जाति बताना आवश्यक नहीं होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। सरकार इस प्रकार कथित 'मार्शियल' और 'नान-मार्शियल' जातियों के बीच कोई भेद नहीं मानती है। सभी जातियों के लिए सेना में भर्ती खुली है जिनमें पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जातियां भी सम्मिलित हैं बशर्ते वे शारीरिक, शैक्षिक, और चिकित्सा संबंधी निर्धारित स्तरों को पूरा करते हों। तथापि, जिन रैजिमेंटों में भर्ती ऐतिहासिक कारणों की वजह से जाति के आधार पर की जाती है उनमें केवल उन्हीं जाति के रंगरूटों को भर्ती किया जाता है जिनसे वे रैजिमेंटें बनाई गई हैं। अन्य जातियों के रंगरूटों को इस प्रकार की रैजिमेंटों में नहीं लिया जाता है। उन्हें अन्य रैजीमेंटों में रखा जाता है बशर्ते कि उनमें रिक्त स्थान हों।

(ख) और (ग). वर्तमान प्रणाली ऐतिहासिक कारणों की वजह से चल रही है। इस प्रणाली को बरकरार रखना उपयुक्त समझा गया है, चाहे इस प्रणाली से कुछ ही जातियों को लाभ

पहुंच रहा हो, और यदि किसी प्रकार का समायोजन किया जाना हो तो उसे केवल धीरे-धीरे किया जा सकता है।

भर्ती होने वाले रंगरूटों को जाति अथवा समुदाय बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि--

(1) जाति संरचना के अनुसार उन्हें ठीक रैजिमेंट में रखा जा सके; और

(2) सर्विस रिकार्ड को अच्छी तरह से प्रमाणित किया जा सके और आंकड़ों को ठीक प्रकार से रखा जा सके।

ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

मंत्रालय में अधिकारी

2684. श्री मोहम्मद शकी कुरेशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सभी विभागों में कुल कितने निदेशक, उप सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा सचिव हैं; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ऐसे कितने अधिकारी है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :

	पद नाम	वर्तमान अधिकारियों की संख्या
(क)	1. सचिव	3
	2. अतिरिक्त सचिव	6
	3. संयुक्त सचिव	15
	4. निदेशक	19
	5. उप सचिव	36
(ख)	1. उप सचिव	1
	2. निदेशक	1

गोआ के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

2685. श्री आर० के० महालगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे स्वतन्त्रता सेनानी जिन्होंने गोआ मुक्ति आन्दोलन में भाग लिया था और जेल गये थे, पेंशन पाने के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक उनमें से कितने सेनानियों को पेंशन दी गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् यदि वे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं।

(ख) 30 जून, 1977 तक गोआ के 519 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी गई हैं।

Opening of Ashram Schools in Adivasi Areas

2686. Shri Ishwar Choudhary : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given suggestions to the State Governments that they should open 'Ashram' schools in Adivasi areas with a view to encouraging study habits in the students of these backward areas ; and

(b) if so, the amount being given to each state during the current year ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) The State Governments have been requested to establish Ashram schools specially in the sparsely populated tribal areas where other institutions are not feasible on account of small size of their habitations.

(b) Government of India give a block grant in the form of Special Central Assistance which can be used by the State Governments for approved programmes in the Tribal- sub-plans which may include Ashram schools. The total outlay in 1977-78 for Ahsram schools in the States/ Union Territories having tribal sub-plan is given in the statement annexed.

STATEMENT

Estimated Outlay on Ashram Schools in 1977-78 in the States/Union Territories having Tribal Sub-Plans

	Name of State/Union Territory	Amount (Rupees lakhs)
1.	Andhra Pradesh	174·14
2.	Assam	no ashram schools
3.	Bihar	42·00
4.	Gujarat	121·00
5.	Himachal Pradesh	1·45
6.	Karnataka	22·45
7.	Kerala	15·44
8.	Madhya Pradesh	16·60
9.	Mahrashtra	230·52
10.	Manipur	6·85
11.	Orissa	81·71
12.	Rajasthan	15·10
13.	Tamil Nadu	6·34
14.	Tripura	no ashram schools
15.	Uttar Pradesh	17·73
16.	West Bengal	6·90*
	Union Trrritories	
17.	Andaman & Nicobar Islands	No ashram schools
18.	Goa, Daman & Diu	5·00

*For Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

All India Engineering Service

2687. Shri Meetha Lal Patel : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken or propose to take a decision to declare Engineering as All India Service ; and

(b) if so, the time by which this decision is likely to be implemented ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) and (b). The All India Services Act, 1951, was amended in September, 1963 to provide for the creation *inter alia*, of the Indian Service of Engineers.

2. Formal orders constituting the Service could not be issued because the Governments of Assam, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal, who had earlier agreed to participate in the Service, subsequently withdrew their consent. Efforts have been continuing to pursuade the dissenting State Governments to reconsider their stand in the larger natianal interest. As a result of these efforts the Governments of Assam, Himachal Pradesh, Kerala and West Bengal have since agreed to participate in the scheme of the Service. However, the Government of Jammu and Kashmir and Tamil Nadu have, even on reconsideration, reiterated their earlier stand not to participate in the scheme.

3. It is difficult, at present, to indicate any time limit for formally constituting the Service.

यूगोस्लाविया और भारत के बीच औद्योगिक सहयोग

2688. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूगोस्लाविया के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिये दोनों देशों ने कुछ दूरगामी निष्कर्ष निकाले है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत यूगोस्लाविया संयुक्त समिति की नई दिल्ली में मई, 1977 में हुई ग्यारहवीं बैठक में औद्योगिक सहयोग को और आगे बढ़ाने के अर्थीपायों पर विचार करते समय दोनों पक्षों ने :—

(1) उन विशिष्ट उत्पादों का पता लगाया जिनकी इन देशों से निर्यात बढ़ाने की संभावना हैं जैसे भारत में निर्यात के लिए विभिन्न इंजीनियरी उत्पाद, इस्पात उत्पाद, रसायन उत्पादआदि और यूगोस्लाविया से निर्यात के लिए अलौह धातुएं उर्वरक, शिप आदि ।

(2) भारत यूगोस्लाविया सहयोग से भारत में चल रही परियोजनाओं की प्रगति को और तेज करने के लिए सहमत हो गए ।

(3) यूगोस्लाविया में परियोजनाओं में अधिक से अधिक भारतीय सहभागिता प्राप्त करने हेतु अधिक बल देने को सहमत हो गए; और

(4) भारत, यूगोस्लाविया और तीसरे देशों में भारत-यूगोस्लाविया औद्योगिक सहयोग के लिए नए और विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया ।

जबरन नसबन्दी के प्रश्न पर पुलिस द्वारा कथित गोलीबारी

2689. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबरन नसबन्दी करने के लिये पुलिस ने देश के विभिन्न भागों में गोलियां चलाई थीं । जिसके फलस्वरूप जुलाई, 1975 से जनवरी, 1977 तक बहुत से लोग मारे गये तथा घायल हुए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख). राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार, जुलाई, 1975 से जनवरी, 1977 तक की अवधि के दौरान परिवार नियोजन अभियानों से सम्बन्धित घटनाओं में केवल हरियाणा, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश राज्यों में पुलिस ने 15 बार गोली चलाई, जिससे 33 व्यक्ति मरे और 105 व्यक्ति घायल हुए ।

Irregularities in Heavy Engineering Corporation

2690. **Shri Ishwar Choudhary :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to set up a Committee to go into irregularities such as retrenchment and termination of services of employees, committed by Heavy Engineering Corporation during the emergency ; and

(b) if so, the facts thereof ?

Minister of Industry (Shri Brijlal Verma) : (a) and (b). Government constituted a Committee on 2nd May, 1977 to examine the major demands of the employees of the Heavy Engineering Corporation Ltd. (HEC) Ranchi. The Committee will, *inter alia* review the cases of the employees of HEC whose services were terminated during the emergency and will examine the policies and procedurs in HEC in respect of recruitment, management development, promotion, employment of dependents, redressal of grievances etc.

बैंकिंग विभाग का समाप्त किया जाना

2691. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग विभाग को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी हां । इस विभाग का कार्य अब आर्थिक कार्य विभाग और राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है । यह निर्णय कार्य को सुव्यवस्थित करने तथा खर्चे में कमी लाने के लिए लिया गया है ।

Amount Earmarked for Rural and Urban Cottage Industries

2692. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether an amount has been earmarked to be given as loan for the rural and urban cottage industries during the current year ; and

(b) if so, the figures thereof ?

The Minister of Industry (Shri Brijlal Verma) : (a) and (b) : Rupees 35 crores have been earmarked for the grants and loans including interest subsidy in respect of Khadi and Village Industries under the Plan items. The break-up thereof is indicated below :

Budget Estimates 1977-78 (*Rs. in crores*)

Khadi Grant	7·40
Khadi Loan	10·70
Village Industries Grant	2·40
Village Industries Loan	6·10
Interest subsidy	8·40

In addition to above a part of the provision under the following heads may also become available to cottage type of small industries in rural and urban areas.

Budget Estimates 1977-78
(*Rs. in crores*)

	Grant	Loan
Rural Industries Project/Rural Artisans Programme	2·53	1·87
Seed/margin money to entrepreneurs	2·00	4·00

Border Violations

2693. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the number of minor raids and untoward incidents that took place from Pakistan side on Indian soil during the last two years and whether there has been any loss of life and property therein and the action taken by Government thereon ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Over the last two calendar years, 1975 and 1976, there have been six minor raids. There were 86 firing incidents from the Pakistan side on Indian soil during the last two years. These incidents do not include normal border crimes. There was no loss of life or property during firing incidents. A statement is attached giving particulars of losses and recoveries during the raids.

Such incidents are sought to be resolved at local level. Our security forces are maintaining constant vigilance on the border and have orders to take firm action where necessary.

Statement

1. On the 19th April, 1975, two Pakistani Rangers forcibly kidnapped 2 Patwaris and one civilian. After fiag meetings, the kidnapped persons were received back on the same day.

2. On the 1st of April, 1975 a patrol of Pakistani Rangers forcibly took away two Indian civilians and eight camels. After a flag meeting on 11th April, the 2 Indian civilians were returned alongwith the 8 camels.

3. On the 14th of August, 15 Pakistani civilians and 5 Pakistani Rangers forcibly took away 587 heads of cattle. After flag meetings, the cattle were recovered.

4. On the 10th/11th of January 1976, 4 Pakistani miscreants kidnapped one women and her daugheter from Indian territory. Despite fiag meetings and the lodging of a strong protest, the woman and her daughter have not been returned as yet.

5. On the 19th of August, 1976, one Naik of the Pak Rangers entered Indian territory and tried to take away 7 goats and 12 cows by force, but was over-powered by the owner and relieved of his rifle with two magazines and three rounds.

6. On the night intervening the 25th/26th October 1976, some Pakistani miscreants entered Indian territory and kidnapped one woman, her two sons and a daughter. A strong protest was lodged with Desert Rangers, and the case was taken at local fiag meetings. The kidnapped persons have not yet been returned.

सैनिक स्कूलों का प्रशासन

2694. **श्री वयालार रवि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों के सुचारु संचालन हेतु उनके प्रबन्ध को सैनिक स्कूल समितियों से वापस लेकर सांविधिक संस्था के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक स्कूलों में वेतनमान

2695. **श्री वयालार रवि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों में वर्तमान वेतन-मान कब लागू किए गए थे ;

(ख) क्या गत 15 वर्षों से वेतनमानों का कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है और यदि हां तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार का विचार वर्तमान वेतन-मान को कब पुनरीक्षित करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1961

(ख) जी हां । धन की कमी के कारण वेतन-मानों का पुनरीक्षण नहीं किया जा सका ।

(ग) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से सैनिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की वर्तमान दरों में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है । छात्रवृत्ति में प्रस्तावित वद्धि से कर्मचारियों के वेतनमान को पुनरीक्षित करने तथा उन्हें महंगाई भत्ता देने और अन्य खर्चे के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो जाएगा । कुछ राज्य सरकारें तो वर्तमान छात्रवत्ति की दर में वृद्धि करने के लिए पहले ही सहमत हो गई है जबकि कुछ अन्य सरकारें इसके लिए आंशिक रुप से सहमत हुई हैं । कई राज्य सरकारें इस प्रस्ताव पर अभी विचार कर रही हैं । जब सभी विभिन प्राधिकारियों द्वारा छात्रवत्ति की दर में वृद्धि कर दी जाएगी तो सैनिक स्कूलों में कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

Encouragement of Small Local Newspapers

2696. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to encourage the small local newspapers ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) & (b) A statement regarding assistance provided to small newspapers is attached.

"STATEMENT"

Assistance provided to Small Newspapers

To encourage the small newspapers, the Press Information Bureau has a number of services. In-depth stories written in simple and capsule form covering developments in agriculture, industry, science and technology and social sciences are being prepared every month and released in all the major languages. A digest of news is issued by the regional/branch offices of the Bureau in the languages of the region.

Photo and ebonoid blocks are also supplied to the small newspapers. The ebonoid supply, started in 1964, serves papers which cannot afford the cost of block making.

A new photo service in the form of "Charba" was started in September, 1971 to help and encourage Urdu papers printed by litho process. "Charba" is the impression of Zinc block on a specially treated paper meant for reproduction.

Small newspapers can get their requirement of newsprint from NEPA which is cheaper than imported newsprint. They also have the option to take all their requirements from High Sea Sales.

Small newspapers are given priority for import of printing machinery and allied equipment over medium and big newspapers.

Newspapers with a circulation of less than 2,000 copies are exempted from the provisions relating to the submission of Chartered Accountant Certificate to prove their utilization of newsprint.

Every effort is made by the Directorate of Advertising and Visual Publicity to make increasing use of small newspapers and periodicals particularly for mass campaigns for which readership of the people in all walks of life is required.

सेन रेले साइकिल फैक्टरी आसनसोल में श्रमिकों की सुविधाओं में कटौती

2697. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आपात स्थिति के दौरान सेन रैले साइकिल फैक्टरी के वर्तमान प्रबन्धकों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले कार्मिक संघ तथा पश्चिम बंगाल के तत्कालीन श्रम मंत्री की सांठ-गांठ से एक समझौता किया जिसके अनुसार मजदूरों के महत्वपूर्ण अधिकारों तथा विशेषाधिकारों जैसे कि कैंटीन सुविधाओं, मेडिकल सुविधाओं, सेवा निवत्ति की आयु, उत्पादन बोनस आदि में जबरन कटौती कर दी गई है और मजदूरों को इस समझौते से जो कि उन के हितों के विरुद्ध है, सहमत होने के लिए बाध्य किया गया ; और

(ख) क्या सरकार उक्त समझौते को रद्द करने तथा उक्त समझौते द्वारा कम किए गए अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को बहाल करने पर विचार करेंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) और (ख). प्रबन्धकों मजदूर संघ और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच परस्पर करार के द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था जिससे सेन रेले के प्रबन्ध को हाथ में लेते समय कम्पनी को फिर से चलाने की संभाव्यता जान पड़ती है। उपक्रम जो भारी देयताओं से भारग्रस्त था तथा जिसके सामने गंभीर वित्तीय कठिनाइयां थी, के पुनः चलाये जाने तथा निरन्तर चलते रहने के हित में इस प्रकार का समझौता करना आवश्यक समझा गया था। प्रबन्धकवर्ग करार में संशोधन करने की स्थिति में केवल उसी समय होगा जबकि उपक्रम के कार्य में सुधार हो जायेगा तथा वित्तीय स्थिति इस योग्य हो जायेगी कि इस प्रकार के संशोधन पर विचार किया जा सके।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में अन्तरद्वीप सेवाएं

2698. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **नौ वहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में अन्तरद्वीपीय सेवाएं सुधारने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या नए जहाज चालू किए जाने हैं, और

(घ) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) अंडमान. और निकोबार द्वीप समूह में अन्तरद्वीपीय सेवाओं में प्रशासन द्वारा निम्नलिखित जहाजों, जिनके लिए योजना में व्यवस्था की गयी है, को प्राप्त करके चालू करने पर काफी सुधार होने की संभावना है। पहले प्राप्त किए जहाजों की संख्या और टाईप, उनके चालू किये जाने की तारीख और जिन्हें प्राप्त करने का प्रस्ताव है और साथ में उनके चालू किए जाने की संभावित तारीखें नीचे दी गयी हैं :—

	जहाजों की संख्या और टाईप	चालू किए जाने की तारीख
(1)	प्रत्येक 75 डैक यात्री क्षमता वाले 3 फैरी जहाज।	फरवरी, सितम्बर और अक्तूबर, 1976 में पहले ही चालू किए गए हैं।
(2)	प्रत्येक 140 डैक-यात्रियों वाले, 8 सैलून और 50 टन माल की क्षमता के 4 जहाज।	दो जहाज जनवरी, 1978 और दो अन्य सितम्बर 1978 में द्वीप में पहुंचने की सम्भावना है।
(3)	प्रत्येक 200 डैक यात्रियों के दो गंगा टाईप फैरी जहाज।	एक जहाज पहले ही अप्रैल, 1977 में चालू किया जा चुका है और दूसरा 1977 के अन्त में चालू किए जाने की सम्भावना है।
(4)	1 जहाज 150–200 कार्गो–कम-टूरिंग जहाज।	जहाज के लिए मांग पत्र भेजा जा रहा है।
(5)	अंडमान ट्रंक रोड के लिए एक वहेकिल फेरी	1978–79 में चालू किए जाने की सम्भावना है।

पोर्ट ब्लेयर रेडियो केन्द्र

2699. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर रेडियो केन्द्र से, जिसको 20 किलोवाट केन्द्र में बदला गया था, दिगलिपुर माया बंडर, कैंपबेल खाड़ी में नहीं सुना जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) आकाशवाणी के पोर्ट ब्लेयर केन्द्र के 20 किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम दिगलिपुर, माया बंडर और कैम्पवेल खाड़ी में अच्छी तरह सुनाई नहीं देते हैं।

(ख) (1) पोर्ट ब्लेयर में एक उच्च शक्ति वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटर के लिए और संघ शासित क्षेत्र के पांच अन्य केन्द्रों में अल्पशक्ति वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन द्वारा तैयार की गई फ्रीक्वंसी असाइनमेंट योजना में आवृत्तियां समन्वित की गई हैं। इन ट्रांसमीटरों का स्थापित किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि और उन प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा जो समय समय पर निश्चित की जाएं। इन ट्रांसमीटरों के स्थापित होने पर दिगलिपुर और माया बंडर में कार्यक्रम सुनाई दिए जाने की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

(2) इसके अतिरिक्त, पोर्ट ब्लेयर में एक उच्च शक्ति वाले शार्ट वेव ट्रांसमीटर की स्थापना का भी प्रस्ताव था ताकि समूचे संघ प्राशित क्षेत्र में सेकन्ड ग्रेड सेवा प्रदान की जा सके। परन्तु साधनों की कमी के कारण यह कार्यान्वित नहीं हुआ। यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो इस प्रस्ताव को उत्तरवर्ती योजनाओं के लिए योजनाएं बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा।

ग्वालियर में टेलीविजन कार्यक्रम

2700. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने नगरों को अब तक टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण-परिधि के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य महत्वपूर्ण नगरों को भी इस परिधि के अन्तर्गत लाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ग्वालियर को इस परिधि के अन्तर्गत लाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) फिलहाल एक लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित शहरों में दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकते हैं :—

(1) दिल्ली	(2) रोहतक
(3) मेरठ	(4) लखनऊ
(5) कलकत्ता	(6) मद्रास
(7) कांचीपुरम	(8) बम्बई
(9) थाना	(10) पूना
(11) रायपुर	(12) जयपुर
(13) श्रीनगर	(14) नाडियाड
(15) अमृतसर	

(ख) सरकार आशा करती है कि पांचवीं योजना के दौरान चालू योजनाओं के मुकम्मल हो जाने पर निम्नलिखित शहरों में भी दूरदर्शन सेवा उपलब्ध की जा सकेगी :—

(1) कानपुर	(2) देहरादून
(3) मुजफ्फरनगर	(4) सहारनपुर
(5) अम्बाला	(6) पटियाला
(7) चंडीगढ़	(8) जालंधर
(9) लुधियाना	(10) गुलबर्ग
(11) हैदराबाद-सिकन्दराबाद	(12) सम्बलपुर
(13) मुजफ्फरपुर	

(ग) वर्तमान योजना के अन्तर्गत ग्वालियर में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का प्रस्ताव नहीं है ।

मारमागोवा में सैलून तथा डेक जहाज चालकों के लि नाविक भरती केन्द्र

2701. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मारमागोवा में सैलून तथा डेक जहाज चालकों के लिए एक नाविक भरती केन्द्र खोलने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होने के बाद उन्हें पुनः सेवा पर लेना

2702. **श्री शंकर सिंहजी बाघेला :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा नियम है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा निवृत्त होने के पश्चात् पुनः सेवा में लिया जाता है और उसको वेतन सरकारी कोष से मिलता है तो उसका कुल नया वेतन तथा पेंशन उसके सेवा निवृत्त होने के समय मिलने वाले वेतन से अधिक नहीं होना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्तासहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली के महाप्रबन्धक सहित इसके अधिकारियों के मामले में इस नियम को लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस प्रकार उन्हें दिये गये अतिरिक्त वेतन को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह नियम ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं है जो सरकारी सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् समिति में नियुक्त हुआ हो । इसलिए समिति के महाप्रबन्धक सहित अधिकारियों के मामले में इसे लागू न करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नागालैंड में गुरूद्वारे के लिए आवंटित भूमि पर कब्जा अवैध

2703. **श्रीमती रानो एम० शायजा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में गुरूद्वारे के लिये आवंटित भूमि पर कुछ अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो नागालैण्ड सरकार ने उनको निकालने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या वर्तमान कानून का उल्लंघन करके कुछ गैर-स्थानीय लोगों को कोहिमा कस्बे में भूमि आवंटित की गई थी; यदि हां, तो उन अलाटियों तथा अलाट करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य पार्टियों द्वारा गुरूद्वारे के लिये भूमि पर कब्जा कर लिये जाने के बारे में नागालैण्ड के राज्यपाल ने कोई आदेश जारी किये थे; और

(ङ) यदि हां, तो वे आदेश क्या हैं तथा सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) नागालैण्ड सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कोहिमा में सिख गुरूद्वारे को आवंटित भूमि पर किन्हीं अनधिकृत लोगों द्वारा कब्जा नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नागालैण्ड सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान कानूनों का उल्लंघन करके गैर स्थानीय लोगों को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है ।

(घ) और (ङ). कोहिमा में 2500 वर्गफुट का प्लाट सिख गुरूद्वारे को आवंटित किया गया था किन्तु कुछ समय पहले माप करने पर वास्तव में अधिकार में लिया गया क्षेत्र 5558 वर्गफुट पाया गया । यह सोचकर कि यह एक धार्मिक संस्था है नागालैण्ड सरकार ने सिख गुरूद्वारे के कब्जे में वास्तविक कुल क्षेत्र को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करके नियमित कर दिया ।

Re-Constitution of Electronics Commission

2704. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Electronics** be pleased to state :

(a) the service conditions of the members of the present Electronics Commission and the criteria of the constitution of this Commission ;

(b) whether Government have under consideration any proposal to reconstitute the present Electronics Commission ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) The Electronics Commission is to consist of four to seven members. The Chairman of the Commission is Secretary to the Government of India in the Department of Electronics. A Member of the Commission is the Member for Finance. He is ex-officio Secretary to the Government of India in the Department of Electronics in financial matters, and exercises the powers of the Government of India in all financial matters concerning the Department.

The Commission is composed of persons of standing in electronics and senior officials of Government. The Chairman, who is Secretary to Government of India in Department of Electronics is a full-time Government official. The Member (Finance) has, up to now, been the Finance Secretary to Government of India. All other Members of the current Electronics Commission, who have service experience at very senior levels, are part-time Members; they receive no remuneration from Government for their membership, except travel and living expenses in connection with the work of the Commission. Service conditions in the case of Electronics Commission are basically those which apply to the Atomic Energy and Space Commissions also.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Fire in Studios of Door-Darshan, Delhi

05. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer Unstarred Question No. 1302 on the 22nd June, 1977 regarding Fire in Studios of Doordarshan, Delhi and state :

(a) the name of the senior officer of the crime branch of Delhi Police who conducted investigations into the fire in Television Centre, Delhi ;

(b) the reasons for which the causeof fire could not be found out and the case was closed as 'Untraced'.

(c) whether his Ministry propose to entrust this case to the C.B.I. or I.B. again to find out the true facts in this regard; and

(d) whether Government porpose to record statements of the officers of the Crime Branch of Delhi Police again on the case and place them on the Table of the House ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh)(a) : Initially the case was investigated by Inspector Faqir Chand of the Crime Branch of the Delhi Police. Subs quently,the investigation was taken up by Inspector Madan Lal Nijhawan under the supervision of Shri Om Parkash, Dy. S. P. Crime Branch, Delhi.

(b) According to information received from the Delhi Police, the case was sent as untraced because no witness could throw light on the cause of the fire. The information received from the CFSL and ballistic experts in dicated that the fire was not due to autocombustion or electric short circuit. The possibilility of sabotage also appeared to be remote.

(c) and (d). The question whether the matter should be referred to the CBI is being examined.

जापान के साथ औद्योगिक सहयोग

2706. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) 1969 से 1977 (मार्च तक) तक की अवधि में भारत सरकार ने भारतीय और जापानी पार्टियों के बीच भारत में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने/उनका विस्तार करने सम्बन्धी 169 सहयोग प्रस्तावों को स्वीकृति दी (इनमें 24 वित्तीय सहभागिता वाले प्रस्ताव भी शामिल हैं) इन स्वीकृतियों के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों में विद्युत् मशीनें और विद्युत् उपकरण, मशीन टूल्स, रासायनिक वस्तुएं जैसे कास्टिक सोडा, यान्त्रिक खिलौने, मोटरगाड़ी के सहायक सामान, औजार, एलाय और स्पेशल स्टील, तार की छड़ें, चीनी मिट्टी के बर्तन, कृषि ट्रैक्टर, गहरे समुद्र में मछली मारने का सामान आदि बनाने वाले उद्योग आते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को येन, जापान की येन ऋण योजना के अधीन निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की गई :—

(1) उर्वरक, रसायन, कीटनाशक और पेट्रो-रसायन
(2) लोहा और इस्पात
(3) विद्युत सन्यन्त्र और सम्बन्धित उपकरण
(4) बाल और रौलर बियरिंग
(5) मशीन टूल्स
(6) घड़ियां
(7) इंस्ट्रमेंटेशन
(8) विद्युत लैम्पें, केबलें और बैटरियां
(9) शिपिंग
(10) टी० वी०
(11) सिल्क

भारत स्थित विदेशी स्वामित्व वाली अथवा विदेशी नियंत्रणाधीन कंपनियों में नियुक्त भारतीय

2707. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत स्थित वदेशी स्वामित्व वाली अथवा विदेशी नियंत्रणाधीन कम्पनियों में नियुक्त भारतीयों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या ऐसी फर्मों में भारतीय तथा विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंधी में सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करने का कार्य तत्कालीन प्रधान मंत्री के कहने पर 1952 में शुरू किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है और ऐसी फर्मों में इस समय नियुक्त भारतीयों की प्रतिशतता में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ; और

(घ) इसे शत प्रतिशत भारतीयकृत करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विदेशी स्वामित्व नियन्त्रण वाली 379 कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1975 में 3000 रु० प्रतिमास से अधिक वेतन लेने वाले सेवा नियोजित भारतीयों की संख्या कुल 6655 कर्मचारियों में से 6158 (92.5 प्रतिशत) थी। 2001 रु० से 3000 रु० के बीच के वेतन भोगी सेवा नियोजित कुल 8781 कर्मचारियों में से भारतीयों की संख्या 8768 (99.9 प्रतिशत) थी ।

(घ) विदेशी राष्ट्रिकों के नियोजन को कम से कम स्तर पर रखने के लिए उन्हें अत्यन्त आवश्यक समझे जाने पर ही नौकरी की अनुमति दी जाती है ।

माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर में भर्ती

2708. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की विधान सभा के विघटन की पूर्व संध्या को पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री के अनुदेश पर किसी दल विशेष के प्रति निष्ठा रखने वाले श्रमिकों को बड़ी संख्या में माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर में भर्ती किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2709. **श्री रोबिन सेन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर के वर्तमान प्रबंध निदेशक के विरुद्ध जांच आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उक्त जांच अभी तक जारी है अथवा उसे बन्द कर दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में पथारबंदी गांव में जिन्दा जला दिया गया परिवार

2710. **श्री निहार लास्कर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के रायपुर थाना के अन्तर्गत पथारबन्दी गांव में मई, 1977 को एक परिवार के 11 सदस्यों को जिन्दा जला दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से रिपोर्ट मिल गयी है; और

(ग) उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार कुछ बदमाशों ने 22/23 मई, 1977 की रात्रि को बांकुरा थाना रायपुर पथारबन्दी में श्री माथुरनाथ त्रिपाटी के मकान में आग लगा दी। श्री माथुरनाथ त्रिपाटी समेत 11 व्यक्ति जल कर मर गये थे। श्री माथुर नाथ त्रिपाठी का झगड़ा उनके कुछ पड़ोसियों, जो लोहार जाति के थे के साथ जमीन जायदाद पर था। कुछ गिरफ्तारियां की जा चुकी है और आगे के जांच-पड़ताल जारी है।

भारत का दौरा करने वाले इटली के राष्ट्रिकों के विरुद्ध शिकायत

2711. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में भारत का दौरा करने वाले इटली के राष्ट्रिकों के नाम क्या हैं;

(ख) उनके दौरों का प्रयोजन क्या था ;

(ग) भारत में प्रत्येक व्यक्ति कितनी-कितनी देर ठहरा ;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि में किसी इटली के राष्ट्रिक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) इटली के राष्ट्रिकों, जिन्होंने फरवरी-मई, 1977 के दौरान भारत का दौरा किया, के नाम की सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या** एल० टी०—727/77]

(ख) मुख्यतः पर्यटन, व्यापार, अध्ययन तकनीकी सहायता देना आदि।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति भारत में कितने दिन ठहरा इसके बारे में निश्चित सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर यह अवधि 1 से 90 दिन के बीच की है, यद्यपि कुछ मामलों में ठहरने की अवधि अधिक हो सकती है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग

2712. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष निम्नलिखित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है : (एक) चित्तूर और नायड़पेट (जो राज्यीय राजमार्ग संख्या 4 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 से जोड़ता है) राज्यीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना (दो) पालमनेर से अनन्तपुर तक राज्यीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यंत्रीकृत आटोमेटिड कोयला खान

2713. श्री निहार लास्कर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मोनीडिह खानों में भारत का सर्वप्रथम यंत्रीकृत (आटोमैटिड) कोयला खान उपरकण सप्लाई करने के बारे में एक ब्रिटिश कम्पनी से कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत को सप्लाई किये जाने वाले उपरकण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरकण किसी अन्य देश से भी लाया गया है ; और

(घ) भारत में स्थापित किये जाने वाली प्रथम प्रस्तावित यंत्रीकृत (आटोमेटिड) कोयला खान की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) निकट भविष्य में भारत कोकिंग कोल लि० में कोई स्वचालित यंत्रों वाली कोयला खान चालू करने का विचार नहीं है । परन्तु इंगलैण्ड की मैसर्स डाऊटी माइनिंग इन्टरनेशनल को मीनीडीह खान के लिए स्वयं बढ़ने वाले सहारों (सपोर्टस) से युक्त एक आजमायशी लांग वाले फेस के लिए उपकरण सप्लाई करने का क्रय आदेश दिया गया है ।

(ख) ये उपकरण इस प्रकार है :—

(i) डाउटी सेल्फ एडवान्सिंग पावर्ड रूफ सपोर्टस ।

(ii) ऐण्डरसन मेयोर डबुल ड्रम रेन्जिंग शियरर्स ।

(iii) आर्मर्ड चेन कन्वेयर्स, और

(iv) अन्य अनेक विद्युत और यांत्रिक कल-पुर्जे ।

(ग) सरकार ने अभी हाल में पोलैण्ड से यांत्रिक लांग वाल फेस उपकरण का दूसरा सेट खरीदने के लिए अनुमोदन किया है ।

(घ) इन नए उपकरणों से खान का उत्पादन उस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां तक साधारणतया पुराने तरीकों से नहीं पहुंचता । ये रूफ सपोर्टस यंत्रीकृत खनन पद्धति का अभिन्न अंग हैं और इसके द्वारा खानों में सुरक्षा होगी और इस प्रकार खानों में सुरक्षा की व्यवस्था में अत्यधिक सुधार हो जाएगा क्योंकि छतों का गिरना ही भूमिगत खानों में मजदूरों के हलात होने का सबसे बड़ा अकेला कारण है ।

सोया भोजन परिष्करण संयंत्र

2714. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूड स्पेशलटीज लिमिटेड ने 5 करोड़ रुपए की लागत के सोया भोजन परिष्करण संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कम्पनी का विचार तीन चरणों में अपनी विदेशी शेयरहोल्डिंग को 69 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का है ; और

(घ) उक्त बातों की मुख्य बात क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) और (ख) मैसर्स फूड स्पेशलिटीज लि० ने सोयाबीन उत्पादों का उत्पादन करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए एक आवेदन दिया था जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) और (घ) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अपने दिनांक 28 अप्रैल, 1976 के पत्र में कम्पनी का पत्र प्राप्त होने के एक वर्ष की अवधि के अन्दर कम्पनी से अनिवासी अंशधारिता को घटाकर 40 प्रतिशत तक करने तथा अनिवासी हितों के स्तर को घटा कर कम करने की योजना विस्तार में प्रस्तुत करने के लिए लिखा था । रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा 2 मई, 1977 को समाप्त हो गई । कम्पनी ने अनिवासी हितों को कम करने सम्बन्धी कोई भी योजना अभी तक नहीं प्रस्तुत की है ।

अन्दमान सेल्यूलर जेल को अभिलेखागार में बदलना

2715. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान सेल्यूलर जेल को अभिलेखागार में बदलने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का प्रश्न में "अभिलेखागार" शब्द से "स्मारक" का अभिप्राय है । इस अनुमान से उत्तर हां में है ।

(ख) पोर्ट ब्लेयर अंडमान में, सेल्युलर जेल में पहिये की अरों की भांति 7 स्कन्ध वाले एक बुर्ज के अतिरिक्त एक बड़ा द्वार है । इस समय इसमें केवल प्रवेश खण्ड तथा तीन स्कन्ध हैं। यह निर्णय किया गया है कि इस ऐतिहासिक जेल का जो कुछ भाग बचा है उसे एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भविष्य के लिये सुरक्षित रखा जाए । इस जेल को सुरक्षित रखने की मुख्य बात यह है कि इसके विकृत रूप को बनाये रखा जाए । यह सभी स्मारकों में बहुत अधिक प्रभावशाली तथा मार्मिक स्मारक हैं । इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये सेल्यूलर जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बनाये रखने के लिये एक योजना बनाई गई है । धातु के पट्टे जिन पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित किये गये है, जेल में लगाये गये हैं ।

बम्बई नौभारक और पत्तन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

2716. **श्री निहार लास्कर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बम्बई नौभारक और पत्तन कर्मचारियों ने 24 जून, 1977 के बाद किसी समय हड़ताल करने का नोटिस दिया था,

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं

(ग) क्या उनकी मांगों पर विचार किया गया है, और

(घ) विवाद के विषय क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बम्बई नौभारक और गोदी कर्मचारी संघ ने बम्बई पत्तन न्यास और बम्बई गोदी श्रम बोर्ड को अपने इस आशय का नोटिस दिया कि वे 24-6-77 के बाद किसी भी दिन हड़ताल कर सकते हैं ।

(ख) से (घ). हड़ताल नोटिस में उल्लिखित मांगें दो श्रेणियों में आती हैं, अर्थात् स्थानीय और सामान्य । स्थानीय मांगों पर पत्तन न्यास और गोदी श्रम बोर्ड ने संघ के साथ बातचीत की और जहां आवश्यक हो अगली कार्यवाही तदनुसार की जा रही है । सामान्य मांगे वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित लाभों के अतिरिक्त और सुविधाएं प्राप्त करने के बारे में हैं ।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री ने 26 से 29 जून, 1977 तक चार अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी परिसंघ के साथ वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर बातचीत की । श्रम मंत्री ने समिति की सिफारिशों से अधिक काफी रियातें देने की पेशकश की । इंडियन नैशनल पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्ज फैड्रेशन और दो अन्य परिसंघों ने अपनी अंतिम प्रतिक्रिया की सूचना देने से पूर्व अपनी सम्बन्ध संस्थाओं से परामर्श करने के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि अखिल भारत पत्तन तथा गोदी कर्मचारी परिसंघ ने पेशकश नामंजूर कर दी । श्रम मंत्री ने 14 जुलाई को या उसके आसपास परिसंघों से फिर बातचीत करने की पेशकश की है ।

बोनस के बदले अनुग्रहपूर्वक अदायगी के प्रश्न पर बोनस के बारे में भावी नीति को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना होगा ।

देश में बिजली की कमी

2717. **श्री निहार लस्कर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की कमी का अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) बिजली की कमी कब तक दूर हो जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) देश की अर्थव्यवस्था पर विद्युत की कमी के प्रभाव को मात्रात्मक रूप में बता सकना संभव नहीं है, क्योंकि अन्य कई परस्पर संबंध बातें भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं । तथापि विद्युत की कमी से भी आर्थिक विकास में बाधा आती है ।

(ख) देश में बढ़ती हुई भार-मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जल तथा ताप विद्युत केन्द्रों को चालू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए योजना बनाते समय 1983-84 तक की प्रत्याशित अधिकतम मांग और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है ।

आपात स्थिति के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टरों, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों की नियुक्तियों में अनियमितताएं

2718. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर, चीफ प्रोड्यूसर, डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के पदों पर सीधे और पदोन्नति के आधार पर कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां की गईं ;

(ख) क्या अधिकांश नियुक्तियां/चयन उन व्यक्तियों में से की गई थीं जो उस समय सत्ताधारी अधिकारियों/राजनीतिज्ञों के कृपापात्र थे ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नियुक्तियों और पदोन्नतियों में हुई अनियमितताओं के बारे में जांच कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) आपात स्थिति के दौरान नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

पद की श्रेणी	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या
1. केन्द्र निदेशक	82
2. सहायक केन्द्र निदेशक	69
3. मुख्य प्रोड्यूसर	1
4. उप मुख्य प्रोड्यूसर	2
5. प्रोड्यूसर	82
6. कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव	160

(ख) से (घ). जी, नहीं । परन्तु जब भी नियुक्ति के मामले में कोई अनियमितता ध्यान में लाई जाती है तो उसकी जांच की जाती है और प्रतिकारी कार्रवाई की जाती है ।

आकाशवाणी तथा दिल्ली, अमृतसर के दूरदर्शन केन्द्र तथा बेस प्रोडक्शन यूनिट के परिवहन यूनिटों का कार्यकरण

2719. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आकशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और दिल्ली अमृतसर के दूरदर्शन केन्द्र तथा बेस प्रोडक्शन यूनिट की परिवहन यूनिटों पर कुल कितना व्यय हुआ ।

(ख) क्या इन यूनिटों के कार्यकरण की जांच से अनेक अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और गैर-सरकारी प्रयोजन के लिए सरकारी परिवहन के दुरुपयोग का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और जांच के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को निलम्बित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग तथा दिल्ली और अमृतसर दूरदर्शन केन्द्रों तथा बेस प्रोडक्शन यूनिट की ट्रांसपोर्ट यूनिटों पर हुआ कुल व्यय इस प्रकार है :—

व्यय

वर्ष	समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी	दिल्ली और अमृतसर दूरदर्शन केन्द्र और बेस प्रोडक्शन यूनिट	कुल व्यय
1974–75	3,97,600 रुपये (दो कारों की लागत 51,784.81 रुपये सहित)	5,57,522 रुपये	9,55,122 रुपए
1975–76	4,98,000 रुपये (4 मैटेडोर स्टेशन वैगनों की लागत 1,84,060 रुपए सहित)	8,59,281 रुपये	13,57,281 रुपये
1976–77	3,17,300 रुपये (एक मैटेडोर स्टेशन वैगन की लागत 43,591.81 रुपये सहित)	8,14,725 रुपये	11,32,025 रुपये

(ख) इन यूनिटों के कार्यकरण की गई प्रारम्भिक जांच से कुछ अनियमितताओं और अनाचारों का पता चला है। निजी प्रयोजनों के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट के दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) की गई जांच के परिणामस्वरुप निम्नलिखित अनियमितताएं ध्यान में आई :—

(1) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र की ट्रांसपोर्ट यूनिटों की कुछ लाग शीटों को जलाना।

(2) ट्रांसपोर्ट यूनिट द्वारा किए गए नुकसानों के बारे में झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(3) गाड़ियों में कम पैट्रोल डलवाना।

(4) समयोपरि भत्ते का रजिस्टर ठीक तरह से न रखना।

जांच के आधार पर पांच व्यक्तियों को निलम्बित किया गया था। तथापि इन पांच व्यक्तियों में से चार के निलम्बन आदेश इस बीच रदद कर दिए गए हैं। मामले की लपेट में आए हुए अन्य चार व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अभी चल रही है।

विश्व सेवा और विश्व तरंग जहाज पर बीच धारा में फंसे असहाय पत्तन कर्मचारी

2720. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व सेवा और विश्व तरंग नामक जहाजों पर बीच धारा में लगभग 100 पत्तनकर्मचारी जिनमें हैडफोरमैन, सुपरवाइजर और टैली क्लर्क शामिल थे, 9 जुन, 1977 की शाम से फंसे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जहाजों पर वे कितने दिन रहे;

(घ) क्या उनमें से कुछ की वहीं मृत्यु हो गई; [और

(ङ) क्या मंत्रालय ने उन्हें बचाने के लिए आपात सहायता नहीं दी ?]

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) कर्मकार और कर्मचारी 9 जून, 1977 की सुबह को जलीय मार्ग के कार्य के लिये नियत किये गये थे जब कि समुद्र शान्त था। अचानक लगभग दो बजे अपराह्न के बाद तूफान दिखाई दिया । कठिनाई में फंसे कर्मकारों को लाने के लिये तुरन्त लांचें भेजी गईं परन्तु प्रयास असफल रहा क्योंकि तूफानी मौसम के कारण लांचें जहाजों के पास न टिक सकीं । 11–6 –77 को जहाजों को पत्तन में खड़ा कर दिया गया जब कर्मकार पट पर उतरे ।

(ग) कर्मकार और कर्मचारी तीन दिन जहाजों में रहे ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) बंबई पत्तन न्यास ने जहाजों को बन्दरगाह में लाने के लिये 10–6–77 को शक्तिशाली बजरे भेजे ।

विज्ञापन नीति का पुनरीक्षण

2721. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :
श्री पी राजगोपाल नायडू :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान विज्ञापन नीति का पुनरीक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) से (ग). कुछ महीने पूर्व तक जो विज्ञापन नीति चालू थी उसमें प्राथमिकताओं की व्यवस्था थी जिनसे सरकार को विज्ञापनों की दरें निश्चित करने के लिए लगभग निरंकुश अधिकार मिल गये थे। उस नीति के विकारी और भेदमूलक तत्वों को पहले ही हटा दिया गया है। समूचे मामले पर आगे व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा है और निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की उम्मीद है।

आपात स्थिति के दौरान भूतपूर्व प्रधान मंत्री के दौरों पर व्यय हुई धनराशि

2722. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान भूतपूर्व प्रधान मंत्री के राज्यों के दौरों पर प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी-कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) क्या अनेक राज्यों ने श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा संबोधित की जाने वाली सभाओं में विभिन्न स्थानों से लोगों को लाने के लिये भारी धनराशि खर्च की;

(ग) क्या उनके दौरों के लिये राज्य सरकारों द्वारा सड़कों, हैलीकोप्टर उतरने की पट्टी, द्वारों आदि का निर्माण किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ). विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-628/77.]**

आपात् स्थिति के दौरान अधिकारियों का स्थानान्तरण

2723. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातस्थिति के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कितने अधिकारियों का स्थानान्तरण किया अथवा उन्हें छुट्टी जाने के लिए कहा;

(ख) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार को उनके विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ). अवर सचिव तथा इनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

2724. **श्री शंकर सिंहजी बघेला :**
श्री अनन्त दवे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का स्वरूप क्या है; और

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तारीख 1-4-77 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली परिवहन निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध कई आरोप दिये गये हैं।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-629/77.]**

(ग) मैसर्स मारुति लि० को अधिक भुगतान और किरलोस्कर इंजिनों की खरीद के बारे में आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। शेष आरोपों की विभागीय तौर से जांच की जा रही है।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

2725. **श्री शंकर सिंहजी बघेला :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ में उत्पादन कब से आरम्भ हुआ; और

(ख) इसमें कितनी पूंजी लगाई गई, इसका उत्पादन लक्ष्य क्या है और कहां तक उत्पादन लक्ष्य पूरा किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में परीक्षण उत्पादन फरवरी, 1975 से और नियमित उत्पादन अप्रैल, 1975 से प्रारम्भ हुआ।

(ख) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में अचल परिसम्पत्ति और वस्तु सूची में सीमांत धनराशि सहित 15.95 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है। स्कूटरों के उत्पादन का लक्ष्य और पूरा किया गया लक्ष्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1975-76	40,000	17,909 इसके अलावा 1250 पावर पैकों का भी उत्पादन किया गया था।
1976-77	60,000	24,358 इसके अलावा 11,937 पावर पैकों का भी उत्पादन किया गया था।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

2726. **श्री शंकर सिंहजी बघेला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली घाटे में चल रही है ;

(घ) समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है; सरकार ने समिति को कितना ऋण अथवा सहायता दी; समिति के वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार प्रति वर्ष कितनी धनराशि दे रही है; सरकार इस के शाखा स्टोरों की जगह के लिए कितना किराया ले रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समिति को हानियों की जांच के लिए जांच समिति नियुक्त करने और इस बारे में जिम्मेवारी निर्धारित करने तथा हानि के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सदस्यों की संख्या : 26-6-1977 को समिति के कुल सदस्यों की संख्या 59,387 थी ।

ऋण : 24 लाख रुपए (जिसमें से 6 लाख रुपए सरकार को चुका दिए गए हैं) ।

सहायता : 6.94 लाख रुपए (जिसमें से 4.66 लाख रुपए शेयर पूंजी के रूप में और 2.28 लाख वित्तीय सहायता के रूप में) ।

वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन : समिति के वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार द्वारा प्रति वर्ष दी जाने वाली धनराशि भिन्न भिन होती है जो आर्थिक सहायता प्राप्त पदों की संख्या तथा समय समय पर निर्धारित वेतनमान पर निर्भर करती है । इसके लिए सरकार प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायत दे रही है ।

जगह का किराया : समिति के शाखा स्टोरों की जगह के लिए 1.00 रु० प्रति मास नाम मात्र का किराया लिया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्; परन्तु समिति को हुई हानियों के प्रश्न को समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जाती रही है । समिति की आम सभा ने पिछली हानियों की जांच करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने आदि के लिए एक समिति गठित की थी । बोर्ड के निदेशकों द्वारा फरवरी 1977 में इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया था । रिपोर्ट को इस-की आम सभा को अगली बैठक में रखने का निर्णय किया गया है ।

स्वतंत्रता सेनानी

2727. **श्री मत्युंजय प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताम्रपत्र अथवा और आजीवन मासिक पेंशन की पात्रता के लिये स्वतंत्रता सेनानियों के लिये क्या-क्या अर्हताए अथवा शर्तें निर्धारित की गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये, क्या-क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं कि जो व्यक्ति पात्रता की इन सभी शर्तों को पूरा न करे उसे ताम्रपत्र अथवा

और आजीवन पेंशन पाने का हक न हो और जो व्यक्ति पात्र हैं उन्हें इस सम्मान से वंचित न रखा जाये ; और

(ख) 31 मार्च 1977 तक कितने व्यक्तियों को ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया तथा कितने व्यक्तियों को पेंशन देने के आदेश जारी किये गये और उनमें से प्रत्येक को पेंशन की कितनी राशि दी गई तथा क्या इस बात का भी पता चला है कि जो व्यक्ति इस सम्मान के पात्र नहीं थे उन्हें भी सम्मानित किया गया है और यदि हां, तो ऐसी त्रुटियों के बाद में ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) ताम्रपत्र देने के लिये पात्रता की शर्तें संलग्न नोट **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 630/77] में दी गई है । पात्रता की वही शर्त पेंशन स्वीकृत करने के लिये इस शर्त के साथ लागू होती है कि प्राप्तकर्ता की वार्षिक आय 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये । उन पात्र स्वतंत्रता सेनानियो के परिवारों को भी पेंशन दी जाती है जिनके परिवार ताम्रपात्र पाने के लिये पात्र नहीं हैं । ताम्रपत्र आवश्यक सत्यापन के बाद राज्य सरकारों/संघ शासिति क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दिये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन पत्रों और उनके साथ संलग्न लिखित प्रमाण की जांच करने के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है । राज्य सरकारों/संघ शसित क्षेत्र प्रशासनों से सत्यापन रिपोर्टों के प्राप्त होने पर, यदि आवश्यक होता है, तो स्वीकृतियों का पुनरीक्षण किया जाता है । संदेह के मामलों में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सलाह की जाती है ।

(ख) 31 मार्च, 1977 तक 67,012 व्यक्तियों को ताम्रपत्र दिये जा चुके हैं और 1,15,099 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है । स्वतंत्रता सेनानी को स्वीकृत की गई न्यूनतम पेंशन 200 रु० मासिक है और परिवारों के मामलों में यह 100 रु० से लेकर 200 रु० मासिक तक है ।

ये शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुछ अपात्र व्यक्तियों ने गलत सबूत प्रस्तुत करके ताम्रपत्र/पेंशन प्राप्त कर ली हैं । ऐसे मामलों में पेंशन स्थगित कर दी जाती है, और राग्य सरकारों/संघ शासति क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से जांच कराई जाती है । जहां शिकायतें सही सिद्ध हो जाती हैं वहां ताम्रपत्र वापिस ले लिये जाते हैं तथा पेंशन रद्द कर दी जाती है । राज्य सरकारों इत्यादि को संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमें चलाने की वांछनीयता पर विचार करने की भी सलाह दी जाती है ।

राज्यपालों के दिल्ली के दौरे

2728. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 मार्च, 1977 को देश में कितने राज्यपाल ऐसे थे जिनके सेवाकाल में वृद्धि की हुई थी--तत्संबंधी पूर्ण विवरण क्या है ;

(ख) उनमें से कितनों को इस बीच बदला जा चुका है ; और

(ग) लोक सभा चुनावों से तीन महीने पूर्व राज्यपालों ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य व्यक्तियों से मिलने के लिये कुल कितनी बार दिल्ली के दौरे किये ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) 24-3-1977 को तीन राज्यपाल अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति होने तक अपनी अवधि समाप्त होने के बाद अपने पद पर बने रहे । अपेक्षित ब्यौरे इस प्रकार है :--

राज्यपाल का नाम	राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की तारीख	पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख
श्री मोहन लाल सुखाड़िया	1-2-1972	31-1-1977
श्री सत्य नारायण सिन्हा	8-3-1971	7-3-1976
श्री एन्थोनी लैंसलौट डायस	21-8-1971 (अपराह्न)	21-8-1976

(ख) एक। श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने 9-4-77 को पद त्याग दिया ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध आरोप

2729. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री रोबिन सेन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री पी० जी० मुखर्जी नामक भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध, जिसका कलकत्ता में सरकारी मुद्रणालय के मुद्रण नियंत्रक के रूप में दोहरे मतपत्र छापने के मामले में हाथ था, गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके विरुद्ध सतर्कता/केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसके मकान की तलाशी के दौरान आदिवासी लड़कियों के नग्न चित्र बरामद हुये थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका दिनलिपि (नलिनी पाल, सम्पादक मार्फत जुगांतर) ने उक्त अधिकारी द्वारा किये गये कदाचारों के बारे में हाल में कटु आलोचनात्मक रिपोर्ट छापी हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(च) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) मुख्य चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल दोहरे मतपत्र छापने के बारे में आरोपों की गुप्त जांच कर रहा है, जबकि भारतीय पुलिस सेवा के श्री पी० जी० मुखर्जी पश्चिम बंगाल सरकार के मुद्रणालय के मुद्रण नियंत्रक के रूप में नियुक्त थे ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पुलिस अधीक्षक, बर्दवान के कार्यालय से धोखादेही से भारी मात्रा में धन निकालने के बारे में कुछ आरोपों की जांच पूरी कर ली है, जबकि भारतीय पुलिस सेवा के श्री पी० जी० मुखर्जी बर्दवान के पुलिस अधीक्षक थे। राज्य सतर्कता आयोग ने अनेक आरोपों की जांच की हैं और अब इस अधिकारी के विरुद्ध अन्य आरोपों की जांच पड़ताल कर रहा है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) तथा (च) उन आरोपों के बारे में जिनकी जांच अब पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी कर रहे हैं, श्री पी० जी० मुखर्जी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के प्रश्न पर जांच परिणामों का पता लगाने के बाद विचार किया जा सकता है।

उपर्युक्त (ख) भाग में उल्लिखित आरोपों की जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने पुलिस अधीक्षक, बर्दवान के कार्यालय के दो लिपिकों के विरुद्ध आपराधिक आरोपों पर अभियोजन की ओर उचित पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण न रखने के लिये श्री पी० जी० मुखर्जी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां वापस लेने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने दोनों लिपिकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष के बाद श्री पी० जी० मुखर्जी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय किया है।

श्री मुखर्जी के विरुद्ध जांच-पड़ताल के निष्कर्षों पर राज्य सतर्कता आयोग ने उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की। तदनुसार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और जब जांच चल रही थी तो उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी और एक निर्णय प्राप्त किया और इस निर्णय का निपटारा होने तक अनुशासनात्मक कार्यवाहियां स्थगित रखने का आदेश प्राप्त किया। मामला न्यायाधीन है।

राज्य सतर्कता आयोग अब उपर्युक्त (घ) के अधीन आरोपों समेत श्री मुखर्जी के विरुद्ध कुछ और आरोपों की प्राथमिक जांच पड़ताल के परिणामों का पता लगाने के बाद सरकार आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी।

केरल से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये लम्बित आवेदन पत्र

2730. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से औद्योगिक लाइसेंसों के कितने आवेदन पत्र इस समय लम्बित हैं; और

(ख) इन पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) और (ख). केरल राज्य में स्थापित किए जाने सम्बन्धी अनिर्णीत औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों की संख्या 30 जून, 1977 को 13 थी।

इनमें से एक आवेदन "कार्य चालू रखने" सम्बन्धी लाइसेंस स्वीकृति का है। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इस आवेदन पर निर्णय उस कम्पनी में नियोजित कर्मचारियों की संख्या के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।

बाकी 12 आवेदन पिछले चार महीनों में या इसके आसपास प्राप्त हुए हैं और उन पर कारवाई की जा रही है । अनिर्णीत आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

Petitions Received by Minister of Home Affairs

2731. **Shri Krishna Kumar Goyal:** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether people from all parts of the country come to see him and submit their petitions every day to him for redreassal of their grivevances and removal of difficulties; and

(b) the average number of petitions received by him everyday?

The Minister of home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) On an average, about 1900 petitions are received everyday by hand and by post.

अनुसंधान और विश्लेषण विंग के लिए धन का आवंटन और व्यय

2732. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान और विश्लेषण विंग के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई थी और वर्ष 1971–72 और 1976–77 में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ख) उक्त अवधि में अन्य विभागों ने अनुसंधान और विश्लेषण विंग पर कितनी धनराशि व्यय की ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). यह सूचना देना जन-हित में नहीं है ।

बम्बई पत्तन बर्थिंग मास्टर

2733. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 में बंबई पत्तन में बर्थिंग मास्टर के कितने पद मंजूर किए गये;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में कितने पद रिक्त रहे;

(ग) क्या वेतन कम होने के कारण ये पद रिक्त पड़े रहे हैं;

(घ) क्या 20 अप्रैल, 1977 से पूर्व बर्थिंग मास्टरों को 24 घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता था और उनके हर समय काम करते रहने की व्यवस्था थी; और

(ङ) क्या बर्थिंग मास्टरों ने नोटिस दिया है कि वह प्रातः 6 बजे से लेकर सांय 6 बजे तक काम करेंगे और इस प्रकार इस पद पर दिन में बारह घंटे काम हो रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1975 1976 और 1977 में बर्थिंग काडर की स्वीकृति कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वरिष्ठ सहायक गोदी मास्टर—1

सहायक गोदी मास्टर—6

बर्थिंग मास्टर--19

(ख) 1975--4 पद

1976--4 पद

1977--4 पद

(ग) यह संभव है कि तिरते और तटीय गृह व्यापार मास्टरों के वेतन और सेवा शर्तों में असमानता कुछ सीमा तक गैरप्रेरणादायी के रुप में कार्य करती है।

(घ) अगले दिन के लिये प्रत्याशित बर्थिंग कार्य के आधार पर पहली सांय को मध्य रात्रि से मध्य रात्रि तक 24 घंटे का रोस्टर तैयार किया जाता है। बर्थिंग मास्टरों को औसतन 1 से दो कार्य प्रति दिन मिलता है जो सभी लगभग 2 से 3 घंटे के होते हैं।

(ङ) जी, हां।

कलकत्ता पत्तन में बर्थ मास्टर्स के काम के घंटे

2734. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह में बर्थ मास्टरों को आठ घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है; और

(ख) क्या कलकत्ता बन्दरगाह में बर्थ मास्टर्स की सेवा शर्तें बंबई बन्दरगाह में बर्थ मास्टर्स की सेवा शर्तों से भिन्न हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक पत्तन में सेवा की शर्तें भिन्नभिन्न होती हैं जो स्थानीय अवस्थाओं और प्रत्येक पत्तन द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों पर निर्भर करती हैं ताकि वे स्थानीय अवस्थाओं के अनुरुप हों।

कृषि पर बिजली की कमी का प्रभाव

2735. **श्री पी० के० कोजियन :**
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में बिजली की भारी कमी है ;

(ख) बिजली की वर्तमान कमी से कृषि पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) इस समय निम्नलिखित राज्यों में विद्युत की बहुत कमी है :

(1) उत्तर प्रदेश
(2) तमिलनाडु
(3) आन्ध्र प्रदेश
(4) कर्नाटक
(5) महाराष्ट्र
(6) पश्चिम बंगाल

इससे पहले मई 1977 में, पंजाब, हरियाणा तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में भी बिजली की कमी थी परन्तु इस संबंध में अब स्थिति सुधर गई है ।

(ख) विद्युत की कमी के प्रभाव का पृथक रूप से केवल कृषि उत्पादन पर निर्धारण कर सकना संभव नहीं है क्योंकि अनेक अन्य कारण जैसे बीजों की किस्म, मौसम संबंधी परिस्थितियां, उर्वरक भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं तथापि, कृषि उत्पादन की कमी में बिजली की कमी का भी हाथ होता है ।

(ग) (1) जो यूनिटें या तो जबरन बन्द हैं या जिनका सुनियोजित रख-रखाव किया जा रहा है उन्हें दोबारा चालू करने के कार्य में गति लाने के लिए जोरदार कार्रवाई की जा रही है ।

(2) मौजूदा विद्युत केन्द्रों से होने वाले उत्पादन में यथासंभव सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(3) फालतू बिजली वाले राज्यों से बिजली की कमी वाले राज्यों को अन्तर्राज्यीय अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के जरिए बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है ।

(4) क्रमबद्ध अग्रताओं की योजना के अनुसार विद्युत उपभोग के राशनिंग की व्यवस्था की गयी है । अग्रता-सूची में कृषि का स्थान ऊपर है ।

(5) निर्माणाधीन यूनिटों को शीघ्र चालू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं ।

(6) बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से विभिन्न प्रणालियों तथा राज्यों की उत्पादनक्षमता में वृद्धि करने वाली योजनाओं को अभिज्ञात करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

Hindi Cells in Ministries

2736. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) Whether Hindi cells have been set up in each Union Ministry in order to use Hindi for official Work; and

(b) whether Government propose to undertake any concrete plan to ensure maximum office work in Hindi by taking effective steps for raising the standard of Hindi?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The programme is being evolved to enalrge the scope of the use of Hindi in official work.

It may be mentioned about the standard of Hindi that Government have issued orders that in official work such Hindi should be used which is easily understood by the people and if it is necessary, the prevalent words of other languages should be used without any hesitation.

The Government is making efforts to raise the standard of Hindi teaching in Schools and Colleges.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय को धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये प्रस्तावित आयोग में विलय का प्रस्ताव

2738. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय को धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी अल्पसम्प्रदायों के प्रस्तावित आयोग में विलय करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे संगठन का, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिये संविधान के लिये विशेष रूप से बनाया गया है, किन कारणों से विघटन करने की सोच रही है; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय करने से पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि अल्पसंख्यक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग भेदभाव तथा समानता से पीड़ित न हों, सरकार ने नागरिक अधिकार आयोग गठन, करने का निर्णय किया है। संवैधानिक संरक्षणों को ध्यान में रख कर इसके गठन, कार्य, संगठनात्मक ढांचे आदि पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य अल्पसंख्यकों के हितों पर इस आयोग के गठन का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर इस प्रस्ताव से उनके अधिकारों को और अच्छा संरक्षण मिलेगा।

(ग) कुछ सुझाव अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में सभी सुझाव पर सरकार द्वारा विधिवत् विचार किया जाएगा।

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ

2739. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार खादी उद्योग संघ भविष्य निधि की 85 लाख रुपए की राशि को एक अलग बैंक खाते में जमा करने में असफल रहा है जैसा कि भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित था ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण संघ के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) इस संघ की मार्च, 1976 के अनन्तिम तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में अवतरित कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में 18.76 लाख रुपये दिखाये गये हैं न कि 85.00 लाख रुपये। समझा यह जाता है कि संघ तथा कर्मचारियों के बीच भविष्य निधि की रकम के बारे में कोई विवाद है। संघ के सचिव ने सूचित किया है कि भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई राशि के बारे में संघ ने विवाद उठाया था किन्तु पटना उच्च न्यायालय द्वारा उसे खारिज कर दिया गया था।

(ख) बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ एक स्वतन्त्र स्वायत्तशासी तथा ऐच्छिक संस्था है जो सोसायटी पंजीयन अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड है, अतः खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उसके आंतरिक कार्य संचालन तथा कार्यों पर नियन्त्रण रखने के लिये सक्षम नहीं है। भविष्य निधि अधिनियम तथा नियमों के उल्लंघन के लिये आवश्यक कार्रवाई क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पर निर्भर करती है।

Use of Hindi in Ministries

2740. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Hindi Typists and Hindi Stenographers in the Ministries of the Government of India at present, Ministry-wise; and

(b) the steps being taken by Government to encourage exchange of cummunications in Hindi with Hindi speaking State Governments ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Now there are no separate posts of Hindi typists and Hindi Stenographers in the Ministries/Departments. Every Typist and Stenographer is required to acquire knowledge of typing and stenography in both Hindi and English respectively by training after coming in service. The information in respect of the number of trained Typists and Stenographers in various Ministries and Departments is being collected and will be laid on the Table of the House later.

(b) Provision has been made in the Official Language Rules 1976, under Sec. 8 of the Official Language Act that the offices of the Central Government should generally correspond in Hindi with Hindi speaking States and if any communication is sent to anyone of them in English, its Hindi translation will, also, be sent alongwith it. The progress in the use of Hindi is assessed in this regard by calling quarterly progress reports from the Ministries and Departments.

पूर्वोत्तर परिषद

2742 **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् में कौन-कौन से राज्य सम्मिलित हैं; और

(ख) इस परिषद् ने वर्ष 1975-76 और 1976-77 में कौन-कौन सी मुख्य परियोजनायें प्रारम्भ कीं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) पूर्वोत्तर परिषद् में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा के राज्य और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम संघशासित क्षेत्र भाग ले रहे हैं। (नागालैण्ड ने जनवरी, 1976 से भाग लेना आरम्भ किया)।

(ख) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान शुरू की गई नई परियोजनाओं योजनाओं की सूची अनुलग्नक 1 और 2 में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखे उये। देखिए संख्या एल० टी० 631/77]**.

'ल्यूनेटिक इन एटोमिक स्टेशन' शीर्ष समाचार

2743. **डा० सरदीश राय :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 1977 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'ल्यूनेटिक इन एटोमिक स्टेशन, (परमाणु केन्द्र में विक्षप्त)' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वहां पर सुरक्षा प्रबन्ध सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) जी, हां। यह घटना उन दिनों की है जब इस बिजलीघर का प्रचालन सम्बन्धी नियन्त्रण उन विदेशी ठेकेदारों के हाथ में था जो बिजलीघर का निर्माण उसे चालू करके सौंप देने (टर्न की) के आधार पर कर रहे थे। सन् 1969 में इस बिजलीघर का नियन्त्रण भारत सरकार के हाथ में आने के बाद, इसकी सुरक्षा-व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बना दिया गया था।

Programmes Telecast from Jaipur Door-Darshan

2744. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Jaipur Door-Darshan is telecasting programmes which are obsolete and not in tune with time ;

(b) whether the same programme is repeated twice or thrice a week and most of the programmes are presented with rural bias ;

(c) whether most of the TV sets are installed in the city and not in villages ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) No, Sir.

(b) (i) the repeat element is not more than 20% of the total programme output.

(ii) Since the service is essentially for rural areas, the programmes are rural-oriented

(c) There were 568 private-owned TV sets in Jaipur City as on 31-3-1977, while 380 Rural Community Sets have been installed in Rajasthan villages by Door-darshan.

(d) Does not arise.

सरकारी कर्मचारी जो 'विश्वायत्तम निवासम' के सदस्य थे

2745. **श्री आर० डी० गटानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहुत से सरकारी अधिकारी दिल्ली में श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा चलाये जा रहे 'विश्वायत्तम निवासम' के सदस्य थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है

बेरोजगारी पर श्वेत पत्र

2746. **श्री वसन्त साठे** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में बेरोज़गारी की चिन्ताजनक स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार देश में बेरोज़गारी के बारे में श्वेतपत्र जारी करने का है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में असंख्य शिक्षित युवकों तथा अशिक्षित बेरोज़गार युवकों की शक्ति का उपयोग करने के लिए विशिष्ठ कार्यक्रम का उल्लेख हो;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार ऐसे शिक्षित बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो डिग्री की परीक्षा के पश्चात् भी नौकरी के अवसरों की कमी के कारण बेरोज़गार रह जाते हैं; और

(घ) क्या सरकार देश में बेरोज़गारी की चिन्तनीय स्थिति को देखते हुए सरकारी सेवा में नौकरी के लिए आयु सीमा को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सरकार देश में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों में बेकारी की समस्या से पूरी तरह से परिचित है । इस समस्या को प्रभावी रूप से हल करने के लिए योजना आयोग से छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें रोज़गार के लिए बहुत अधिक व्यवस्था की गई हो आशा है कि आयोग इस विषय में ठोस नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तावित करेगा आयोग 1978–79 के लिए वार्षिक योजना तैयार करने में भी रोज़गार रोन्मुख नीति की सिफारिश करेगा ।

(ग) और (घ) जी नहीं ।

निजी सामाजिक क्लबों की गतिविधियां

2747. **श्री वसन्त साठे** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रमुख कस्बों, औद्योगिक बस्तियों, राज्यों की राजधानियों में और पहाड़ों पर शीघ्र ही मौका मिलते ही निजी सामाजिक क्लब खोले जाने और उनकी भूमिगत गतिविधियां जिनमें सब प्रकार के दुराचार, अपराध, यौन और औषध अपराध शामिल हैं, की ओर दिलाय गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्लबों की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्तियां

2748. **श्री जी० वाई० कृष्ण** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 20 वर्ष की स्वीकृत सेवा के पूरा होने पर सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने का विकल्प देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में कर्मचारियों को पेंशन के साथ जो लाभ देने का निर्णय किया है उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ?

Assistance to Companies for Manufacturing Power Tillers

2749. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the criterion on which the Companies manufacturing power tillers have been given assistance by Government indicating the nature of the assistance ; and

(b) whether the provision of assistance has been reviewed by Government ?

The Minister of Industry (Shri Brij Lal Verma) : (a) & (b) No specific assistance has been given by the Ministry of Industry to companies manufacturing Power Tillers. In order to bring down the prices of Power Tillers the Central Government have reviewed the incidence of Excise Duty. Accordingly Government, in the Central Budget presented in Parliament, have proposed to exempt power tillers from levy of general Excise Duty of 1%.

दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचार का साधन और दूरदर्शन कार्यक्रम

2750. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के राज्यों में जनता को शिक्षा देने के उद्देश्य से सरकार का विचार प्रचार के साधन और दूरदर्शन कार्यक्रमों का उपयोग करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी):(क) और (ख) . सूचना और प्रसारण मंत्रालय दक्षिण भारत के राज्यों में भी श्रव्य, दृश्य, लिखित और जीवन्त कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रतिविम्बित करता रहा है । सुविधाओं को और सुदृढ़ करने और इनका विस्तार करने के लिए इस वर्ष के दौरान हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में दूरदर्शन केन्द्र और गुलबर्ग (कर्नाटक) में दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, हुबली में पत्र सूचना कार्यालय का कार्यालय खोलने के अलावा, प्रकाशन विभाग के मद्रास स्थित प्रादेशिक वितरण कार्यालय के सेल्स एम्पोरियम में बदले जाने की उम्मीद है ।

आणविक विस्फोट

2751. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोखरन में किए गए विस्फोट जैसे आणविक विस्फोट करने के संबंध में सरकार नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस बारे में;

(ग) क्या यूरेनियम और प्लुटोनियम की विदेशों से सप्लाई के रास्ते में रुकावटें उपरोक्त (क) के निर्णय का कारण हैं; और

(घ) पांचवीं योजना में आणविक अनुसंधान पर कितना व्यय किया जाना है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सरकार अब भी अपनी इस नीति पर कायम है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों में किया जाना चाहिए ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पांचवीं योजना में परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए 167 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है जिसमें से 140 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि पंजीगत व्यय के लिए और 26 करोड़ 89 लाख रुपए राजस्व व्यय के लिए रखी गई है ।

Production capacity of Industrial Establishments

2752. Shri Yagya Datt Sharma : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the production capacity of industrial establishments during the current year indicating the names of such establishments whose capacity is proposed to be increased ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Industry (Shri Brij Lal Verma) : (a) and (b) : It is the general policy of the Government to encourage and facilitate optimum utilisation of existing capacities of industrial establishments subject to some constraints placed on large houses, dominant undertakings and foreign majority companies. It is also the general policy of the Government to encourage new investment in industry in accordance with the socio-economic objectives of the Government and growth profile of the National plan in industrial sphere.

बड़ौदा के पिछड़े ताल्लुकों के आदिवासियों पर अत्याचार

2753. **श्री गंगाधर अप्पा बूराडे** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बड़ौदा जिले के पांच पिछड़े ताल्लुकों के आदिवासी विधायकों तथा कार्यकरताओं के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्य मंत्री श्री बाबूभाई पटेल के सम्मुख शिकायत करके रगपुर आश्रम के एक कांग्रेसी नेता द्वारा आपात स्थिति के दौरान उन पर कथित अत्याचारों के आरोपों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आरोपों की जांच कराने का है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आदिवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल गुजरात के मुख्य मंत्री से मिला और रंगपुर आश्रम के कांग्रेसी नेता के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए कि उसने उनको एक हजार किलोग्राम चांदी जबरन देने की धमकी दी है। राज्य सरकार ने शिकायत की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों को सौंप दिया है।

गुजरात के राज्यीय भागों की राष्ट्रीय राजमर्गों में बदलना

2754. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के राज्यीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद बम्बई-राष्ट्रीय राजमार्ग

2755. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद से बंबई तक के राष्ट्रीय राजपथ पर बहत अधिक मरम्मत की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मरम्मत न करने के लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ग) इसकी उचित मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी , नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारें इस राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रयोजन के लिए उनको पर्याप्त अनुदान दिया जाता है और सरकार के न समझने का कोई कारण नहीं है कि यह उनको दिए गए धन के अन्दर संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा है।

Repeal of MISA

2756. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the steps being taken to repeal the Maintenance of Internal Security Act (MISA) and the time by which this Act will be repealed ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : The policy of the Government with regard to MISA has been clearly laid down in the address of the Acting President to both Houses of Parliament on 28th March, 1977. The matter is undeer active consideration of the Government and specific proposals in this respect will be brought before the House in due course.

टेलीविजन की ट्यूबें

2757. **डा० बापू कालदाते** : क्या **इलेक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन ट्यूबों का आयात बन्द कर दिया है:

(ख) क्या स्थानीय निर्माताओं को कोई लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इनमें से कितने लाइसेंसों का उपयोग किया गया है; और

(घ) इन लाइसेंसों का उपयोग न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों को देश में ही बनाने के लिए चार पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें से, दो पार्टियों ने पहले हो इन ट्यूबों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है; तीसरी पार्टि ने उत्पादन-क्षमता जुटाने करने के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

(घ) लाइसेंस अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित सभी मामलों पर अनुवर्ती/सुधारात्मक कार्यवाही करने की दृष्टि से नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।

मंझागांव डाक में मजदूर

2758. **डा० बापू कालदाते** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंझगांव डाक में बहुत से मजदूरों और कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जी नहीं। पहली जून 1977 को मझगांव डाक लिमिटेड के कुल 8826 कामगारों में से केवल 1815 कामगार अस्थायी थे और इसी प्रकार कम्पनी में उपर्युक्त तारीख को कुल 1070 लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारियों में से केवल 30 अस्थायी थे।

(ग) पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योग के कार्यों में घटा-बढ़ी होती रहती है इसलिए कुछ श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रखना अपरिहार्य है।

Per Capita Income and Expenditure

2759. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the per capita income and expenditure at present and in 1975-76 ; and

(b) the extent to which per capita income is expected to be increased by the end of the Fifth Five Year Plan ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Per capita income and expenditure in 1975-76 were Rs. 1005 and Rs. 926 respectively (at current prices). Similar information for 1976-77 is not yet available.

(b) Per capita income is estimated to increase by 14 per cent between 1975-76 and 1978-79, the end year of the Fifth Five Year Plan.

I. P. S. Officers Retired in Bihar

2760. Shri Ramanand Tiwari : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of members of the Indian Police Service retired compulsorily in Bihar during emergency ; and

(b) the number of persons out of them re-instated so far ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) No member of Indian Police Service has been retired compulsorily in the Bihar State during the emergency.

(b) Does not arise.

नेपाली बोलने वाले लोग

2761. श्री के० बी० चेतरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में, राज्यवार नेपाली बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि नेपाली बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) संलग्न विवरण में 1971 की जनगणना के अनुसार गोर्खाली/नेपाली बोलने वाले व्यक्तियों के अखिल भारतीय तथा राज्य-वार आंकड़े प्रस्तुत हैं [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–632 77**]। भाषा को गोर्खाली/नेपाली के रूप में वर्गीकर्त किया गया है न कि गोर्खाली और नेपाली को अलग से।

(ख) जी नहीं श्रीमान् उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जहां कमी हुई है। यदि सम्पूर्ण देश को लिया जाय तो कुल मिलाकर लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रवास से भी जन-संख्या की वृद्धि पर प्रभाव पढ़ता है यह आवश्यक भी नहीं समझा जाता है।

पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बजट

2762. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977–78 वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बजट में कितनी व्यवस्था है; और

(ख) उन विभिन्न परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर वर्ष 1977–78 में केन्द्रीय सरकार का विचार काम शुरू करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए 1977–78 के लिए 3.25 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1977–78 में विशेष सहायता कार्यक्रम के साथ चलाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनायें इस प्रकार हैं :—कृषि में अधिक उपज देने वाली किस्मों और बहु फसल उगाने की स्कीमों का आरम्भ, संतरे, और अन्य शीतोष्ण फलों के बगीचों का संवर्धन, भूमि संरक्षण और छोटी सिंचाई के निर्माण-कार्य, दुग्ध उद्योग और मुर्गी-पालन का विकास, वन की सड़कों का निर्माण और गांवों को मंडियों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, सिनकोना बागान का विस्तार, रेशमकीट पालन के प्रदर्शन फार्म और सेवा केन्द्रों की स्थापना, पर्यटन का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में नलकों से पीने की पानी की व्यवस्था और दार्जिलिंग में एक सुपर मार्केट तथा बस स्टेंड का निर्माण ।

Coal deposits in Santhal Pargana

2763. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether there are rich deposits of coal and other minerals in Santhal Pargana but these are not being utilised ; and

(b) whether Black Diamond Scheme will be implemented immediately ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Large deposits of inferior coal with reserves of about 1300 million tonnes and small deposits of China Clay, Fire Clay, Bentonite and building materials have been located in Santhal Pargana. The coal deposit is suitable for thermal power generation. A small quantity of coal is being raised for local consumption mainly for brick burning.

(b) Project Black Diamond is the 10-year perspective plan on Coal India Limited. Its implementation will depend upon materialisation of demand for coal and other techno-economic considerations.

Persons engaged in Khadi Trade

2764. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the number of persons engaged in khadi trade and the reasons for the decline in their numbers ; and

(b) the types of work being done by various branches of the khadi institutions in the country and the number of people working therein and the criteria on which they are paid their salaries ?

The Minister of Industry (Shri Brij Lal Verma) : (a) the number of persons engaged in Khadi work for the last five years is given below :

Year	*No. of persons (in lakhs)*
1971-72	9·63
1972-73	9·98
1973-74	8·84
1974-75	9·01
1975-76	8·24

Various factors have been responsible for the decline in number : general depression in textile trade ; inadequacy of working capital ; part-time and supplementary nature of khadi work.

(b) Khadi Institutions carry out spinning and weaving through artisans. They look after supply of inputs and marketing directly. 24,000 workers are employed by 700 khadi Institutions directly. The criteria as laid down by the Central Certification Committee on which salaries and wages of the workers and artisans are determined as indicated below :

(i) Maximum of Rs. 600 per month in 'A' class city including allowances but excluding house rent.

(ii) Maximum of Rs. 500 per month in cities other than 'A' class including allowances but excluding house rent.

(iii) Spinning wages are fixed on the basis of hanks and counts and it varies from State to State.

(iv) Weaving wages are fixed as per the prevailing weaving rates in the handloom market.

Members of Atomic Energy Club

2765. Shri Jagdambi Prasad Yadav : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the names of the countries which are members of Atomic Energy Club and the nature of relations they have with India ;

(b) the countries which have assured cooperation again in India's atomic research and the nature of cooperation assured ; and

(c) the progress achieved by India in atomic research ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) Government is not aware of any Atomic Energy Club.

(b) India has agreements for cooperation in the peaceful uses of atomic energy with a number of countries enumerated below :

(1) The Agreement with USA provides for cooperation in the construction and operation of the Tarapur Atomic Power Station.

(2) The Agreement with Canada provides for cooperation in the construction of the Rajasthan Atomic Power Station.

(3) The Agreement with France is mainly concerned with the field of fast breader technology.

(4) The Agreement with Afghanistan, Argentina, Bangladesh, Belgium, Czechoslovakia, Denmark, Arab Republic of Egypt, Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, Hungary, Iran, Iraq, Italy, Rumania and Spain generally provide for—

(a) fellowships for training of scientists ;

(b) exchange of unclassified data and publications :

(c) exchange of scientific visits ; and

(d) carrying out of collaborative programmes.

All the countries continue to cooperate with the exception of Canada which had decided to terminate further cooperation in May 1976. The question was, however discussed broadly between the two sides at the time of commonwealth Prime Ministers' Conference in London in May 1977.

(c) The progress achieved by India in atomic research is contained in the latest Annual Report of the Department of Atomic Energy which has been placed on the Table of the House.

Production of Cosmetics and Luxury Goods

2766. Shri Ramanand Tiwari : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether production of cosmetics and luxry goods yields 200 per cent to 300 per cent profit ; and

(b) if so, whether Government propose to bring these industries under the public sector ?;

The Minister of Industries (Shri Brijlal Verma) : (a) Government has not undertaken any specific study in this regard.

(b) No such proposal is under consideration.

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

2767. श्री के० राममूर्ति : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा एकाधिकार व्यापार को समाप्त करने के लिए सीमेंट चीनी, पटसन और कागज के सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सलेम में दूरदर्शन केन्द्र

2768. श्री के० राममूर्ति : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सलेम स्थान पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास परमाणु बिजलीघर परियोजना, कलपक्कम का निर्माण

2769. **श्री के० राममूर्ति :**
श्री के० टी० कोसलराम :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम में मद्रास परमाणु बिजली घर परियोजना के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह परियोजना किस वर्ष पूरी होगी और इस में कार्य करने का ढंग क्या होगा?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) **मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट** : प्रमुख न्यूक्लीय तथा परम्परागत किस्म के उपस्कर लगाये जा रहे हैं।

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट : सिविल निर्माण कार्य का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। न्यूक्लीय तथा परम्परागत किस्म के उपस्कर बनाये जा रहे हैं।

(ख) इन दोनों यूनिटों का निर्माण-कार्य पूरा होने का निर्धारित समय क्रमशः सन् 1979 का अंत और सन् 1981 का मध्य है। यह बिजलीघर एक "बेस लोड स्टेशन के तौर पर कार्य करेगा और तामिलनाडु, और दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड को बिजली देगा।

राज्य विधान मंडलों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

2770. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान मंडलों में पिछड़े वर्गों को जो 20 का प्रतिनिधित्व मिला है, वह पूर्णतया नगण्य है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन समुदायों को इन की जन संख्या के अनुपात पर किस प्रकार प्रतिनिधित्व देने का है; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भांति इन वर्गों में से कुछ नाम निर्देशन अथवा स्थानों को आरक्षित करने की कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) . यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित 20 पिछड़े वर्ग कौन से हैं। किन्तू संविधान के अधीन लोक सभा और विधान मंडलों में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। ऐसा आरक्षण अनुसूचित जातियों जनजातियों की कुल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है न कि व्यक्तिगत जाति/जन जाति के आधार पर।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। लोक सभा और राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

राज्यों के पुनर्गठन का प्रभाव

2771. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप बने छोटे छोटे राज्य अधिक उत्पादन और खुशहाली लाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्यों की जनता के परामर्श से बड़े भाषायी राज्यों को छोटे छोटे स्कंधों में पुनर्गठित करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) राज्य के आकार का एक राज्य के उत्पादन अथवा समृद्धि से अनिवार्यत : में कोई संबंध नहीं है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को परिवहन राज सहायता

2772. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक रूप में पिछड़े जिलों का, राज्यवार नाम क्या है ;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जिनकों परिवहन राज सहायता की सुविधा मिल रही है और उन जिलों के नाम क्या हैं जो परिवहन राजसहायता पाने के हकदार नहीं है;

(ग) इस के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या दार्जिलिंग जिले को परिवहन राजसहायता की सुविधा देने का मामला सरकार के विचाराधीन है; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों तथा

(i) रियायती दर पर वित्त की सुविधा तथा (ii) निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना के लिए पात्र चुने गए क्षेत्रों के नाम क्रमश: संलग्न अनुबंध i और ii में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी०--633/77]

(ख) और (ग). राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति के पहल करने पर चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग प्रारम्भ करने हेतु राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों की संस्तुति करने के लिए 1968 में एक कार्यकारी दल की सिफारिशों में से एक सिफारिश चुने हुए पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योगों के लिए परिवहन राजसहायता की व्यवस्था करने के बारे में थी । परिवहन राजसहायता समिति द्वारा सिफारिश पर बाद में और भी विचार किया गया । समिति का विचार था कि जम्मु तथा काश्मीर तथा उत्तर पुर्वीय क्षेत्र की भौंगोलिक स्थिति अन्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से बिलकुल ही भिन्न है । बने हुए माल के बाजारों से अत्यधिक दूरी को प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल के स्रोतों को जम्मु तथा काश्मीर राज्य व उत्तरीपूर्वी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में कुछ उद्योगों द्वारा वहन की गई परिवहन लागत सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते हुए, समिति ने अन्य बातों के साथ साथ सिफारिश की थी कि परिवहन राजसहायता की योजना को केवल इन राज्यों तथा संघ क्षेत्रों तक ही सीमित

रखा जाना चाहिए। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में, उपर्युक्त राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए, 1971 में परिवहन राजसहायता की केन्द्रीय योजना प्रारम्भ की गई थी। तत्पश्चात् परिवहन लागत तथा गाड़ीभाड़े की दरों से सम्बन्धित आंकड़ों का अध्ययन करने के उपरान्त योजना का विस्तार हिमाचल प्रदेश, राज्य, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र (अर्थात् देहरादून जिलों, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौरी गढ़वाल, टेहरीगढ़-वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष-द्वीप तक भी कर दिया है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार के दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र तक योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा धनबाद में पानी की सप्लाई की योजनाएं

2773. श्री ए० के० राय : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा धनबाद में पानी की सप्लाई की योजनाओं पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है ;

(ख) कितनी योजनायें चालू हो गई हैं ;

(ग) कितनी कोयला खानों में खनिकों को फिलटर पानी मिल रहा है;

(घ) क्या भूमि के नीचे काम करने वाले खनिकों के लिए साफ किए गए जल की सप्लाई का कोई प्रबंध है; और

(ड़) उक्त विषय पर 10 जून, 1977 का भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की निग-रानी समिति, द्वारा मंत्री महोदय को दिए गए ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा पूरी की गई जल-पूर्ति योजनाओं पर 69.53 लाख रुपए खर्च हुआ है। इसमें वह धनराशि शामिल नहीं है जो निर्माणाधीन योजनाओं पर खर्च की गई है।

(ख) विस्तृत योजनायें--22

सुधारी गई योजनायें--31

(ग) भारत कोकिंग कोल की 60 कोयला खानों में साफ पानी दिया जा रहा है। यह पानी या तो भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा स्वयं बनाई गई योजनाओं या फिर झरिया जल बोर्ड जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाता है।

(घ) दो कोयला खानों में भूमि के नीचे साफ पानी नलों के द्वारा पहुंचाया जाता है। बाकी कोयला खानों में साफ पानी या तो मजदूर कंपनी द्वारा दी गई बोतलों में ले जाते हैं या उन्हें नीचे पानी ट्रालियों पर रखी टंकियों से पहुंचाया जाता है।

(ङ) ज्ञापन की जांच की जा रही है।

सराय रोहिला पुलिस स्टेशन, दिल्ली में लिखवाई गई एफ०आई०आर०

2774. श्री राम कंवर बेरवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1975 को सराय रोहिला पुलिस स्टेशन, दिल्ली में धारा 324 के अन्तर्गत एफ०आई०आर० संख्या 917 लिखवाई गई थी और यदि हां, तो एफ० आई० आर० का मजबून क्या है ?

(ख) क्या आपात स्थिति के दौरान सराय रोहिला पुलिस स्टेशन के एस० एच० ओ० द्वारा मामले को रफादफा कर दिया गया था और इस मामले में न्यायालय के आदेशों का अभी तक पालन नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा अपराधियों को दंड दिलाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) 30-10-1975 को त्रिनगर के प्रताप सिंह नामक एक व्यक्ति ने थाना शान्तिनगर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया था कि जब वह अपनी शामियानों की दुकान में सो रहा था तो उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी और उस से दरवाजा खोलने के लिए कहा गया। बाहर वाले व्यक्ति ने पांच दरियां भी मांगीं। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह अस्वस्थ है और इसलिए वह दरवाजा नहीं खोल सकेगा। किन्तु दरवाजा जबरदस्ती खोल लिया गया। जब शिकायतकर्ता बाहर आया तो उसने चार व्यक्ति देखे। उनमें से तीन ने उसे पकड़ लिया जबकि चौथा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हो गया। उन सबने कहा कि हम देखेंगे कि शिकायतकर्त्ता उनके विरुद्ध गवाही कैसे देगा। शिकायतकर्त्ता की घूसों से पिटाई की गई। आक्रमणकारियों में से एक ने किसी अज्ञात हथियार से शिकायतकर्त्ता की दाईं हथेली को घायलकर दिया। दूसरे आक्रमणकारी ने उसके बायें हाथ में काट खाया। शिकायतकर्ता को सर्वश्री ईश्वर कुमार, महावीर प्रसाद, किशन चन्द और चन्द्रभान ने बचाया। इस शिकायत पर थाना सराय रोहिला में भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन एक मामला एफ०आई० आर० नं० 917 दिनांक 30 अक्तूबर, 1975 दर्ज किया गया।

(ख) तथा (ग). दिल्ली पुलिस प्राप्त सूचना के अनुसार, मामला थानाध्यक्ष सराय रोहिला द्वारा रफादफा नहीं किया गया था। जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि मामला झूठा है। अतः अभियुक्तों को छोड़ने के अनुरोध के साथ मामला रद्द करने की रिपोर्ट न्यायालय को भेज दी गई। किन्तु न्यायालय इस अनुरोध से सहमत नहीं हुआ तथा जांच पड़ताल करने और न्यायिक फैसले के लिए न्यायालय में चालान फाइल करने के आदेश दिये। मामले की आगे जांच पड़ताल की गई किन्तु आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं पाया गया। 25-11-1976 को मामला पुनः न्यायालय को, रद्द करने के लिए भेजा गया। न्यायालय का फैसला प्रत्याशित है।

पुलिस अभिरक्षा से गुम हुए नजरबन्द व्यक्ति

2775. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राजनीतिक नजरबन्दियों की संख्या कितनी है जो पुलिस अभिरक्षा में लिए जाने के बाद से लापता हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : राज्य सरकार और संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी व्यक्ति के आपात स्थिति की अवधि अर्थात् 25-6-1975 से 21-3-1977 के दौरान जो मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द था, गुम होने की कोई सूचना नहीं है।

जनता सरकार की प्रतिष्ठा को खराब करने वाले असंतुष्ट तत्व

2776. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सरकार की प्रतिष्ठा को खराब करने हेतु असंतुष्ट तत्वों के गुंडों तथा अपराधियों के साथ मिल जाने से दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तत्काल क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). समस्त देश में अपराध में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली तथा देश के कुछ राज्यों में अपराध की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है। दिल्ली में कुछ गम्भीर प्रकार के अपराधों जैसे हत्या तथा लूटपाट में इस वर्ष अप्रैल और मई के दौरान 1975 की इसी अवधि की अपेक्षा कमी हुई है। राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपने क्षेत्राधिकार में अपराधों को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय कर रहे हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने संबंधी योजना में रूपभेद

2777. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन संबंधी योजना में रूपभेद करने अथवा उसमें सुधार करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

बम्बई पत्तन न्यास में हड़ताल

2778. **श्री रामानन्द तिवारी** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई पत्तन न्यास के क्रेन ड्राईवरों और शोर कृयू (तट कर्मी दल) ने मई, 1977 में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बंबई पत्तन न्यास के क्रेन चालकों तथा तट चालकों ने 1977 के दौरान हड़ताल पर गये जैसा नीचे दिखाया गया है :—

(i) विद्युत तथा हायड्रालिक वार्फ क्रेन चालक	10 मई से 21 मई, 1977 तक
(ii) तट कर्मीदल	11 मई से 21 मई, 1977 तक
(iii) चल क्रेन चालक	16 मई से 21 मई, 1977 तक

(ख) कर्मचारियों ने कर्मी तालिका, विश्राम के अलग अलग साप्ताहिक दिन समयोपरि इत्यादि से संबंधित परिवर्तन उलटने की मांग की।

कर्मचारियों ने 21—5—77 को श्रम मंत्री द्वारा पत्तन में औद्योगिक सम्बन्धों में सामन्जस्य लाने के लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के फलस्वरूप हड़ताल वापिस ले ली और 22—5—77 से अपने काम पर वापिस आ गये। पत्तन न्यास ने अब इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कार्यान्वित कर दिया है।

लोक वस्त्र एककों की स्थापना

2779. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लोकवस्त्र एकक स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन किन राज्यों ने इस बारे में विशेष रुचि दिखाई है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या प्रोत्साहन दर्शाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा): (क) सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अभिकरण के माध्यम से शुरू में 20 लोक वस्त्र एकक स्थापित करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । आयोग से प्रत्येक परियोजना में अधिक से अधिक 5 लाख रुपये के निवेश की परियोजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है ।

(ख) आठ राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने इस योजना में रुचि व्यक्त की है। ये हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, असाम, उड़ीसा जम्मू और काश्मीर तथा हरियाणा राज्य और त्रिपुरा तथा दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र ।

(ग) लोकवस्त्र एककों के लिये बैंकिंग संस्थानों से धनराशि उपलब्ध की जायेगी तथा सरकार ऐसे एककों द्वारा देय 4% को सामान्य ब्याज दर और बैंकिंग संस्थानों द्वारा वसूले किए जाने वाले ब्याज दर के अन्तर के बराबर सरकारी सहायता देगी ।

राजनीतिक दलों और श्रमिक संघों को विदेशों से प्राप्त धनराशि

2780. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में श्रमिक संघों, राजनीतिक दलों अथवा अन्य एसोसिशनों को विदेशों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ख) ऐसे श्रमिक संघों और राजनीतिक दलों एवं एसोसियशनों के नाम क्या हैं तथा उनके पदाधिकारियों के नाम तथा पते क्या हैं ;

(ग) क्या कुल मामलों में इस विदेशी धनराशि का दुरुपयोग होता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में राजनैतिक दलों और श्रमिक संघों द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है । विदेशी धन (विनियम) अधिनियम, 1976, 5 अगस्त, 1976 से ही प्रवृत्त हुआ था । अधिनियम के उपबंधों के अधीन राजनैतिक दलों पर विदेशी धन स्वीकार करने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध है । श्रमिक संघ, जो उक्त अधिनियम की धारा 5 के खंड (1) के अधीन किसी राजनैतिक स्वरूप संगठनों के रूप में अधिसूचित किये गये हैं, को भी केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से ही विदेशी धन स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है । जिन संगठनों के निश्चित सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यक्रम हैं, केवल वे केन्द्रीय सरकार की किसी पूर्वानुमति के बिना विदेशी धन स्वीकार कर सकते है किन्तु उन्हें प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर भारत सरकार को इसकी सूचना देनी पड़ती है । अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद किन्ही राजनैतिक दलों अथवा अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन किसी राजनैतिक के संगठनों के रूप में अधिसूचित श्रमिक संघों द्वारा विदेशी धन प्राप्त किये जाने का पता नहीं लगा है । किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार, 5 अगस्त, 1976 से 15 जून, 1977 तक की अवधि के दौरान 3277 अन्य संगठनों ने 119,31,11,040 रुपये का विदेशी धन प्राप्त किया है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक दलों और श्रमिक संघों के बारे में सूचना शून्य है। अन्य संगठनों, जिन्होने विदेशी धन के बारे में सूचित किया है, की सूची उनके पदाधिकारियों के नाम व पते के साथ संकलित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

(ग) तथा (घ). धन के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

काश्मीर के संबंध में नीति

2781. श्री एस० एन० गोविन्द नायर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जून, 1977 के स्टेटसमैन, कलकत्ता में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार, शेख अब्दुल्ला ने यह रहस्योंदघाटन किया है कि श्री अशोक मेहता ने उन्हें बताया था कि जनता पार्टी काश्मीर के मामले में जवाहर लाल नेहरू की नीति के आधार रूप से विरुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को इस आशय के समाचार की जानकारी है। इस समाचार के अलावा सरकार के पास इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं है। अनुच्छेद 370 के बारे में सरकार की नीति जो जम्मू और काश्मीर को विशेष स्तर प्रदान करती है अपरिवर्तित है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पोत परिवहन विकास निधि (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान) नियम, 1977

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

"व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पोत परिवहन विकास निधि समिति (मृत्यु एवं सेवा निवृत्तिउपदान) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 674 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल टी 605/77]

वर्ष 1975–76 के लिए बाल फिल्म सोसाइटी का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य कलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन, वर्ष 1977–78 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) बाल फिल्म सोसाइटी के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) बाल फिल्म सोसाइटी के जनवरी से दिसम्बर, 1976 की अवधि के कार्य कलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति । **[ग्रन्थालय में रख गए । देखिए** संख्या एल० टी० 606/77]

(3) वर्ष 1977–78 के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए** संख्या एल० टी० 607/77]

वर्ष 1977–78 के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों का शुद्धि पत्र

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

वर्ष 1977–78 के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों के शुद्धि-पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 608/77]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त, राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्ननलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) सा० सां० नि० 258 (ड०) जो दिनांक 31 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 817 जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये । संख्या एल टी० 609/77]

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड (संशोधन) नियम, 1977 और नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि० के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की समीक्षा

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 की उपधारा (3) के अंतर्गत भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 749 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या** एल टी० 610/77]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1975–76 के कार्य करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 611/77]

वर्ष 1977–78 के लिए श्रम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगे

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

वर्ष 1977–78 के लिए श्रम मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखे गये **देखिए** सख्या एल० टी० 612/77]

वर्ष 1974–75 के लिए राष्ट्रीय कागज अखबारी तथा कागज मिल्स लिमिटेड नेपानगर का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे आदि

उद्योग मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक एक प्रति : —

(एक) राष्ट्रीय अखबारी कागज तथा कागज मिल्स लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष, 1974–75 के कार्य करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय अखबारी कागज तथा कागज मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष, 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 613/77]

(2) (एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष, 1973–74 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 614/77]

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना सख्या सां० आ० 774 (ड०) (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें मैसर्स समस्तीपुर सेन्ट्रल सूगर कम्पनी लिमिटेड, समस्तीपुर के प्रबंध पर नियंत्रण जारी रखने संबंधी आदेश दिया हुआ है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिय** संख्या एल० टी० 615/77]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) घरेलू विद्युत उपकरण (गुण-प्रकार नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 जो दिनांक 24 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 367 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) नई इस्पात ट्यूब (बिना जोड़ वाली ट्यूबों तथा ए पी आई विशिष्टयों के अनुसार बनी ट्यूब को छोड़ कर) (गुण–प्रकार नियंत्रण) आदेश 1977 जो दिनांक 21 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 406 (ड०) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० एल० टी० 616/77]

(5) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कपड़ा मशीनरी उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रख गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 617/77]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

पहला प्रतिवेदन

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हू।

Shri Mani Ram Bagari (Mathura) : A Gurudwara, Temple and Masjid are being demolished in cantonment area in Mathura which may result in communal visits there. This matter may be looked into.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने स्विस बैंक कांड के बारे में कल कलकत्ता से एक तार भेजा था। जिसकी एक फोटो स्टेट प्रति मेरे पास है। यह श्री संजय गांधी के खाते से स्विटजरलैंड में बर्न में मेनका गांधी के खाते में धन के अन्तरण के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में बहुत से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं तथा नियम 327 के अधीन सूचनाए पड़ी हुई है। इस सम्बन्ध में वैलट किया जायेगा।

अनुदानों की मांगें, 1977-78–जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78—cotd.

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग–जारी

श्री डी०बी० पाटिल (कोलाबा): सरकार की शिक्षा नीति सफल रही है। लेकिन सरकार की नीति तभी सफल कही जा सकती है जब हम सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रुप से पिछड़े हुए लोगों

को शिक्षा प्रदान करने में सफल हों। हमारा अनुभव रहा है कि अब तक उपेक्षित लोगों की अभी भी उपेक्षा की जा रही है। हमें इस दृष्टिकोण से यह देखना चाहिये कि क्या हम उन्हें असानी से शिक्षा प्रदान कर सकते है ।

जहां तक 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का प्रश्न है, यह शिक्षा अनिवार्यतः दी जानी चाहिये। इसका अर्थ यह है कि 14 वर्ष तक की आयु वाले लड़कों को स्कूल जाने एवं शिक्षा लेने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की थी। लेकिन जनता सरकार से यह आशा नहीं कि वह इसकी उपेक्षा करेगी।

चौथी योजना में शिक्षाहेतु कुल परिव्यय कर 41 प्रतिशत त्याग प्राथमिक शिक्षा के लिए रखा गया था और पांचवीं योजना में इसे बढ़ाकर 43 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार पांच वर्षों में कुल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सरकार यह सुनिश्चित करे कि छठी योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिये अधिक राशि का प्रावधान किया जाये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना को लागू करना सम्भव नहीं होगा।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र के विशिष्ट तालुक में 15 उच्च स्कूल हैं और वे औसतन 11 वीं कक्षा की परीक्षा के लिये 600 छात्र भेजते हैं। 10+2+3 पद्धति के कारण 11वीं की कक्षाएं बहुत कम हैं। इन 15 स्कूलों में से केवल एक स्कूल में नई पद्धति है। इसका अर्थ यह हुआ है कि ग्रामीण छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। सरकार की नीति उन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करने की नहीं होनी चाहिये जो पहले से ही इस सुविधा से वंचित हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

Shri S. S. Das (Sitamarhi) : I rise to support the demands for grants in respect of Ministry of Education. Yesterday several Members expressed the view that like external affairs and defence, education should not be looked upon from any political or partisan point of view and that there should be broad consensus on this subject. Recommendations have also been made from time to time to keep education above class interests and religious and communal considerations. But in actual practice we find that the position in our educational institutions is just the opposite. Also, they have not yet got the autonomy which is so necessary for their proper functioning. It is time the Education Minister should pay attention to it and take some remedial steps.

The first need is to bring education in the Central list ; it should not remain in the hands of the States. It is also necessary that enough finances are made available for education. Unfortunately this important thing has all along been neglected.

It is regrettable that although we talk much about socialism, we have not yet been able to strike at the elite class which has come up in our country and which dominate every sphere of our life. If this class has to be eliminated it can be done only by the Gandhian method.

It is time that Government should pay more attention to the economically and socially backward people. If we want to bring them up it is necessary that their children are given some concession in admission to the educational institutions. If others get admission on 70 per cent marks these pe ple should be admitted on only 50 per cent marks.

The U.G.C. gives a substantial amount for research work. Unfortunately this amount is being misspent. Also, there is much corruption in research work. These things should be looked into.

श्री ए० आर० बद्रीनारायण (शिमोगा) : शिक्षा राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि के भवन का आधारभूत ढांचा है । दुर्भाग्यवश गत कई वर्षों से शिक्षा के इस पहलू की उपेक्षा की गई है । शिक्षा मंत्री को शिक्षा के मामले पर पुनर्विचार करना चाहिये जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों और वर्तमान ढांचे के अनुरूप हो ।

इस समय सभी शैक्षिणिक सुविधाऐं शहरों में केन्द्रित हैं। उधर गांवों में इतने स्कूल नहीं हैं जितने होने चाहिये । यदि कोई स्कूल है भी तो उसका भवन नहीं है या अध्यापक गांव का किसान या दुकानदार है जिसे कक्षा में जाने का समय ही नहीं मिलता । परिणामत: गांवों में स्कूल जाने वाले छात्र की स्थिति बहुत खराब है और वह शहर में पढ़े लड़के के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता क्योंकि वह इससे अच्छा पढ़ालिखा है । यह विषमता जारी है और बढ़ती जा रही है । अत: जनसंख्या के अनुपात में गांवों में पर्याप्त स्कूल होने चाहियें । छात्र-शिक्षीक अनुपात को बनाये रखना भी आवश्यक है । निम्न स्तरो पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जा सकती है । गांवों में कक्षा कार्य ठीक चल रहा है या नहीं, इसके लिये कड़ा निरीक्षण रखा जाना चाहिये । स्कूलों के भवनों, उपकरणों तथा खेल-कूद के मैदानों की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। शिक्षकों को आवास सम्बन्धी सुविधा भी दी जानी चाहिये । माता-पिता को इस बात के लिये मजबूर करना चाहिये कि वे अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करायें । गांव में पार्ट-टाइम अध्यापक नियुक्त किये जाने चाहियें । शिक्षा देने के रिटायर कर्मचारियों की सेवायें भी ली जानी चाहियें । ऐसे स्कूल चालू करने के लिये ग्राम परिषदों की स्थापना की जानी चाहिये। समस्या को अस्थायी रूप से सुलझाने से काम नहीं चलेगा । ग्रामीण बच्चे को शिक्षित करने के लिये कोई भी त्याग बड़ा नहीं है ।

शिक्षा संस्थाओं को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिये । छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रवृत होने देना चाहिये । यदि वे राजनीति में रुचि रखते हैं और राजनीतिक जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने के लिये तैयार है तो इसके लिये उनके पास काफी समय रहेगा ।

शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन का होना बड़ा आवश्यक है । देश में शिक्षा प्रणाली में एकरूपता होनी चाहिये । बुनियादी शिक्षा जरूरी है । उच्चतर माध्यमिक श्रेणी से शिक्षा का विविधीकरण होना चाहिये । ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कारीगरों, मैकेनिकों, कृषि सलाहकारों, स्टेनों-टाईपिस्टों की बहुत जरूरत है । यदि हमारे पास यह सब मौजूद हो जाये तो हम ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार की जरूरत पूरी कर सकते हैं । हमें छात्रों में यह भावना पैदा करनी चाहिए कि वे अपने पावों पर खड़े होने के लिए पूर्णतया योग्य हैं ।

सरकार चाहती है कि ग्राम स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जायें । मेरा सुझाव है कि हमें ग्राम स्तर पर विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए । ऐसे स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों को तैयार करने का कोई लाभ नहीं जो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते और नहीं अपने पावों पर खड़े हो सकते हैं ।

हमें शिक्षा में समानता लानी होगी । केवल योग्य छात्रों को ही विश्वविद्यालयों में लिया जाना चाहिए ।

Shri Narsingh Yadav (Chandoli): It is really surprising that the Finance Minister's budget speech which was contained in 121 paras did not have a single word about education. This is something very disappointing. We had expected that the Finance Minister would have given enough funds for education in the budget in accordance with the declarations of the Janata Party. But when we saw the budget we found that only 1·25 per cent of the total budget would be spent on education. It appears that both the Finance Minister as well as the Education Minister have not paid enough attention to education.

It is regrettable that during the last 30 years the Congress Government had so much neglected education that we found that in many schools there is no seating arrangement even and students have to sit on the floors. One reason for this State of affairs is that education has been in the hands of the State Governments. It is time education is brought in the Union list.

At present there are two types of schools in our country, the primary schools and the Convent schools. This kind of arrangement is harmful for democracy because it prevents the growth of a feeling of homogenety. Therefore, it is necessary that we have a uniform system of education for the whole of the country.

So far as the question of Hindi is concerned, it is regrettable that we have not yet been able to arrive at a consensus in this regard. The people of the North say something and the people of the South say something else. There should be no bitterness between the North and the South in this regard. In this connection it would be better if Government give some incentives to the people of non-Hindi speaking States if they learn Hindi.

As regards the 10+2+3 scheme, under this system the students have to read a large number of subjects which put much burden on them. If this scheme is to be continued it should be suitably modified. Moral and religious education should also find place in this scheme.

The present system of examinations is defective and there is great need to change it. Let an expert Committee be appointed to go into the question. There is great need to revolutionise the present system.

The basic education system devised by Mahatma Gandhi has remained confined to the Junior High Schools and has become meaningless. The Education Minister should find some way of extending it to the secondary stage so that after completing it the students can find employment.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत संकट में है और इससे छात्र असंतुष्ट हैं । वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानी पड़ चुकी है । इसमें शिक्षा पूरी करने वाले छात्र आज के वैज्ञानिक युग में बहुत कम सफल हो सकेंगे । परीक्षा प्रणाली भी अब पुरानी पड़ चुकी है । बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की प्रतिशतता बढ़ गई है । शिक्षा प्रणाली की समस्या बड़ी विकट है ।

10+2+3 प्रणाली शुरू करके सरकार ने और विशेषकर नए मंत्री ने इस संकट को नया रूप दे दिया है । मंत्री महोदय ने पहले तो इस प्रणाली के विरुद्ध अभियान सा छेड़ दिया । ऐसा लगता था मानो वह आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों को समाप्त करना चाहते हैं । लेकिन मेरे विचार में यह प्रणाली आपातस्थिति की देन नहीं है । यह राष्ट्रीय मतैक्य का परिणाम है । लगभग 20 राज्यों ने इस प्रणाली को आरम्भ किया है और अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं । यदि इस प्रणाली को बिल्कुल विपरीत रूप देने का प्रयास किया गया तो यह गैरजिम्मेदारी रवैया समझा जायेगा । क्योंकि इस प्रणाली को आरम्भ करने में लगी शक्ति, राशि तथा प्रयास बेकार जायेंगे । अत: सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए ।

[श्री सी०के० चन्द्रप्पन]

हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् के परिसर में एक सभा हुई थी जिसमें अजीब-अजीब से विचार प्रकट किए गए थे। वे शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हतस्क्षेप के विरूद्ध थे। उनका कहना था कि शिक्षा के भौतिक पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। वे रोजगारप्रधान शिक्षा के भी विरुद्ध हैं। इस बैठक के आयोजकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बारे में सरकार की क्या राय है। क्या मंत्री महोदय ध्यान में रखते हुए कोई शिक्षा नीति तैयार करेंगे।

गत 60 दिनों से मानसिक विक्षुप्तों हेतु प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों ने मंत्री महोदय के घर के आगे धरना दे रखा है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक सम्मेलन बुला कर इस मामले को शीघ्र निपटाऐं।

पब्लिक स्कूल प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। क्योंकि वहां केवल अमीरों के ही बच्चों को प्रवेश मिलता है। निर्धनों के बश की बात नहीं है कि वे अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ा सकें।

देश के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिए जायें। उनके वेतनमानों में समानता लाई जानी चाहिए।

जहां तक खेल कूद का सम्बन्ध है, खेलों में, विशेषकर ओलम्पिक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की स्थिति बहुत कमजोर है। मंत्री महोदय इस पर विचार करें और खेलों के लिए जन आन्दोलन शुरू करें।

Shri H. L. Patwary (Mangaldo): Our Constitution provides for free and compulsory education to the boys in the age group of 6 to 14 years. But the previous Government had not cared to implement it. Education is a subject which should not be treated in a partisan manner. Our educational system should be so framed that it creates a sense of patriotism. It should lay more stress on practical work and it should go a long way in briging about national integration. But the Congress Government had made education an instrument to bread dis-integration.

Primary education can create a sense of unity among students. A primary education Grants Commission should be set up to formulate the contents of primary education.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी): शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर जनता की भलाई और हमारे महान् देश का विकास निर्भर करता है। शिक्षा मंत्रालय को दिया गया आवंटन बहुत कम है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विकासशील समाज की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया जा सकता।

खेद की बात है कि भारत की विशष्टि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहां कि बेरोजगारी एक विकट समस्या बनी हुई है और जिसके परिणाम स्वरूप युवा वर्ग में बहुत निराशा है, एक व्यापक शिक्षा पद्धत्ति तैयार करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। अतः शिक्षा पद्धत्ति ऐसी होनी चाहिए, जो कि भारतीय दशाओं के अनुरूप हो। हमें तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए। 10+2+3 पद्धति ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उलझन पैदा कर दी है। अतः समूचे ढांचे की तत्काल समीक्षा करने की

आवश्यकता है । इस ढांचे को बनाया रखा जा सकता है । किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । 10+2 की व्यवस्था स्कूलों अथवा डिग्री कालेजों के साथ संबद्ध करने की बजाय जूनियर कालेजों में रखनी चाहिये ।

1972 का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम बिल्कुल गैर-लोकतांत्रिक अन्यायपूर्ण तथा अनैतिक है और संविधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को दिए गए सभी मूल अधिकारों के विरुद्ध है । अत: सरकार को 1960 में बेग समिति, 1961 में चटर्जी समिति और 1975 में खुसरो समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों के अनुरूप इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सभी उपाय करने चाहिएं ताकि इस विश्वविद्यालय के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के स्वरूप को सुरक्षित रखा जा सके ।

कोठारी आयोग प्रतिवेदन के कुछ उपबन्ध विशेषकर प्रतिवेदन का वह भाग जिसमें सरकारी शिक्षा के लिए एक समान स्कूल बनाने का उल्लेख है, वह अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं है । ये सिफारिशें संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के उपबन्धों के विरुद्ध है, इनके अनुरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जबकि अल्पसंख्यकों की भावी पीढ़ी अपने धर्म, संस्कृति और परम्पराओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो जायेगी । अत: सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए और उन्हें प्रतिवेदन के ऐसे भागों को एकदम अस्वीकार कर देना चाहिए जो कि अल्पसंख्यकों के लिए तथा उनके अधिकारों के लिए अहितकर है । भाषा के मामले का भी उल्लेख किया गया है । जहां तक उर्दू का सम्बन्ध है, इस भाषा की दशा दयनीय है । उर्दू के साथ इन सभी वर्गों में भद-भाव और अन्याय किया गया है और यह रवैया अभी भी जारी है । हमें आशा है कि नई सरकार उर्दू को उचित स्थान दिलायेगी और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में उसे दूसरी प्रादेशिक भाषा का स्थान दिया जाये ।

कुछ राज्यों में अभी भी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान नहीं दिए जा रहे हैं । इससे भेदमूलक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । महाराष्ट्र राज्य में इस मामले ने बहुत गंभीर 'रूप धारण' कर लिया था और इसके कारण सरकार को अदालत में पेश होना पड़ा ।

शिक्षा को अब समवर्ती सूची में रख दिया गया है, इसलिए अब सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि सभी राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू हों ।

Shri Mahendra Narayan Sardar (Araria) : The studerts had started a movement to bring about a radical change in the pattern of education in the country. But there is no indication of any proposals in the budget to bring about the radical change. The education system has got to be linked with the pattern of employment in the country. There is discontentment among students due to lack of employment opportunities. So the present educational system has to be changed completely.

The benefits of expenditure on education reaches to the 15 per cent of the people who are rich. For primary education, only Rs. 365 crores have been provided whereas for university education, a huge sum of Rs. 4399 crores have been provided. It is mockery of literacy compaign.

It is unfortunate that boys of rich families are admitted to medical and Engineering Colleges if they pay donations of huge amounts. The Education Minister should see that this practice is stopped.

[Shri M hendra Narayan Sardar]

Adequate attention has not been given to schools in rural areas ; which often, conduct their classes in open and which are most ill-equipped. Government therefore should see that more amenities are provided in rural schools.

The 10 plus 2 plus 3 system would be a mockery if it does not provide for employment opportunities. The need of the hour is that the Education Minister should convene a Conference on an all India level to carry out an appropriate educational policy for the country in future.

*श्री ए० सुन्नासाहिब (पालघाट) : दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्षों के उपरान्त भी हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए]

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्राथमिक अवस्था में 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 1978–79 तक हम 96 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। लेकिन पांचवीं कक्षा तथा सातवीं कक्षा तक के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या की प्रतिशतता के बराबर है। सरकार को इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि बच्चे बीच में ही पढ़ाई अधूरी न छोड़ दें। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या 27.52 प्रतिशत से बढ़कर 38.87 प्रतिशत तथा 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाली लड़कियों की संख्या 19.3 प्रतिशत से बढ़कर 31.62 प्रतिशत हो गई है। महिलाओं को घर की चार दिवारी में ही बंध कर नहीं रहना चाहिए अपितु उन्हें देश के विकास में सक्रिय भाग लेना चाहिए।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूली शिक्षा का एक मुख्य कार्यक्रम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिकरण का है। यह एक प्रशंसनीय उद्देश्य है और इसकी प्राप्ति अवश्य की जानी चाहिए। लेकिन खेद की बात है कि वर्ष 1976–77 में उच्चरत माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिकरण के लिए आवंटित 20 लाख रुपये की राशि में से केवल 6.88 लाख रुपये की अल्पराशि का ही उपयोग किया जा सका। वर्ष 1977–78 के लिए इस उद्देश्य हेतु 70 लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है। मंत्रालय को पूरी राशि का उपयोग करना चाहिए। युवा पीढ़ी के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस योजना के सम्बन्ध में 13.22 लाख रुपये की राशि वापस कर दी गई है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं किया जा सका। भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जानी चाहिए।

मैसूर, मद्रास और केरल के प्राचीन स्मारकों और पुरावस्तुओं के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए एक प्रादेशिक पुरातत्वीय सर्किल है। जब मैसूर को इस बात का पता चला कि इस सर्किल को प्राप्त होने वाली राशि का एक मुख्य भाग मद्रास द्वारा विनियोजित कर लिया जाता है तो मैसूर ने अपने लिए अलग से सर्किल बना लिया। अब मद्रास और केरल का एक ही सर्किल है किन्तु मद्रास 95 प्रतिशत राशि का उपयोग अकेले ही कर रहा है और केरल को केवल 5 प्रतिशत ही राशि दी जा रही है। जो कि वहां के स्मारकों के संरक्षण के लिए न के बराबर है। अतः शिक्षा मंत्रालय को केरल के लिए

*तमिल में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।

एक पृथक पुरातत्वीय सर्किल बनाना चाहिए और केरल राज्य के प्राचीन स्मारकों के रखरखाव के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

गत वर्ष हिन्दी के विकास पर 4.50 करोड़ रुपये व्यय किए गए। गैर-हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में काम करने के उद्देश्य से 1300 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन हिन्दी भाषी क्षेत्रों में काम करने के लिए 13 भाषाओं में केवल 288 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। देश में यह भाषायी मामले के साथ अन्याय है। सभी भाषाओं के विकास की ओर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

हमारे विश्वविद्यालय परिसर, विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय का परिसर शिक्षित दुष्टों का अड्डा बन गया है। विद्यार्थियों को नशीली दवाइयां खाने की आदतें पड़ गई हैं। इसके अतिरिक्त वे कई अनैतिक कार्य भी कर रहे हैं। मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और विश्वविद्यालय परिसरों को इस तरह के दूषित वातावरण से मुक्त करना चाहिए।

Shri Jagdambi Prasad Yadav (G dda): There is a good deal of scope to introduce reforms in the present system of examinations. The Education Minister should lay down some definite policy in this regard. It is hoped that the Education Minister would clearly indicate the educational policy of the Government. The previous Government had made students an instrument for making experiments in the field of education. There is a great disparity among the urban schools and the rural schools. More attention must be paid to improving the conditions of schools in rural areas. Because in rural areas there are no school buildings and the students have to sit in open on the floor. In urban schools there are all facilities like television playground etc. but in rural schools they are deprived of all these facilities.

Unless there is uniformity in education we cannot develop our society. It is said that the education should be employment oriented. What steps are being taken to make education employment oriented ? The present education is producing only clerks.

The Harijans and backward people cannot afford to send their children schools because their economic plight is miserable. Unless they are economically and socially uplifted, they will not have any zeal for education.

Financial assistance should be given to states so that they make construct school buildings in rural areas.

A reference has been made about sports. Our population is about 60 crores even then we are not able to produce good players. Our place international sports events is at the bottom. Concrete steps should be taken to improve our sports activities.

We have not been able to make education compulsory for the children between the age group of 6 to 11 years. Proper attention should be paid to this matter.

श्री पी० जी० माव रंकर (गांधी नगर) शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। लकिन गत 30 वर्षों में इसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। देश के विकास एवं राष्ट्रीय प्रगति के लिए निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गतिशीलता इच्छा तथा दृढ़ निश्चय की बजाये उदासीनता और स्वीकृति का वातावरण बना हुआ है ?

स्वतंत्र भारत में शिक्षा का इतना महत्व नहीं है, जितना कि स्वतंत्रता से पूर्व था। स्वतंत्रता से पूर्व दी जाने वाली शिक्षा का स्तर ओजस्विता पूर्ण तथा महत्व रचनात्मक था। जबकि स्वतंत्र भारत में शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं है। शिक्षा अपने उद्देश्य को सार्थक नहीं कर रही।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

शिक्षा मंत्रालय का क्षेत्र प्राथमिक माध्यमिक कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा तक फैला हुआ है। समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, गतिविधियां और सभी स्वेच्छिक संस्थाएं शामिल हैं। केरल में इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया है।

जहां तक बच्चों की शिक्षा नीति का सम्बन्ध है, सरकार ने 22 अगस्त, 1974 के संकल्प में नीति की घोषणा की है लेकिन इसमें साक्षरता, अंक सम्बन्धी और सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी बातों का भी समावेश करना चाहिए।

शिशु कल्याण और शिशु कार्यक्रमों पर अधिक राशि व्यय की जानी चाहिए।

देश में खलबली सी मची हुई है। हड़तालें फिर से शुरु हो गई हैं। यह कहना गलत है कि आपात स्थिति के दौरान छात्रों में असन्तोष नहीं था। अन्तर केवल इतना है कि पहले असंतोष दबा पड़ा था, अब मुखर होकर सामने आ गया है। जब तक छात्रों और शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं की जातीं, तब तक शिक्षा परिसरों में शान्ति का वातावरण पैदा नहीं किया जा सकता।

शिक्षा का स्तर भी गिर गया है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जब तक शिक्षकों के कार्य की शर्तों एवं वेतनों में संशोधन नहीं किया जाता तब तक शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो सकता है। अच्छे शिक्षकों के स्तर को सुधारने के लिए मंत्री महोदय को प्रयास करना चाहिए।

***श्रीमती विभावरी गोस्वामी** (नवद्वीप) : जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में स्पष्ट आश्वासन दिया था कि आगामी 12 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा और इस तरह 5 से 10 वर्ष की अवधि में देश से निरक्षरता का उन्मूलन हो जाएगा। गरीबी मिटा दी जाएगी। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार को अपनी प्राथमिकता बदलनी होंगी। वर्तमान बजट को देखकर मुझे प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। बजट आवंटनों में 27.6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन सामान्य मूल्य स्तर भी 11.6 प्रतिशत बढ़ गया है। मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यही कहा जा सकता है कि केवल 5 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय बजट से शिक्षा के लिए कुल आवंटन में एक प्रतिशत से कुछ अधिक वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा के प्रसार और निरक्षरता उन्मूलन के कार्यक्रम कैसे आरम्भ किए जा सकते हैं न तो बजट आवंटनों में खास वृद्धि हुई है और न ही प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया गया है। इस संदर्भ में मैं यह मांग करती हूं कि केन्द्रीय बजट का 10 प्रतिशत आबंटन शिक्षा के लिए किया जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में देश के सभी राज्यों की स्थिति समान नहीं है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देना सम्भव नहीं है। इन तीनों राज्यों को विशेष स्तर पर मान कर तुरन्त इतना धन दिया जाए ताकि वहां आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जा सके।

जब तक हम व्यवसायिक शिक्षा और रोजगार के अवसरों में समन्वय स्थापित नहीं करेंगे या बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, शिक्षा की समस्या हल होने की बजाये और बिगड़ जाएगी। अतः मेरी यह मांग है कि व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को तुरन्त रोजगार दिया जाए या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। सभी राज्यों में व्यसायिक प्रारीक्षण की व्यवस्था करने हेतु बजट में दी गई राशि अपर्याप्त हैं।

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का सक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Bengali

जहां तक कालेज शिक्षा का सम्बन्ध है, विशेष अनुदान के लिए 400 कालेजों का चयन किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत 100 कालेजों का चयन तो कर लिया गया है। पिछली सरकार ने शिक्षा की दो प्रणालियां या स्तर लागू किए थे--एक गरीबों के लिए और दुसरा अमीरों के लिए। अब हमें पता चला है कि गुण नियन्त्रण और शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए "लीड कालेजों' की स्थापना करने का विचार किया जा रहा है, जिनके साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा। इससे तो यही प्रतीत होता है कि पुरानी नीति को ही लागू किया जाएगा। अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा आदि को सभी सुविधाएं श्रेष्ठ संस्थानों को ही दी गई हैं। अतः अमीरों को प्रोत्साहन देने की नीति समाप्त की जानी चाहिए। 'लीड कालेजों' का विचार भी त्याग देना चाहिए।

रिपोर्ट से पता चलता है कि मंत्रालय के कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण लिखने की सलाह दी गई है। यह अनुदेश हिन्दी के बारे में सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्य के प्रतिकूल है। सभी भाषाओं के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिएं। समय-समय पर आश्वासन दिए गए हैं कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। ऐसे अनुदेश तुरन्त वापिस लिए जाने चाहिए।

सरकार द्वारा महिलाओं के हर मामले में सुरक्षा दी जानी चाहिए। महिलाओं के दर्जे के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित किया जाना चाहिए। इस आयोग को सांविधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह अपनी सिफारिशें लागू कर सकें। यह महिलाओं के जीवन में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह शिक्षा नीति बनाते समय अपने घोषणा पत्र को ध्यान में रखें।

Shri Sheo Narain (Basti) : The condition of primary school teachers in villages is far from satisfactory. They receive partly salaries and have no facilities. How can competent persons be attracted to the field of education then if this is the situation ? Steps must be taken to increase the salaries of the teachers and improve the standard of education. Government must see that more funds are allocated for primary education.

No special facilities should be given for a particular caste or community. All students, irrespective of caste or community, should be given equal facilities for education. Efforts must be made to bring uniformity in our system of education. The moral aspect of education also need to be stressed.

'Urdu' is spoken in a large part of the country and it must continue as a regional language but at the same time we must not oppose Hindi. Those who oppose Hindi do so at their own cost. Hindi must be given all encouragement.

There are serious complaints against the Vice Chancellor of Delhi University. Government must look into the functioning of this University and take immediate necessary measures to improve the situation.

People have high hopes from Government of Janta Party. It is hoped that this Government would give new direction and a new orientation to our system of education.

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : कई सदस्य समयाभाव के कारण बोल नहीं पाए हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही के बाद वे अपने सुझाव मुझे दें।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि केवल साक्षरता ही शिक्षा का मानदंड नहीं हो सकती। बिना साक्षरता के शिक्षा और बिना शिक्षा के साक्षरता हो सकती है।

[श्री प्रताप चन्द्र चन्दर]

मनुष्य को समाज की कल्पना करनी होती है । अंतः उसे समाज के अनुरुप शिक्षा लेनी चाहिए । इसलिए शिक्षा को एकांगी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता । इसका लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से सम्बन्ध होना चाहिए और यदि शिक्षा समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप नहीं ढाली जाती तो यह काल दोष बन जाएगा ।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में पूर्णता लाना है ।

माननीय सदस्यों ने शिक्षा आवंटनों में वृद्धि करने की मांग की है । मैं उनका आभारी हूं ।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि केन्द्रीय बजट का 10 प्रतिशत भाग शिक्षा के लिए आवंटित किया जाना चाहिए । लेकिन पांचवी योजनावधि के दौरान इस शीर्ष में बहुत कम राशि आवंटित की गई थी । वित्त मंत्री महोदय पहले ही सदन में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बर्ष सरकार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए शिक्षा के लिए अधिक आवंटन करना उनके लिए कठिन है । किन्तु हमें आशा है कि आगामी बजट में हमें अधिक राशि मिलेगी और छटी योजना निर्धारित करते समय स्थायी समिति एवं केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सलाह को ध्यान में रखा जायेगा । इस सम्बन्ध में मैंने योजना आयोग से बातचीत आरम्भ कर दी है और योजना आयोग ने छटी योजना में शिक्षा के महत्व पर बल दिया है ? इस पर भी शिक्षा के लिए किया गया राशि आवंटन का कुछ भाग कृषि मंत्रालय श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अवंटित किया गया है । हमारें संविधान के अन्तर्गत राज्यों को शिक्षा पर बहुत धनराशि व्यय करनी पड़ती है ?

हमारे संविधान में शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन 42 वें संशोधन में इसे समवर्ती सूची में लाया गया है । इस सम्बन्ध में मतभेद है । परन्तु हमारा दल इसके विरुद्ध है और यदि 42 वां संशोधन रद्द कर दिया गया तो इससे शिक्षा फिर समवर्ती सूचि से निकाल दी जायेगी। यद्यपि कोठारी आयोग बहुत से शिक्षा को केन्द्रीय सूची में नहींलाना चाहता था किन्तु पिछली सरकार ने इस मत को रद्द कर शिक्षा को केन्द्रीय सूची में रख दिया । कोठारी आयोग का मत है कि शिक्षा का अधिक केन्द्रीयकरण करने से देश का अहित ही होगा । किन्तु दुर्भाग्य है कि निवर्तमान सरकार ने संविधान में संशोधन कर शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया । वर्तमान वैधानिक स्थिति में हम तब तक राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि यह सदन इसे केन्द्रीय सूची में शामिल करने के आधार पर कोई निश्चयात्मक कानून पास नहीं करता । जब तक ऐसा नहीं होगा राज्य शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी ही नितियां निर्धारित करने के लिए स्वतत्र है । ऐसी स्थिति में शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं राज्य सरकारों के परामर्श से ही हल करनी होगी इसलिए मैंने शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में चर्चा करने हेतु विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाने का आयोजन किया है । इस बैठक में लिए गये निर्णय केन्द्रीय और राज्य सरकारों की वित्तीय संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत ही कार्यान्वित किए जायेंगे ।

शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक मत व्यक्त किए गए है, यहां तक कि प्रवेश (दाखिले) के सम्बन्ध में भी विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं । लेकिन हम अतीत के अनुभवों और समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर ही कार्य कर रहे है । लेकिन कम से कम एक मुद्दे पर तो सर्वसम्मति रही है कि प्रत्येक नागरिक प्रत्येक बालक को शिक्षा दी जाये और अनिवार्य या सभी के लिए वयस्क शिक्षा और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए । हम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास कर रहे है तथा प्रौढ़ शिक्षा

पर अधिक बल दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जा रही है जो हमारे देश में बड़े पैमाने पर प्रौढ़ शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से कार्यक्रम तैयार करेगा और नीति निर्धारित करेगा। ऐसे कार्यक्रम पर बहुत अधिक धन खर्च होगा जिसे न केन्द्र वहन कर सकेगा और ना ही राज्य सरकारें वहन कर पायेंगी। अतः मेरा सुझाव है कि यह समस्या स्वैच्छिक स्तर पर ही हल होनी चाहिए और सभी वर्गों के लोग जिनमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, इसमें भाग लें। इस तरह से इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए देश में अपेक्षित वातावरण पैदा हो जायेगा।

हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देना कम कर दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 56 प्रतिशत राशि आवंटन हुआ था लेकिन 5वीं योजना में यह राशि घटाकर 32 प्रतिशत कर दी गई है। हमें इसी राशि से अपना काम चलाना है।

हमारी सरकार निरक्षरता के उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर प्रथम या अधिक बल देगी। बजट में वास्तविक आवंटन भले ही पर्याप्त न हो, लेकिन चूंकि यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है इसलिए विभिन्न वर्गों के लोगों के सहयोग से इस दिशा में कुछ कार्य आरंभ किया जायेगा। यहां प्रौढ़ शिक्षा या धन का ही प्रश्न नही उठता बल्कि प्रश्न प्रेरणा का भी उठता है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए वयस्कों का स्कूलों में आने के लिए कैसे प्रेरित किया जाये। हमें इस कार्य के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर इस के अनुकूल बनाना होगा। जब तक वयस्कों को कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा इस कार्य पर धन खच करना व्यर्थ जायेगा। हमारा प्रस्ताव है कि वयस्कों की कक्षा लेने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा वर्तमान स्वैच्छिक एजेंसियों एवं उद्योगों कार्मिक सघों या सरकारी विभागों से सम्बन्धित अन्य एजेंसियों की सहायता देने की दृष्टि से ही यह सारा धन व्यय किया जाये। इस सम्बन्ध में इसी वर्ष काय आरम्भ होने की सम्भावना है।

वयस्क शिक्षा का जनसंचार सम्बधी आधुनिक तरीकों के माध्यम से भी प्रचार किया जा सकता है। वस्तुतः इन माध्यमों से शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाने का प्रयास किया जायेगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन करने के बाद ही इस समस्या का समुचित रुप से समाधान हो सकता है।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा का संबंध है, कुछ विशेष एवं व्यावहारिक कठिनाइयों पर जोर दिया गया है। सर्वप्रथम तो आवास अथवा स्थान की समस्या है क्योंकि अधिकांश स्कुल कच्चे हैं। ग्रामीण स्कूलों के निर्माण के लिए एक विशेष निकाय है। इसने कम लागत से टिकाऊ मकान बनाने का एक तरीका निकाला है। यह कार्य आंशिक रूप में सरकारी खर्चे से और आंशिक रूप में उस बस्ती के लोगों की सहायता से पूरा किया गया है। इस तरह से दोहरी सहायता से देश के पूर्वी भाग में टिकाऊ मकानों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन यह कार्य बड़े पैमाने पर करना होगा ताकि हम और अधिक मकान बना सकें।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि शिक्षकों को उचित वेतन नहीं मिलता है। उन्हें जीवन निर्वाह के लिए अन्य साधन अपनाने होते हैं जिससे उन्हें प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों को पढ़ाने के कार्य पर अधिक समय खर्च न करना पड़े। इस लिए प्राथमिक शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है। यह महत्वपूर्ण मामला है और इसपर गम्भीरता से विचार करना होगा।

इस मामले पर राज्य सरकारों से भी परामर्श करना होगा। हमें राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर ही कोई कदम उठाना होगा।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद): एक समान प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का सम्बन्ध है इस बारे में बहुत भ्रान्तियां पैदा हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था स्थापित करने हेतु 10 + 2 + 3 शिक्षा प्रणाली अपनाई गई है। इसमें केवल वर्षों का ही ध्यान नहीं रखा गया है बल्कि इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में कुछ मूल परिवर्तन आयें। इस प्रणाली पर पुनर्विचार करने हेतु बातचीत शुरू करने पर आपत्ति की गई है। इस प्रणाली को अपनाते समय न केवल वर्षों का ध्यान रखा गया है अपितु, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में कुछ मूलभूत परिवर्तन भी करने की ओर ध्यान दिया गया है। इस प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए बातचीत करने पर आपत्ति की गई है। इस संबंध में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही अनुसरण कर रहा हूं, जो 1968 में इसी सदन में अपनाई गई थी। इस राष्ट्रीय नीति में यह व्यवस्था की गई कि भारत सरकार इस संबंध में की गई प्रगति की प्रत्येक पांच वर्ष के बाद पुनरीक्षा करेगी और भावी विकास के लिए मार्गदर्शन की सिफारिश करेगी। लेकिन पिछली सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जबकि हम इस सदन द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन कर रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्यों की शिकायत है कि छात्रों के कन्धों पर पुस्तकों का बहुत अधिक भार लाद दिया गया है जिसे वे उठाने में असमर्थ हैं। नौवीं और दसवीं कक्षाओं में एक छात्र को 13 विषय पढ़ने पड़ते हैं। इससे छात्र के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। इसे देखते हुए हम ने पुस्तकों का भार कम करने का निर्णय किया है, क्योंकि पुस्तकों की अत्यधिक संख्या के कारण अभिभावकों की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुस्तकों की संख्या-भार कम करने से छात्रों को समय मिलेगा जिसमें वे समाज सेवा कार्यों में भी भाग ले सकेंगे। उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। अतः 10 + 2 की प्रणाली अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए मैं ने कभी नहीं कहा कि यह प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी। मैंने तो यही कहा है इस प्रणाली की समीक्षा की जायेगी और इसमें परिवर्तन एवं सुधार किए जायेंगे। ।

जहां तक जमा दो प्रणाली का संबंध है हमें इसे स्कूलों में चालू करने पर आधिक जोर दिया गया है हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि यह प्रणाली अधिकाधिक स्कूलों और कुछ कालेजों में चालू हो, कुछ कालेजों में तो इससे संम्बधित ढांचा, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के दो वर्ष स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्कूलों, कालेजों अथवा दोनों में हों। मैंने ऐसा ही निर्णय किया है।

विश्वविद्यालय शिक्षा की अत्यधिक आलोचना की गई है। यह सही है कि देश में विश्व-विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं हैं किन्तु हमें उनके कामों को पीछे नहीं करना चाहिए विश्व-विद्यालय निश्चय ही अपना काम कर रहे हैं आज देश में 105 विश्वविद्यालय हैं और 9 ऐसे संस्थान है जिन्हें विश्वविधालयों की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसी बात नहीं कि सभी विश्वविध्यालयों में खराबियां हों केवल एक दर्जन विश्वविद्यालयों में ही अव्यवस्था है। मैं छात्र अव्यवस्था अथवा

असंतोष को कम नहीं कर रहा। हम इस संबंध में बड़े गम्भीर हैं और उस ओर हमारा ध्यान है। परन्तु साथ ही हमें विश्वविद्यालयों की बिगड़ी अवस्था को बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं दिखाना है। कुछ संस्थाएं बड़ी अच्छी तरह चल रही है।

भष्टाचार के बारे भी चर्चा की गयी है। जहां तक उपकुलपतियों अथवा विश्वविद्यालयों के अन्य अधिकारियों का संबंध है, हमारा मार्गदर्शन अधिनियम और अध्यादेश आदि करते हैं। हमें विधि के अनुसार चलना पड़ता है। उससे बाहर हम नहीं जा सकते। विश्वविद्यालय के संबंध में हमें बदले की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

यह भी कहा गया है कि पाठ्यक्रम समान होना चाहिये परन्तु जब हम क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा देना चाहते हैं तब समान पाठ्यक्रम कैसे रह सकता है। अतः मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर उसमें वह गतिशिलता नहीं आ सकती जो कि कुछ सदस्य चाहते हैं। कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम की समानता के बारे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहीं है। आयोग का कहना है कि देश भर में समान स्कूलों और कालेज पाठ्यक्रम लागू करना आवश्यक तथा उपयुक्त नहीं। इस समानता का निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिये।

जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का सम्बन्ध है इसके बारे में मैं उपकुलपति श्री खुसरों तथा अन्य प्रतिनिधियों से बात कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक स्वरुप को समाप्त करने के लिए अधिनियम में किस प्रकार संशोधन किया गया। हम तथ्यों से अवगत हैं और अल्पसंख्यक की इच्छा के अनुसार, उसमें परिवर्तन करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा): गुजरात विद्यापीठ क्यों बंद है ?

डा० प्रताप चंद्र चन्द्र : यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुजरात विद्यापीठ कुछ समय से बंद है। हमें यह पता है कि 10+2 पद्धति लागू करने पर कुछ कठिनाइयां उठ खड़ी हुई, ऐसा है कि विद्यापीठ में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या घट जाये।

Shri Bhagat Ram : The Hon. Minister made no mention about the Public Schools.

डा० प्रताप चंद्र चंद्र : पब्लिक स्कूलों के सम्बन्ध में याचिका समिति ने विचार किया है। समिति के विचार में इन स्कूलों को अचानक बंद कर देना उचित नही होगा।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय सम्बन्धी सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following demands in respect of Ministry of Education and Social Welfare were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राजस्व राशि	पंजी
28	शिक्षा विभाग	1,05,06,000	..
29	शिक्षा	1,20,21,23,000	53,81,000
30	समाज कल्याण विभाग	10,91,39,000	..

अध्यक्ष महोदय : मैं संस्कृति विभाग सम्बन्धी सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं :—

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

All the Cut Motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्कृति विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

The following Demands in respect of Department of Culture were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि राजस्व	पूजी
102	संस्कृति विभाग	5,91,99,009	
103	पुरातत्व	4,53,33,000	

इंडियन एक्सप्रैस समूह के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच हुये समझौते के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE:UNDERSTANDING REACHED BETWEEN THE EMPLOYEES AND THE MANAGEMENT OF THE INDIAN EXPRESS GROUP

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मुझे सदन को यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि 'इंडियन एक्सप्रैस' समाचार पत्र के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच दिल्ली में ही नहीं वरन् अन्य स्थानों पर भी समझौता हो गया है।

कुछ अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर भी समझौता हो गया है कि सरकार द्वारा अधिसूचित 50 प्रतिशत अंतरिम सहायता पहली अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1977 तक तथा उसके बाद 100 प्रतिशत अंतरिम सहायता पहली जनवरी 1978 से दी जायेगी।

अनुदानों की मांगें, 1977–78––जारी
DEMAND FOR GRANTS—*contd.*
पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा अब रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेगी।

श्री ओ० वी० अलगेसन (अर्क्योनम) : कई बार ऐसी गैर-जिम्मेदारना बातें कही गयी हैं, मानो पिछले 30 वर्षों में तेल के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गत दो दशकों में तेल उद्योग ने बहुत प्रगति की है। गत 20 वर्ष से पहले हम तेल प्राप्त करने में विदेशी पूंजी, विदेशी जानकारी और विदेशी तकनीकों पर पूर्णतः आश्रित थे, लेकिन अब हम ऐसी स्थिति में आ गये हैं कि हम लगभग आत्म निर्भर हो गये हैं और अब तो हम विदेशों में भी तेलशोधक कारखाने लगाने की स्थिति में हैं।

तट दूर तेल खोज का कार्य भी हमने शुरु कर दिया है। यह बहुत ही अनिश्चित कार्य है। इसके लिये बहुत दक्षता और तकनिकी प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। हमने यह सब पिछले वर्ष ही शुरु किया और अब हम तट दूर समुद्र में बनाये कुओं से तेल निकालने लगे हैं तथा हमें आश्वासन दिया गया है कि प्रतिवर्ष बम्बई हाई स्थित तेल के कुओं से 20 लाख टन तेल का उत्पादन बढ़ायेंगे। यह कोई कम उपलब्धी नहीं है।

हम अपने देश में 80 लाख टन अशोधित तेल का उत्पादन कर रहे हैं इसमें बृद्धि होती रहेगी। लेकिन हमारी मांग भी बढ़ेगी। हम लगभग 140 लाख टन तेल का आयात कर रहे हैं। पांच वर्ष बाद हमारी यह मांग बढ़कर 320 लाख टन हो जायेगी जबकि हम केवल 190 लाख टन ही अपने देश में उत्पादन कर सकेंगे। फिर भी हमें आयात जारी रखना है। हमें इस स्थिति में यथाशीघ्र सुधार करना होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से मंत्री महोदय को सुनिश्चित करना चाहिए कि पैट्रोलियम उत्पादों तथा पैट्रोल और डीजल तथा गैस के मूल्य कैसे कम हों। इन उत्पादों के मूल्य कम करना अत्यावश्यक है। 1976–77 के दौरान हमने उर्वरकों के उत्पादन के बारे में बहुत सफलता प्राप्त की है। 1976–77 में 19 लाख टन नाईट्रोजन का उत्पादन हुआ जो लक्ष्य का 97 प्रतिशत है।

4.8 लाख टन फास्फेट का उत्पादन हुआ, जिसमें हमने पूरा लक्ष्य प्राप्त किया है। फिर भी मंत्री महोदय को उर्वरकों के उत्पादन से संतोष नहीं है। क्योंकि भारतीय उर्वरक निगम को 1974–75 में 24.56 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। एफ०ए०सी०टी०, दक्षिण भारत में एक अन्य उर्वरक उत्पादन संगठन को 12.48 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कुल 37.40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस घाटे को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय को उर्वरकों की कीमतें भी कम करनी चाहिये। हमें उस समय बहुत निराशा हुई जब वित्त मंत्री अपने बचट में इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं लाये। यदि आप उर्वरकों की कीमतें कम करें तो इससे कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

अब मैं औषधियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। औषधियों के उत्पादन में देश में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1947 में हमारे देश में केवल 11 करोड़ रुपये के मूल्य की

[श्री ओ० वी० अलगेशन]

औषधियों का उत्पादन होता था। 1975–76 में यह उत्पादन बढ़ कर 670 करोड़ रुपये का हो गया। पांचवीं योजना में 700 करोड़ रुपये के मूल्य की औषधियों के उत्पादन का लक्ष्य है। यहां भी सरकारी क्षेत्र का संस्थान इंडियन ड्रगस फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड में भारी मुनाफा हो रहा है। परन्तु कुछ एककों में घाटा हो रहा है, विशषतया हिन्दूस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड में वर्ष 1974–75 में 3.28 करोड़ रुपये और वर्ष 1975–76 में 2.92 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसी प्रकार मद्रास स्थित सर्जीकल इन्सट्रमेंटस प्लांट को 1974–75 में 1.22 करोड़ तथा 1975–76 में 1.36 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए अनेक समितियां गठित की हैं और इन समितियों ने इन संयंत्रों में उत्पादन का विविधकरण करने की विभिन्न योजनाएं बनाने की सिफारिश की है। मंत्री महोदय सुनिश्चित करें कि अपेक्षित सुधार किया जाये।

औषधियों के निर्माण में बहुराष्ट्रीय फर्में बहुत शक्तिशाली हैं। वे भारी मुनाफा कमा रही हैं। मुझे याद है कि एक फर्म ने 192 प्रतिशत लाभांश घोषित किया था। यदि इन फर्मों के लाइसेंस रद्द किये जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इस के अतिरिक्त औषधियों के मूल्यों को कम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। क्योंकि इन के मूल्य बहुत अधिक हैं और गरीब व्यक्ति खरीद नहीं सकते। हमें औषधियो के मूल्य कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ उठाना चाहिए। इस से नये मंत्री महोदय की और ख्याति होगी।

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
72	1	श्री पी०राजगोपाल नायडू : पैट्रोल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिये अधिक राशि नियत करने की आवश्यकता	राशि में से 100 रु०कम किये जायें	
,,	2	श्री पी० राजगोपाल नायडू : कम से कम 10 वर्षों में पैट्रोलियम में आत्म-निर्भर बनने के लिये योजना बनाने की आवश्यकता	,,	
,,	3	श्री पी० राजगोपाल नायडू : उत्तर प्रदेश में मथुरा में तेल शोधक कारखाने का निर्माण शीघ्र पूरा करने में असफलता	,,	
,,	4	श्री पी० राजगोपाल नायडू : मद्रास तेल शोधनशाला लिमिटेड को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,	
,,	5	श्री पी० राजगोपाल नायडू : गुजरात में जोहर नगर में पोलिस्टर फिलामेंट यार्न परियोजना को पूरा करने में विलम्ब।	,,	
,,	6	श्री पी० राजगोपाल नायडू : आंध्र प्रदेश में पैट्रोलियम की खोज का काम तेज करने की आवश्यकता।	,,	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
,,	16	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : उर्वरकों के निर्माण और उत्पादन में लगे गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कदाचार रोकने में असफलता ।		राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये
,,	17	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : हाथी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब ।		,,
,,	18	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : औषधि उद्योग में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता जिसके कारण विदेशी मुद्रा की भारी हानि होती है ।		,,
,,	19	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : जन साधारण को कम दामों पर औषधियां सप्लाई करने में असफलता ।		,,
,,	20	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : औषधियों की बिक्री में कदाचार रोकने में असफलता जिसके कारण जन साधारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।		,,
,,	21	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : उर्वरकों के योजनाबद्ध उत्पादन के लिये समुचित तंत्र की स्थापना ।		राशि में से 100 रुपये कम कर दिये जायें ।
,,	22	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : बंगाल केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को अपने हाथ में लेकर उसे उचित ढंग से चलाने और उसे आई डी पी एल का एक अंग बनाने की आवश्यकता।		,,
,,	23	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : बंगाल केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल्स के कदाचारों और वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध जांच कराने की आवश्यकता ।		,,
,,	24	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : आई डी पी एल के एक यूनिट सर्जिकल प्लांट्स लिमिटेड, गिन्डी के कर्मचारियों और मजदूरों की अर्से से चली आ रही मांगों को तय करने की आवश्यकता ।		,,
,,	25	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : आई डी पी एल के एक यूनिट एंटी-बायटिक्स प्लांट, ऋषिकेश के मजदूरों और कर्मचारियों के साथ वार्त्ता जो लंबे समय से चली आ रही है, तेजी से करने की आवश्यकता ।		,,
,,	26	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सभी उर्वरक फेक्ट्रियों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।		,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
,,	1	**श्री पी० राजगोपाल नायडू** : उर्वरक में देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता	राशि में से	100 रुपये कम किये जायें
,,	2	**श्री पी० राज गोपाल नायडू** : सिन्द्री और रामागुंडक परियोजनाओं को पूरी करने में विफलता		,,
,,	3	**श्री पी० राज गोपाल नायडू** : उर्वरक कारखानों को पूरी क्षमता पर चलाने की आवश्यकता		,,
,,	4	**श्री पी० राज गोपाल नायडू** : अपेक्षित मात्रा में एंटीलायटिक औषधि और सर्जीकल उपकरणों के निर्माण की आवश्यकता		,,
,,	5	**श्री पी० राज गोपाल नायडू** : सस्ती लागत पर कीटनाशी बनाने की आवश्यकता		,,
,,	6	**श्री पी० राज गोपाल नायडू** : नये स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्रों का स्थान शीघ्र निश्चित करने की आवश्यकता		,,
,,	8	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : पेट्रोलियम और डीजल के मूल्य कम करने की आवश्यकता	राशि घटा कर	1 रुपया कर दी जाये
,,	9	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : घरेलू गैस के मूल्य कम करने की आवश्यकता	राशि में	100 रु० कम किये जायें
,,	10	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : मद्रास तेल शोधनशाला की अधिक राशि नियत करने की आवश्यकता		,,
,	11	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : कोचीन तेल शोधन शाला के विकास कार्य की गति तेज करने तथा कोचीन से कोयम्बटूर तक पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता		,,
,,	12	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : काबेरी बेसिन में तेल की खोज और तेजी से करने की आवश्यकता।		,,
,,	13	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : पूर्व क्षेत्र में भूतपूर्व बर्माशैल के कर्मचारियों की मांगें पूरी करने तथा उनकी सेवा की शर्तें उसी कंपनी के अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर करने की आवश्यकता		,,
,,	14	**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : मथुरा तेलशोधन शाला के काम में तेजी लाने की आवश्यकता।		,,

श्री बशीर अहमद (फतेहपुर) : आधुनिक दुनिया में पेट्रोलियम के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। यह भारत का ही नहीं अपितु हर राष्ट्र का जीवन है। पेट्रोलियम की खोज पर भारी राशि खर्च की गई है, लेकिन कोई खास लाभ नहीं हुआ। हमें भारी मात्रा में पेट्रोलियम विदेशों से आयात करना पड़ता है।

[कुमारी आभा मैती पीठासीन हुयें]

[MISS ABHA MAITI *in the Chair*]

जहां तक पेट्रोलियम का सम्बन्ध है, हमें पेट्रोलियम के लिए अधिकतर पश्चिम एशिया के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तथा इन देशों का तेल की सप्लाई पर एकाधिकार है। यह एक अच्छी बात है कि हमारे वर्तमान मंत्री महोदय ने इन देशों की यात्रा कर उन सम्बन्धों को फिर से स्थापित किया है जो पिछले कुछ वर्षों में बिगड़ गये थे। इन देशों से पेट्रोलियम के निर्बाध रूप में आने और मूल्य स्तर को बनाये रखने के लिए इन से सम्बन्ध सुधारना आवश्यक है। उनके पास अत्यधिक तेल ही नहीं, अपितु वे बड़े सम्पन्न देश हैं तथा वे भारत के आर्थिक विकास में विभिन्न रूप से सहायता कर सकते हैं।

देश के विकास के लिए पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास की बहुत जरूरत है। हम भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करते हैं। देश की तेल शोधन शालायें उन की आवश्यकताएं पूरी करने में पर्याप्त नहीं है। हमें और तेल शोधन शालाओं की आवश्यकता है। हमें इन तेल बहुल परन्तु विकास शील देशों को मशीनें भी देनी हैं। इसलिए उद्योगों के विकास की आवश्यकता है। यह वास्तविकता है कि देश में पेट्रो-रसायनों का उत्पादन आवश्यकता के लायक नहीं है। इस लिए इन के विकास पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से इस दिशा में पर्याप्त अनुसंधान किये जाने चाहिएं। इस सम्बन्ध में हमारी तकनीकी जानकारी पर्याप्त नहीं है। इस लिए उस का विकास करना होगा।

भारतीय विश्वविद्यालयों में पेट्रो-रसायन के विशेष केन्द्र और विभाग खोलें जाने चाहिएं। ये विभाग प्रत्येक विश्वविद्यालय में हों। इन विश्वविद्यालयों में उन देशों के छोत्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिन में तेल का उत्पादन बहुत अधिक होता है, परन्तु जो विकसित नहीं हैं। दुर्भाग्यवश इस समय हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जापान के विकास का राज़ पेट्रो-रसायन उद्योग का विकास है। हम भी जापान की भांति पेट्रो-रसायन उद्योग का विकास करकें देश को आगे ले जा सकते हैं। परन्तु खेद की बात है कि हमारे देश में इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। यदि हम पेट्रोरसायन उद्योग का विकास करते हैं, तो बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायेगी।

मैं यह भी चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए कि तेल की सम्पदा अधिक दिनों नहीं चल सकती। इस लिए हमें दूसरे विकल्प ढूंढने होंगे। अन्य देशों पर निर्भर रहने की बजाय हमें अपने साधन खोजने होंगे। इसलिए हमें वैज्ञानिक तरीकों का विकास करना होगा कि क्या तेल के स्थान पर किसी अन्य वस्तु का उपयोग भी किया जा सकता है।

[श्री वशीर अहमद]

उर्वरकों का अन्धाधुन्ध उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करते रहने पर एक समय भूमि की उर्वरता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। अतः उर्वरक के उपयोग की क्षमता के लिए मिट्टी का वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए एक सर्वेक्षण पद्धति अपनाई जानी चाहिए।

किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार और उर्वरक कारखाने चालू करें। उर्वरक के मूल्य गरीब किसानों की क्षमता के अनुसार निर्धारित किये जाने चाहिएं।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : देश के विकास में पेट्रोलियम और उर्वरक तथा रसायन मंत्रालयों की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका है। यदि मैं इस के लिये श्री के० डी० मालवीय और श्री पी० सी० सेठी के प्रति आभार व्यक्त न करूं, तो यह मेरा कर्तव्य से मुह मोड़ना होगा। हम मंत्रालयों के समुचित कार्यकरण के कारण देश को 118 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का लाभ हुआ है। मैं आशा करता हूं कि नये मंत्री महोदय विकास की गति को और तेज करेंगे।

इस समय हमारे नौ तेल शोधक कारखानों की क्षमता 240 लाख टन है, जो वर्तमान आवश्यकता को पूरी करने में काफी है। इस के अतिरिक्त गोहाटी की शोधन शाला में 70 लाख टन का क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। मथुरा तेलशोधन कारखाने की स्थापना का भी प्रस्ताव है जिसकी क्षमता 60 लाख टन होगी। ये दोनों 1980 तक पूरे हो जायेंगे। तब देश में तेल शोधन क्षमता 370 या 380 लाख टन हो जायेगी।

जहां तक तेल के उत्पादन का सम्बन्ध है, इस समय देश का कुल उत्पादन 80 लाख टन से अधिक हैं हमारी कुल आवश्यकता 230 लाख टन है। इसका अर्थ यह है हम अपनी आवश्यकता का एक-तिहाई उत्पादन कर रहे हैं। दो-तिहाई आवश्यकता पूरी करने के लिए हम आयात कर रहे हैं। अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने गत वर्ष 1450 करोड़ रुपये का भुगतान किया था तथा इस वर्ष 1550 करोड़ रुपये के भुगतान का अनुमान है, जो हमारी निर्यात आय का एक तिहाई है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में तेल का उत्पादन करने के लिए भरसक प्रयास किया जाये।

बम्बई हाई में मिले तेल से हम 100 लाख टन तेल का उत्पादन कर सकेंगे। 1980 में हम 180 लाख टन तेल का उत्पादन कर लेंगे। यदि माननीय मंत्री कोयले तथा अन्य वस्तुओं की खपत पर समुचित नियंत्रण रख सकें, तो हम अपनी दो-तिहाई अवाश्यकता पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कावेरी घाटी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तेल की खोज हो रही है। यदि वहां सफलता मिल जाती है, तो और अधिक उत्पादन हो सकता है। तेल प्राप्त करने के लिए और अधिक स्थानों की खोज की जानी चाहिए, ताकि देश इस में आत्मनिर्भर हो सके।

कच्चे तेल के कई उप-उत्पादों से कई रसायन तैयार किये जाते हैं। इन से विदेशी मुद्रा की बचत होती है। नायलोन और टेरिलीन के निर्माण के लिए डी० एम० टी की जरूरत होती है। डी० एम० टी० हमें कच्चे तेल से प्राप्त होता है। हमारा उत्पादन कम है तथा आवश्यकता अधिक है। इस लिए हमें निर्यात करना होता है। टरीलीन, टेरीकोट, और नाइलोन का उपयोग जनसाधारण द्वारा किया जाता है। इस लिए इस के उत्पादन का बढ़ाना देश और जनता के हित में होगा।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, हमारी कृषि उपज के लिए उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण हैं। परन्तु हमारे देश में उर्वरकों की भी कमी है। उर्वरक की हमारी उत्पादन क्षमता 25 लाख टन है, जब कि हमारी आवश्यकता 32 लाख टन है। इसलिए हमें प्रति वर्ष 7-8 लाख टन उर्वरक का आयात करना पड़ता है। गत वर्ष हम ने उर्वरक के आयात के लिए 110 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इस के उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे देश में बहुत गुंजाइश है। 15 नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं। यदि ये सब पूरे हो जाते हैं, तो हमारी क्षमता 47 लाख टन बढ़ जायेगी। यह देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होगा तथा इस से विदेशी मुद्रा बचेगी।

गत सरकार ने तथा इस सरकार ने भी ग्रामों के विकास पर जोर दिया है। यह बहुत अच्छी बात है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए ग्रामों का विकास नितान्त आवश्यक है। इस के लिए प्रति एकड़ उपज को बढ़ाना होगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो इस से किसानों को लाभ होगा। यदि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उर्वरक की आवश्यकता होगी। कृषि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने कहा था कि उर्वरकों के मूल्य बहुत अधिक हैं और इसी लिए किसान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए मेरा सुझाव है कि उर्वरकों के मूल्य घटाये जाने चाहिए। उर्वरक पर से उत्पादन शुल्क हटा लिया जाना चाहिए। मूल्यों को घटाने से किसानों को लाभ होगा और विदेशी मुद्रा बचेगी। इससे ग्रामों के विकास में भी सहायता मिलेगी।

औषध उद्योग अभी भी बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथ में है। दवाइयों के मूल्य बहुत अधिक हैं। हाथी आयोग ने इस बारे में कतिपय सुझाव दिये हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन सुझावों पर विचार करेंगे और उन्हें कार्यान्वित करेंगे ताकि ये कम्पनियां अनुचित लाभ न उठा सकें और दवाइयां जनसाधारण के लिये सस्ते दामों पर तैयार की जा सकें।

Shri Y.P. Shastri (Rewa) : I rise to support the demands for the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers.

Oil and petroleum products occupy important place in the economy of a nation. The production of oil in our country is hardly one-third of our total requirement. The result is that we have to import huge quantity of oil from other countries at a fantastic price. Fortunately. We have got oil in Bombay High, we have also undertaken oil exploration in Kutch, Orissa and in Bengal. But the flow of oil from Bombay High has not been to our expectation and the speed with which the exploration work is being carried on in other places is also not satisfactory. The Ministry should see that the speed of oil exploration is accelerated.

It is regrettable that oil and Natural Commission which has the vital responsibilities for development of oil resources in our country have become a hot-bed of political activities. The Chairman f the Commission is a favourite of the former Congress President. He has big interests in many sugar factories in Andhra Pradesh. He is more interested in pushing up his own business interests rather than in the affairs of the Commission. Because of his misbehaviour, many good scientists and experts have left the Commission. The Commission has taken up a project in Iraq which involves 8 crores of rupees. That has to be left andone. I will therefore urge upon the Minister to look into the affairs of the Commission and take immediate effective measure to improve its working.

70 per cent of our population is engaged in Agriculture. With a view to providing relief to the poor Agriculturist who needs fertilizers for his produce and to seeing that production of foodgrains is increased, we must take the fertilizers cheaper. I would suggest that excise duty on fertilizer s should be totally withdrawn.

Life saving drugs are costly. A committee was appointed to go into the question of production and prices of drugs etc. The report of that Committee has yet to be implemented. Steps must be taken to implement the recommendations of Hathi Committee and to see that the

[Shri Y. P. Shastri]

essential life savings drugs are available at a cheaper price. Government must ensure that the quality and purity of the drugs is maintained.

Government should see that our people, specially in rural areas get relief by way of cheaper prices of fertilizers and medicines.

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : वर्ष 1977–78 के दौरान 1530 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जाएगा। वर्ष 1981 में भी इतनी ही कीमत के आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि तेल की खपत में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर को नहीं रोका गया तथा विदेशी मुद्रा का भारी व्यय जारी रहा तो इसका अर्थ होगा––कम नौकरियां, कम भोजन तथा अधिक आर्थिक और राजनीतिक संकट। सरकार को स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए और साथ ही तेल की किफायत तथा साथ ही यथासम्भव शक्ति-प्रमुख प्रौद्योगिकी के कम इस्तेमाल करने पर बल देना चाहिए।

हमारी कुल पैट्रोलियम उत्पादों की खपत का 30 प्रतिशत भाग हाई स्पीड डीजल के प्रयोग पर होता है। यह खपत अच्छ रख-रखाव, गति नियंत्रण तथा इंजिनों को जोड़ने में थोड़े बहुत हेर फेर करके किया जा सकता है।

इसी प्रकार भारतीय पैट्रोलियम संस्थान द्वारा बनाये गये नये कोरोसीन स्टोव के व्यापक प्रयोग से मिट्टी के तेल की खपत, जो इस समय कुल पैट्रोलियम खपत का 14 प्रतिशत अर्थात् 3,60,000 टन है, को कम किया जा सकता है।

सरकार द्वारा स्थापित पैट्रोलियम मितव्ययिता कार्यकारी दल को और अधिक सक्रिय होना चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी औद्योगिक एककों में ऊर्जा मितव्ययिता कार्यक्रम संयंत्र रख-रखाव नियमों का अंग बन सके, एक परामर्शदायी, प्रशिक्षण एवं देख-रेख करने वाली संस्था के रूप में काम करना चाहिए।

इस तथ्य के बावजूद कि मिट्टी का तेल समाज के निर्धन वर्ग के लिए आवश्यक वस्तु है और विशेषकर ग्रामीण लोगों के लिए, यह ऊंची कीमतों पर मिलता है। इस तेल पर विभिन्न करों, परिवहन शुल्कों तथा डीलरों की कमीशनों को इस प्रकार से कम किया जाए कि उपभोक्ता को 1 रुपया प्रति लीटर से अधिक न देना पड़े। मिट्टी के तेल को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल कर लिया जाना चाहिए। इसका वितरण भी राजकीय एजेन्सी द्वारा किया जाना चाहिए। यही नहीं उर्वरकों, कृत्रिम रेशों तथा औषधियों को भी लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना चाहिए।

देश में आधुनिक औषधि की प्रति व्यक्ति खपत इस समय 7 रुपये है। इसी तथ्य से यह पता चलता है कि आधुनिक औषधियां आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। तथ्य तो यह है कि औषधियों की वर्तमान उत्पादन तथा वितरण प्रणाली केवल छोटे शहरों की आवश्यकता को पूरा करती हैं और लाखों लोगों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है।

हम यह जानना चाहते हैं कि 117 जीवनदायिनी औषधियों के बारे में हाथी समिति की सिफारिशों की उपेक्षा क्यों की गई है। आवश्यक वस्तुओं के दाम कब तक उचित स्तर पर आ जायेंगे और एन्टीबायटिक्स, सल्फा ड्रग्स एवं कुछ विटामिनों के उत्पादन को केवल सरकारी क्षेत्र में करने सम्बन्धी निर्णय को कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

दुलीजन स्थित भारतीय तेल निगम के प्रबन्धकों ने कई नैमित्तिक श्रमिकों की जबरी छुट्टी कर दी जिससे मजदूरों में गहरा रोष उत्पन्न हो गया है। यह जबरी छुट्टी नई सरकार द्वारा की गई इस घोषणा के विपरीत है कि नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी बनाया जाएगा। इसी प्रकार आसाम के नामरूप उर्वरक कारखाने के चार कर्मचारियों एवं गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के 6 कर्मचारियों को आपात स्थिति के दौरान मजदूर संघ गतिविधियों के कारण तंग किया गया। नई सरकार की नीति देश के मजदूरों एवं कर्मचारियों के प्रजातांत्रिक अधिकारों को पुनः दिलाने की है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को आशा है कि इन कर्मचारियों को अविलम्ब नौकरी पर वापिस लिया जाएगा।

हल्दिया में पैट्रो-रसायन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव वर्ष 1964 से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। नैप्था की सप्लाई, आधारभूत ढांचे के विकास एवं हल्दिया में तेल शोधनशाला की स्थापना के महत्व को देखते हुए सरकार को हल्दिया में पैट्रो-रसायन संयंत्र की स्थापना के बारे में आवश्यक निर्णय लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : हमने तेल की खोज के बारे में काफी प्रगति की है लेकिन इसकी गति धीमी हो गई है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1975–76 में 257 लाख मीटर खुदाई की परन्तु वर्ष 1976–77 में उसने केवल 2.65 लाख मीटर खुदाई की। लेकिन बम्बई हाई में तेल की खोज से यह कमी पूरी हो गई है। वर्तमान सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये कैम्बे खाड़ी में, कच्छ-सौराष्ट्र में तथा उत्तर बम्बई में खुदाई करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए हैं। हमारे पास तकनीकी क्षमताएं भी हैं। हालांकि हमें तेल मिला है लेकिन इसकी मात्रा उतनी नहीं है जितनी आशा थी। जलाशय अध्ययन संस्थान की हाल की खबर से हमें कुछ आशा हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा और बिना राजनीतिक या क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाए इसका उपयोग किया जाएगा।

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के पास सरकारी क्षेत्र के कुल विनियोग का 21 प्रतिशत अर्थात्, 1900 करोड़ रुपये है। इससे प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये की आय होगी जिससे उर्वरक कारखानों, शोधनशालाओं तथा बन्दरगाहों पर पैट्रो-रसायन संयंत्र की स्थापना की जा सकती है। ये संयंत्र निर्यात-प्रधान बनाए जा सकते हैं। तेल के आयात पर व्यय की जानी वाली विदेशी मुद्रा हमारी आय से अधिक होगी।

मैं लम्बे समय से समुद्र तट के तेल क्षेत्रों के अक्षांश-रेखांश के बारे में पूछता आ रहा हूं। वहां पारियों में तेल की खुदाई होती है। वहां विदेशी लोग भी काम कर रहे हैं। इसमें ऐसी क्या गुप्त बात है कि संसद सदस्यों को इसकी जानकारी न हो। दुर्भाग्यवश, संसद सदस्यों को यह जानकारी नहीं दी जाती। इससे यह सन्देह उत्पन्न होता है कि इसमें कोई कमीशन लेता है या लम्बे समय तक रहने तथा मंहगी मार्ग लाईनों के लिए पक्षपातपूर्ण सौदेबाजी करता है। तट के बिल्कुल निकट पाईपलाईन बिछाना सस्ता पड़ेगा।

भारतीय तेल निगम की उपलब्धि आश्चर्यजनक रही है। हम गत 17 वर्षों से इसके कार्य-निष्पादन को देख रहे हैं। इसने 2500 करोड़ रुपए का रिकार्ड उत्पादन किया। मुख्य बात यह है कि अब हमें केवल छोटी बातों पर ही नहीं, बड़ी बातों पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि अब भारतीय तेल निगम की गणना अन्तर्राष्ट्रीय एककों में की जाती है। हम समुद्र तट पर आधारित शोधनशालाओं

[श्री डी० डी० देसाई]

की सहायता से ही प्रगति कर सकते हैं । हमारे पास मध्य पूर्व क्षेत्र है । हम कांडला या किसी अन्य बन्दरगाह पर बड़ी शोधनशाला खोल सकते हैं ।

इन्डेन गैस के कम वजन की शिकायतें मिली हैं । हमारे लिए गैस सिलैण्डरों के स्वचालित वजन की मशीनें बनाना असम्भव नहीं है ताकि उपभोक्ता यह महसूस कर सकें कि उसको उसके पैसे का पूरा फायदा हुआ है ।

तेल मितव्ययिता एक समस्या बन गई है । ऐसे कई साधन है जिनसे यह मितव्ययिता की जा सकती है । एक कैरोसीन स्टोव बनाया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्टोवों की 30–45 प्रतिशत आंच की तुलना में 60 प्रतिशत आंच देता है । यह एक अच्छा कदम है । हाई स्पीड डीजल के बारे में भी सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए । अधिकांशत: यह डीजल ट्रकों इत्यादि के लिए योग में लाया जाता है । यदि हमारे पास डीजल चालित रेलों की व्यवस्था हो तो ट्रकों द्वारा माल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । इससे अच्छी आय होगी और डीजल भी बचेगा ।

हम कम सल्फर अशोधित तेल का भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं, यह अच्छी आय देने वाला उत्पाद है । हम अन्तर्राष्ट्रीय मडी में इसका अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं । इसके बदले में सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मंडी से हाई सल्फर को खरीदना चाहिए ताकि उर्वरक कारखानों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके । हमें सल्फर का आयात करना पड़ता है और इस प्रकार उपादानों की लागत कम किस प्रकार हो सकती है । उर्वरकों की ऊंची कीमतों के बारे में काफी शिकायतें मिली हैं उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का एकमात्र उपाय यह है कि हम कम लागत वाले उत्पादानों का प्रयोग करें ।

हमारे पास जब तेल का आरक्षित भंडार कम हो जाएगा तो हमें तरल हाइड्रोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा । हाईड्रोजन भावी इंजन होगा और हमें अगली 25 वर्ष की मांग को पूरा करने के लिये अभी से कदम उठाना होगा । यदि अन्य ईंधनों की कमी पड़े तो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ईंधन के रूप में विकास करना आवश्यक है । हमें, मालदिवता फास्फेट तथा पाईराईट से सल्फर का विकास करना चाहिये । हमारे उर्वरक संयंत्र घाटे में चल रहे हैं । लेकिन गुजरात राज्य उर्वरक संयंत्र काफी लाभ कमा रहा है । उस संयंत्र से यह पूछा जा सकता है कि भारतीय उर्वरक निगम तथा अन्य उर्वरक संयंत्रों में किस प्रकार लाभ कमाया जा सकता है ।

औषधियों का जहां तक सम्बन्ध है, इटली में पेटेंट नही है । फ्रांस में सुपर बाज़ार ने गैर-ब्रांड वाली वस्तुओं को परखा जिससे लागत 30 प्रतिशत कम हो गई है । अत: हम भी दवाओं के मामले में ब्रांडों तथा पेटेंटों को समाप्त कर सकते है ।

HALF AN HOUR DISCUSSION

आधे घंटे की चर्चा

महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : महिलाओं के दर्जे के बारे में गठित समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में मैंने प्रश्न पूछा था । उस प्रश्न के उत्तर से ही यह चर्चा शुरु हुई है । यह दावा

किया गया है कि एक ऐसी सिफारिश क्रियान्वित की गयी है जो वर्ष 1976 में समान कार्य के लिये समान वेतन की व्यवस्था करने वाले समान वेतन अधिनियम के बारे में थी । लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि यह अधिनियम किस हद तक क्रियान्वित किया गया । श्रम मंत्रालय ने कौन सा तंत्र स्थापित किया है और इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए श्रम मंत्रालय के साथ कौन सा समन्वय किया गया है ।

तमिलनाडु में महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है । अब जबकि इस अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, महिलाओं के रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है । इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु तंत्र की स्थापना के संविधिक दायित्व को किस हद तक पूरा किया गया है । संसद को इस बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिये ।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के बारेमें मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मंत्रालय ने इस तथ्य की जांच की है कि काम करने वाली महिलाओं ने कहा है कि उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण काम के घंटों के दौरान ही दिया जाये ।

विवाह पंजीकरण के बारे में समिति ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की है जिसमें न केवल प्रतिभा पलायन जन्य विवाहों के प्रति संरक्षण प्रदान किया जाएगा अपितु विवाहों के मामले में युवतियों के साथ किये जाने वाले धोखों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा । समिति ने कहा है कि विवाह को धार्मिक विधि के बावजूद विवाह के पंजीकरण को एकमात्र तथा अन्तिम प्रमाण माना जाना चाहिए । खेद की बात है कि एक दशक के बीत जाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए इस विधान को लागू करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है । इस रवैये से यह संकेत मिलता है कि सरकार महिलाओं के दर्जे से सम्बन्धित समस्या के बारे में चिन्तित नहीं है ।

15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग वालों की शिक्षा के बारे में समिति ने कहा है कि आयु वर्ग के अधिकांश लोग अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं । हमें इस समस्या के प्रति बहुत जागरूक रहना है । और इस सम्बन्ध में गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । मंत्री महोदय हमें बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है । जो लोग स्कूल नहीं जा सकते उनके लिये अंशकालिक शिक्षा देने के लिये पद्धति का विकास किया जा रहा है । लेकिन यह 6 से 11 तथा 11 से 14 वर्ष वाले आयु वर्ग के बच्चों के सम्बन्ध में है । अत्यधिक महत्वपूर्ण आयु वर्ग वालों के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है । मंत्री महोदय को सम्बद्ध संगठनों से परामर्श करना चाहिये । यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस सम्बन्ध में एक नीति बनाई जाये और उसका क्रियान्वयन भी किया जाये । मैं यह भी जानना चाहती हूं कि सरकार विभिन्न संगठनों तथा खेतिहर मजदूरों के बीच श्रमिक संघों को इस कार्य के साथ किस प्रकार सम्बद्ध करना चाहती है । सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के समान अवसर प्राप्त हों । रोज़गार केन्द्रों में नौकरी देने के मामले में महिलाओं के साथ भेद भाव किया जाता है ।

महिलाओं के सामाजिक दर्जे का सुधार एक सामाजिक आर्थिक समस्या है । जब तक यह नहीं समझा जाता तथा तलाक तथा दहेज के मामले में महिलाओं के अधिकारों के बारे में विचार नहीं

[श्रीमती पार्वती कृष्णन]

किया जाता तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता । मैं जानना चाहती हूं कि क्या एक राष्ट्रीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है जो सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों की देखरेख कर सके तथा महिलाओं के दर्जे की रक्षा करने के बारे में विभिन्न कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख करेगी ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मेरे विचार में समिति की सिफारिशों को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिये । इस सभा में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का जो प्रस्ताव आया था, उसका क्या बना ?

महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए जो कानून बने हैं उन्हें पूर्णत: क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है । यह एक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक समस्या है । ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान अधिकार नहीं दिये गये हैं । सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों के उपक्रमों में महिलाओं के लिये कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं ।

यदि जनता सरकार महिलाओं का सम्मान करती है तो वह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दर्जे को ऊंचा करने की दिशा में क्या कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र) : जहां तक समान वेतन अधिनियम का सम्बन्ध है, इसके बारे में एक विशिष्ट तंत्र की स्थापना की गयी है । इस अधिनियम में रोजगार के कुछ प्रकारों का जिक्र किया गया है । इसे कार्यान्वित करने के लिये कुछ परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की गयी है जो राज्य सरकारों को कार्यवाही करने के लिये कह सकती है । अनेक राज्यों में इस हेतु समितियां बनायी गयी हैं । कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को यह भी सूचना दी है कि वे परामर्शदात्री समितियों के गठन पर विचार कर रही हैं ।

अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक भी नियुक्त किये जायेंगे । राज्य सरकारों ने कई निरीक्षकों तथा अन्य प्राधिकारियों को नियुक्त किया है । केन्द्रीय सरकार पहले से इन प्राधिकारियों को नियुक्त कर चुकी है ।

जहां तक महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का सम्बन्ध है, हिन्दू विवाह अधिनियम में इसे वैकल्पिक रखा गया है । विशेष विवाद अधिनियम में इसे अनिवार्य रखा गया है । अन्य समुदायों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के सम्बन्ध में कार्यवाही करना कठिन है ।

महिलाओं की शिक्षा के बारे में कोई कार्यवाही की जानी चाहिये । हम विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा के बारे में विचार कर रहे हैं ।

रेडियो, टेलीविजन आदि संचार व्यवस्था द्वारा हम कुछ क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं । एक उपग्रह कार्यक्रम भी है । कुछ क्षेत्रों में काम चलाऊ साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जहां समाज कल्याण मंत्रालय की सहायता से प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा दी जा रही है ।

जहां तक समन्वय का सम्बन्ध है, यह एक जटिल प्रश्न है जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं। समाज कल्याण मंत्रालय समन्वय की दिशा में प्रयत्नशील है। महिलाओं को रोजगार देने की समस्या बड़ी कठिन है। 50 प्रतिशत महिलाओं को इस समस्या का हल करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय समिति के सम्बन्ध में हमने प्रधान मंत्री की राय मांगी है। उनकी राय आने पर ही इस दिशा में उचित निर्णय लिया जा सकेगा। हम इस बात का पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि क्या समिति के कार्य को चलाना सम्भव है।

इसके बाद लोक सभा बृहस्पतिवार, 7 जुलाई, 1977/16 आषाढ़ 1899 (शक) के ग्यारह बजे प० पू० तक के लिये स्थगित हो गयी।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, July 7, 1977/Asadha 16, 1899 (Saka)